Government of India

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

Department of Agriculture & Farmers Welfare

Agriculture Census 2021-22

Manual of Instructions For Data collection Schedule (Phase-III) Input Survey 2022-23

डेटा संग्रह अनुसूची (चरण-III)
हेतु
अनुदेश मैनुअल

दसवां इनपुट सर्वेक्षण
2022-23

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
(कृषि गणना प्रभाग)

विषयसूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
खंड-क: सामान्य दिशानिर्देश		
1	प्रस्तावना	5
2	उद्देश्य	5
3	कृषि गणना 2021-22 में नई पहल	5
4	संदर्भ वर्ष	5
5	समय सारणी	5-6
6	सर्वेक्षण का दायरा	6
7	कवरेज	6-7
8	गणना की इकाई	7
9	पद्धति	7-8
10	प्रतिदर्श गांवों का चयन	8
11	प्रशिक्षण	8-9
12	इनपुट सर्वेक्षण हेतु प्रारंभिक कदम	9-10
13	गांवों का दौरा	10
14	फील्डवर्क	10
15	डेटा प्रस्तुत करने और अंतिम रूप देने का चैनल	10-11
16	निगरानी एवं पर्यवेक्षण	11-12
17	एजेंसी की पहचान	12
18	मैनुअल	12
19	प्रचार	12-13
20	स्पष्टीकरण प्राप्ति	13
खंड-ख: कार्य और उत्तरदायित्व		
21	डेटा संग्रह में हितधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व	15
	राज्य कृषि गणना इकाई	15
	प्रशासक	15
	पर्यवेक्षक	15
	गणनाकार	15-16
खंड – ग: डेटा संग्रह हेतु निर्देश		
22	विभिन्न उपयोगकर्ताओं हेतु गतिविधियों का प्रवाह आरेख	18-19
23	कृषि गणना पोर्टल तक पहुंचने के निर्देश	19
24	प्रणाली प्रशासक के लिए उपयोगकर्ताओं के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने के निर्देश	19-21
25	जांच कार्य हेतु पर्यवेक्षक को निर्देश	21
26	फ्रेम के अद्यतनीकरण और प्रतिदर्शों के चयन हेतु प्राथमिक कार्यकर्ता को चरणबद्ध निर्देश	21-24
27	चयनित भू-धारकों की अनुसूचियां भरने के लिए प्राथमिक कार्यकर्ताओं को निर्देश	24-46
खंड–घ: अनुबंध		
	अनुबंध-I: तालिका-1	48

	अनुबंध-II: अनुसूची-एल	49
	अनुबंध-III ब्लॉक का पहचान विवरण	50-62
	अनुबंध-IV: फसलों की सूची एवं उनके कोड	63-67
	अनुबंध-V: उर्वरकों और कीटनाशकों की सूची	68-69
	अनुबंध-VI: मशीनरी और उपकरण एवं उनके कोड और विवरण	70-90
	अनुबंध-VII: अवधारणाएँ और परिभाषाएँ	91-97

खंड – क: सामान्य दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना:

1.1 द्वितीय कृषि गणना 1976-77 से प्रारंभ होकर, भारतीय कृषि की संरचना पर मात्रात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा संग्रह हेतु सांख्यिकीय इकाई के रूप में 'परिचालित जोतों' की अवधारणा का उपयोग करके कृषि गणना के अनुवर्ती सर्वेक्षण के रूप में इनपुट सर्वेक्षण भी किया जाता है। इनपुट सर्वेक्षण में, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, देश में परिचालित जोतों द्वारा विभिन्न इनपुट, जैसे, उर्वरक, बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि उपकरण, कृषि ऋण आदि के उपयोग के पैटर्न पर डेटा एकत्र किया जाता है। संदर्भ वर्ष 1976-77, 1981-82, 1986-87, 1991-92, 1996-97, 2001-02, 2006-07, 2011-12 और 2016-17 के साथ अब तक नौ इनपुट सर्वेक्षण पूर्ण हो चुके हैं। अगला सर्वेक्षण 2022-2023 (1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023) संदर्भ वर्ष के साथ श्रृंखला में दसवां होगा। देश में किसानों के कल्याण हेतु विभिन्न कृषि कार्यक्रमों की योजना और क्रियान्वयन के लिए डेटा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ वर्षों में सर्वेक्षण का दायरा और कवरेज बढ़ रहा है।

2. उद्देश्य:

सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य परिचालन जोतों के प्रमुख आकार-समूहों के अनुसार विभिन्न कृषि इनपुट की खपत पर डेटा तैयार करना है, यथा सीमांत (1 हेक्टेयर से कम), छोटे (1-1.99 हेक्टेयर), अर्ध-मध्यम (2-3.99 हेक्टेयर), मध्यम (4-9.99 हेक्टेयर) और बड़े (10 हेक्टेयर और उससे अधिक), ताकि विभिन्न श्रेणियों के किसानों द्वारा आदानों के खपत पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। सर्वेक्षण में शामिल आदानों में रासायनिक उर्वरक, उच्च उपज वाले/हाईब्रिड बीज, रासायनिक कीटनाशक, जैव कीटनाशक, कृषि खाद/कम्पोस्ट, जैव उर्वरक, कृषि उपकरण एवं मशीनरी तथा कृषि ऋण के अतिरिक्त चालित भू-धारकों की शैक्षिक योग्यता, आयु एवं परिवार के आकार के विषय में जानकारी शामिल है।

3. इनपुट सर्वेक्षण 2022-23 में नई पहलें:

3.1 इनपुट सर्वेक्षण 2022-23 के दौरान शुरू की गई नई पहलें निम्नानुसार हैं:

3.1.1 स्मार्टफोन/टैबलेट/लैपटॉप/निजी कंप्यूटर जैसे हाथ में पकड़े जाने वाले डिवाइस का उपयोग करके ऐप/सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा एकत्र करना।

3.1.2 वेब पोर्टल के माध्यम से प्रगति की रियल टाईम निगरानी और डेटा/सॉफ्टवेयर अपलोड/डाउनलोड करना।

3.2 चरण-III में ये उपाय बढ़ी हुई गति और शुद्धता के साथ डेटा संग्रह को सक्षम बनाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन और एकत्रीकरण त्रुटियों में कमी के कारण डेटा की शुद्धता में मूलत: सुधार होने की आशा है। विभिन्न आईसीटी प्रौद्योगिकियों के उपयोग से प्राथमिक डेटा संग्रह की निगरानी और डेटा प्रसार में भी शीघ्रता आएगी।

4. संदर्भ वर्ष:

4.1 चरण-III डेटा संग्रह के लिए संदर्भ अवधि 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक है।

5. समय सारिणी

5.1 कृषि गणना 2021-22 के चरण-III को लागू करने की संभावित सारणी निम्नानुसार है:

क्र. सं.	कार्य की मद	समयसीमा
i)	चरण-III के लिए मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण का आयोजन	फरवरी 2024

क्र. सं.	कार्य की मद	समयसीमा
ii)	प्रौद्योगिकी भागीदार और डीएसीएंडएफडब्ल्यू द्वारा सॉफ्टवेयर/तकनीकी मुद्दों पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण।	
iii)	मास्टर ट्रेनर्स द्वारा सॉफ्टवेयर/तकनीकी मामलों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी फील्ड कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	मार्च-जून 2024
iv)	चरण-III डेटा संग्रह हेतु फील्डवर्क	जुलाई-सितंबर 2024
v)	चरण-III डेटा की शुद्धि/सत्यापन और प्रसंस्करण।	अक्टूबर 2024 तक
vi)	गणना के चरण-III आउटपुट तालिकाओं को अंतिम रूप देना और प्रसारित करना।	दिसंबर 2024 तक

5.2 प्रत्येक गतिविधि को समय पर पूरा करने के लिए कृषि गणना 2021-22 के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समितियाँ (एसएलसीसी) चरण-III (इनपुट सर्वेक्षण) से संबंधित सभी गतिविधियों की देखरेख और समन्वय करेंगी।

6. सर्वेक्षण का दायरा

6.1 इनपुट सर्वेक्षण पूरे देश को शामिल करता है। **संस्थागत जोतों और प्रतिदर्श गाँव में न रहने वाले व्यक्तियों द्वारा संचालित जोतों के अतिरिक्त** सभी प्रकार की कृषि जोतों की गणना की जाती है। इस प्रकार केवल चयनित व्यक्ति और, प्रतिदर्श गाँव में निवासी कृषकों द्वारा संचालित संयुक्त जोतें ही इस सर्वेक्षण हेतु अंग (जनसंख्या) का गठन करेंगी।

6.2 सर्वेक्षण के लिए मूल सांख्यिकीय इकाई (लक्ष्य समूह) परिचालन जोत है। यद्यपि शहरी क्षेत्रों में भी बहुत कम मात्रा में कृषि होती है, लेकिन सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र को शामिल करना है जहाँ कृषि को पेशे के रूप में अपनाया जाता है। केरल, गोवा और पुदुचेरी जैसे कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, संचालित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शहरी घोषित क्षेत्रों में है। संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों और कृषि गणना में अपनाई गई अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों को भी चरण-III में शामिल किया जाएगा। अत:, **एक सामान्य नियम के रूप में, यह अनुशंसा की जाती है कि इनपुट सर्वेक्षण उन क्षेत्रों में किया जाए जहाँ कृषि गणना के पिछले चरण आयोजित किए जा चुके हैं।**

6.3 पिछले सर्वेक्षणों की तरह, इनपुट सर्वेक्षण 2022-23 भी केवल चयनित गाँवों के निवासी परिचालन भू-धारकों तक ही सीमित रहेगा। परिचालन भू-धारक जो प्रतिदर्श गाँव की तहसील से बाहर रहते हैं, परंतु प्रतिदर्श गाँव में कुछ भूमि का संचालन करते हैं, उन्हें प्रतिदर्श में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि जानकारी एकत्र करने के लिए उनसे संपर्क करना सुविधाजनक नहीं होगा। आवासीय स्थिति (गाँव या गाँव के बाहर) के बारे में जानकारी प्रतिदर्श फ्रेम या लिस्टिंग के अद्यतन के समय एकत्र की जाएगी। सभी सामाजिक समूहों के लिए डेटा एकत्र किया जाएगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्यों के लिए अलग से एकत्र नहीं किया जाएगा। परिचालित संस्थागत जोतों को इस सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा।

7. कवरेज

7.1 इनपुट सर्वेक्षण 2022-23 के तहत, निम्नलिखित मदों के लिए परिचालन जोतों के पांच आकार-समूहों के अनुसार जानकारी एकत्र की जाएगी:

7.1.1 धारकों की आयु, परिवार का आकार, शैक्षिक योग्यता।
7.1.2 कृषि सेवाओं की सदस्यता/उपयोगकर्ता।
7.1.3 प्राप्त कृषि ऋण।
7.1.4 उपयोग किए जाने वाले बीजों के प्रकार (प्रमाणित/हाईब्रिड) और गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ।
7.1.5 एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) पद्धतियां।
7.1.6 जैविक कृषि की पद्धतियां।
7.1.7 मृदा स्वास्थ्य/मृदा परीक्षण।
7.1.8 कृषि उपकरणों और मशीनों का उपयोग (स्वामित्व/किराए पर/दोनों)।
7.1.9 भूखंडों की संख्या।
7.1.10 बहुफसल, फसलों के अंतर्गत सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के लिए अलग-अलग;
7.1.11 रासायनिक उर्वरकों, बीजों, जैविक खादों, रासायनिक कीटनाशकों और जैव-कीटनाशकों का उपयोग, सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के लिए अलग-अलग।

8. गणना की इकाई

8.1 चयनित गांवों की प्रत्येक प्रतिदर्श परिचालन जोत के संबंध में डेटा एकत्र किया जाएगा, जिसे **"संपूर्ण भूमि जिसे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कृषि उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है और एक व्यक्ति द्वारा शीर्षक, कानूनी रूप, आकार या स्थान पर ध्यान दिए बिना अकेले या दूसरों के साथ मिलकर एक तकनीकी इकाई के रूप में संचालित की जाती है"** के रूप में परिभाषित किया गया है। तकनीकी इकाई को **"एक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक ही प्रबंधन के अधीन है एवं जिसके पास उत्पादन के समान साधन जैसे श्रम शक्ति, पशु और मशीनरी उपलब्ध हैं"।** इस परिभाषा से यह देखा जा सकता है कि सर्वेक्षण के लिए सांख्यिकीय इकाई वास्तविक कृषक है न कि मालिक इसलिए उस कृषक से संपर्क करने का प्रयास किया जाना चाहिए जो जोत का संचालन करता है और कृषि व्यवसाय उद्यम में निर्णय लेता है।

8.2 इनपुट सर्वेक्षण के उद्देश्य से, चूंकि इनपुट सर्वेक्षण में अनुमान जिले के स्तर पर तैयार किए जाने हैं इसलिए एक परिचालन भू-जोतों के भू-खण्ड़ों को एकत्रित करने की सीमा जिला होगा।

9. पद्धति

9.1 इनपुट सर्वेक्षण 2022-23 के लिए दो-चरणीय स्तरीकृत प्रतिदर्शन अपनाया जाएगा। तहसील/सीडी ब्लॉक स्तर का गठन करेंगे, एक स्तर के भीतर के गाँव पहले चरण की इकाइयाँ बनाएंगे और चयनित गाँवों में 'परिचालन जोत' दूसरे चरण की इकाइयाँ होंगी। पहले चरण की इकाइयों का नमूना आकार प्रत्येक स्तर से गाँवों की कुल संख्या का 7 प्रतिशत होगा। इन 7 प्रतिशत गाँवों को कृषि गणना 2021-22 के चरण- II के लिए पहले से ही चुने गए गाँवों में से यादृच्छिक रूप से चयन किया जाना है।

9.2 यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनपुट सर्वेक्षण के अनुमान देश की सभी तहसीलों/ब्लॉकों के लिए तैयार किए जाने हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि सर्वेक्षण प्रत्येक तहसील/ब्लॉक के कम से कम एक गाँव में किया जाए। हालांकि, यदि किसी तहसील/ब्लॉक में केवल एक या दो गांव हैं, जहां कृषि गणना की गई थी, तो प्रतिदर्श को प्रतिनिधिक बनाने के लिए इन सभी गांवों में इनपुट सर्वेक्षण आयोजित करने की सिफारिश की जाती है।

9.3 जोतों के उपरोक्त पांच आकार-समूहों में से प्रत्येक में से चार परिचालन जोतों का सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श का चयन किया जाएगा। यदि किसी चयनित गांव में, किसी विशेष आकार समूह में परिचालन जोतों की कुल संख्या चार या उससे कम है तो उस आकार-समूह की सभी जोतों का चयन किया जाना चाहिए और चयनित गांवों के चयनित परिचालन भू-धारकों घरेलू पूछताछ के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

10. प्रतिदर्श गांवों का चयन

10.1 इनपुट सर्वेक्षण के लिए प्रतिदर्श गांवों का चयन तकनीकी अधिकारियों द्वारा राज्य मुख्यालय में पैरा 9 में उल्लिखित प्रतिदर्शन प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा है। गांवों का चयन करने के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि प्रत्येक तहसील/ब्लॉक के लिए उन गांवों की सूची तैयार की जाए जहां कृषि गणना (चरण-II) आयोजित की गई थी। यादृच्छिक संख्या तालिकाओं का उपयोग करते हुए, प्रत्येक तहसील/ब्लॉक में 35 प्रतिशत गांवों (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित और न्यूनतम एक के अधीन) का स्वतंत्र रूप से चयन किया जाना चाहिए ताकि जांच के लिए जोतों का आगे का नमूना लिया जा सके यदि चरण-II में 20% गांवों का चयन किया गया था, अन्यथा, उपर्युक्त अनुपात कृषि गणना 2021-22 के चरण-II में चयनित गांवों के प्रतिशत के आधार पर भिन्न होगा। **यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी तहसील/ब्लॉक में (प्रतिदर्श आकार) कुल गांवों की संख्या के 7% से कम नहीं होना चाहिए।**

10.2 इनपुट सर्वेक्षण के लिए अनुशंसित अनुमान प्रक्रिया प्रतिदर्श गांवों में जोतों की संख्या और तहसील में गांवों की संख्या को गुणक के रूप में उपयोग करती है। सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि गांवों का यादृच्छिक चयन करते समय सभी प्रकार के गांवों, अर्थात् छोटी या बड़ी जोतों वाले गांवों को प्रतिदर्श में दर्शाया जाएगा। तथापि, यह देखा गया कि इस प्रक्रिया के कारण बहुत कम जोतों वाले गांवों का चयन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक अप्रतिनिधिक प्रतिदर्श तैयार हुआ और परिणामस्वरूप अविश्वसनीय अनुमान उत्पन्न हुए। **अतः, यह अनुशंसा की जाती है कि प्रतिदर्श गांवों के चयन के चरण में ही नमूने की प्रतिनिधित्व-क्षमता सुनिश्चित की जाए।**

11. प्रशिषण

11.1 वास्तविक फील्डवर्क के संचालन से पहले प्राथमिक कार्मिकों के साथ-साथ पर्यवेक्षी अधिकारियों को भी गहन प्रशिक्षण देना आवश्यक है। प्राथमिक और पर्यवेक्षी कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण प्रत्येक राज्य की स्थितियों के आधार पर 2/3 स्तरों पर आयोजित किया जा सकता है। पर्यवेक्षक के रूप में कृषि गणना कार्यों के प्रभारी जिला/ब्लॉक/तहसील (उप-जिला) स्तर के अधिकारियों को शुरू में या तो राज्य मुख्यालय या मंडल मुख्यालय में प्रशिक्षित किया जा सकता है। बदले में उन्हें प्राथमिक कार्मिकों को प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में भारत सरकार को पहले से सूचित किया जाना चाहिए ताकि फील्डवर्क के दौरान अपनाई जाने वाली अवधारणाओं, परिभाषाओं या प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षण के दौरान उठाए गए किसी भी संदेह को स्पष्ट करने के लिए कृषि गणना प्रभाग, डीए एंड एफडब्ल्यू के एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जा सके।

11.2 डीएएंडएफडब्ल्यू गणना को लागू करने में सीधे तौर पर शामिल सभी राज्य कृषि गणना अधिकारियों के प्रधान प्रशिक्षकों के लिए एक अखिल भारतीय सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा और डेटा संग्रह के दौरान प्राथमिक और पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा उपयोग के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रशिक्षण वीडियो भी प्रदान करेगा।

11.3 स्थानीय भाषा में अनुदेश मैनुअल की प्रतियां प्रशिक्षुओं को पहले से उपलब्ध कराई जा सकती हैं। प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के लिए आने से पूर्व मैनुअल और अनुसूचियों को पढ़ने का निर्देश दिया जा सकता है। इससे प्रशिक्षुओं द्वारा डेटा संग्रह की अवधारणाओं, परिभाषाओं और प्रक्रियाओं को आसानी से आत्मसात करने में सुविधा होगी। नियमावली को पढ़ते समय उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह के स्पष्टीकरण हेतु प्रशिक्षु प्रशिक्षण सत्र में तैयार होकर आ सकते हैं।

11.4 सर्वेक्षण के सफल संचालन हेतु पर्यवेक्षी और क्षेत्र स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। इनपुट सर्वेक्षण के लिए, पर्यवेक्षी स्तर के प्रशिक्षण में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए:

11.4.1 सर्वेक्षण का उद्देश्य और पद्धति।
11.4.2 सर्वेक्षण के संचालन के दौरान पालन की जाने वाली अवधारणाएँ और परिभाषाएँ।
11.4.3 अनुसूची को समझना।
11.4.4 फसलों, उर्वरकों और कीटनाशकों आदि जैसे इनपुट का कवरेज।
11.4.5 कार्य की प्रगति, पर्यवेक्षण और एकत्र किए गए डेटा की गुणवत्ता का निरीक्षण।
11.4.6 समयसीमा का पालन करने का महत्व।
11.4.7 प्रयुक्त की जाने वाली इकाई तथा दशमलव पद्धतियां।

11.5 सर्वेक्षण का उद्देश्य तथा कानूनी छूट

11.5.1 उत्तरदाता इस आशंका के कारण गणनाकर्ताओं को जानकारी देने में अनिच्छुक हो सकते हैं कि ऐसी जानकारी से काश्तकारी करार, भूमि अधिकार, किराया देयता आदि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी सरकारी अधिकारी, विशेष रूप से वे जो किसानों के सीधे संपर्क में आते हैं, वर्तमान प्रतिदर्श सर्वेक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझाएँ, जिसमें निम्नलिखित पर प्रकाश डाला गया हो:

(क) कि कृषकों द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा,

(ख) कि इसका चकबंदी, सीलिंग, काश्तकारी करार, किराया देयता आदि जैसे मामलों से कोई लेना-देना नहीं होगा।

(ग) कि उत्तरदाताओं द्वारा दी गई पूरी जानकारी गोपनीय मानी जाएगी, और

(घ) कि कानून अदालत में रिकॉर्ड और/या साक्ष्य के रूप में इसकी कोई वैधता नहीं है।

12. इनपुट सर्वेक्षण के लिए प्रारंभिक कदम

12.1 सर्वेक्षण के लिए फील्डवर्क की वास्तविक शुरुआत से पूर्व, निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए:
12.1.1 सर्वेक्षण करने के लिए एजेंसी की पहचान।
12.1.2 प्रत्येक तहसील/ब्लॉक में गांवों का चयन और पहचान।
12.1.3 इनपुट सर्वेक्षण के लिए चुने गए गांवों की संख्या और नामों का जिला गणना अधिकारियों को बताया जाना।
12.1.4 प्राथमिक कार्यकर्ताओं/गणनाकारों को गांवों का आवंटन।
12.1.5 सूचीकरण अनुसूचियों का अद्यतन करना।
12.1.6 जोतों का चयन।
12.1.7 राज्य या क्षेत्रीय मुख्यालयों पर जिला स्तरीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

12.1.8 क्षेत्रीय गणनाकारों का प्रशिक्षण।
12.1.9 चयनित गांवों में प्रचार-प्रसार।

13. गांवों का दौरा

13.1 यह आवश्यक है कि गणनाकार के गांव में आने के कार्यक्रम की सूचना राजस्व अधिकारियों के माध्यम से संबंधित परिचालक जोतों को पहले से दी जाए। ऐसी सूचना के अभाव में, हो सकता है कि गणनाकार के गांव में आने पर ऑपरेटर उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि परिचालन भू-धारकों का साक्षात्कार लिया जाए तथा दौरे के कार्यक्रम को संयुक्त प्रशिक्षण बैठक में ही अंतिम रूप दिया जाए, ताकि पटवारी धारकों को गांव में उपस्थित रहने की सूचना दे सकें। उच्च उपज देने वाली किस्मों/हाईब्रिड तथा अन्य इनपुट, जैसे, प्रमाणित बीज, बीजों के आधारभूत कार्यक्रम आदि के बारे में दी गई जानकारी की व्याख्या करने में गणनाकार की सहायता करने के लिए ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं (वीएलडब्ल्यू) को भी गांव में रहने के लिए कहा जाना चाहिए।

14. फील्डवर्क:

14.1 चूंकि डेटा एंड्रॉइड या वेब एप्लिकेशन का उपयोग करके एकत्र किया जाना है, इसलिए संबंधित नोडल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विभाग को गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए मैनपावर की उपलब्धता के आधार पर सभी प्राथमिक कार्यकर्ताओं/पर्यवेक्षकों को गांव आवंटित/आबंटित करना चाहिए। सभी प्राथमिक कार्यकर्ताओं को घरेलू जांच पद्धति के माध्यम से डेटा संग्रहण कार्य शुरू करने के लिए विकसित एप्स/सॉफ्टवेयर के साथ-साथ (चरण-I से) निकाले गए डेटा को अपने स्वयं के हाथ में पकड़े जाने वाले डिवाईस में डाउनलोड करना चाहिए।

15. डेटा जमा करने और अंतिम रूप देने का चैनल।

15.1 क्षेत्र स्तर पर डेटा संग्रह से लेकर अंतिम डेटा के प्रसार तक गणना संचालन की सभी घटक गतिविधियों को शामिल करने के लिए एक एंड टू एंड सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इससे न केवल परिणामों के प्रकाशन में लगने वाले समय में कमी आएगी बल्कि डेटा की गुणवत्ता में भी काफी सुधार होगा।

15.2 प्राथमिक कार्यकर्ता परिचालन भू-धारकों के प्रत्येक चयनित घर पर जाकर ऐप/सॉफ्टवेयर के माध्यम से हैंड-हेल्ड उपकरणों का उपयोग करके डेटा एकत्र करेंगे और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जांच के लिए एकत्र किए गए डेटा को पर्यवेक्षकों को प्रस्तुत करेंगे। पर्यवेक्षक फिर गांव स्तर पर एकत्र किए गए डेटा की पूरी तरह से जांच करेंगे और संतुष्ट होने पर प्रसंस्करण/अनुमान के लिए डेटा को स्वीकार करेंगे। यद्यपि, अगर जांच या प्रसंस्करण स्तर पर कोई गलत अनुसूची देखी जाती है, तो उसे सुधार के लिए संबंधित प्राथमिक कार्यकर्ता को वापस भेज दिया जाएगा। डेटा सुधार का यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक कि सभी प्रस्तुत किया गया सारा डेटा प्रसंस्करण/अनुमान के लिए त्रुटि मुक्त नहीं हो जाता।

15.3 इसके पश्चात, सॉफ्टवेयर जिला/राज्य/अखिल भारतीय स्तर पर तालिकाएँ तैयार करने में समर्थ होगा। परिणामों को समय पर अंतिम रूप देने के लिए, परिणामों पर चर्चा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की जानी हैं। अंतिम रूप देने के बाद, डेटा को पोर्टल के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा और इनपुट सर्वेक्षण पर अखिल भारतीय रिपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा।

15.4 संग्रह से लेकर प्रस्तुति तक डेटा प्रवाह को निम्नानुसार दर्शाया गया है:

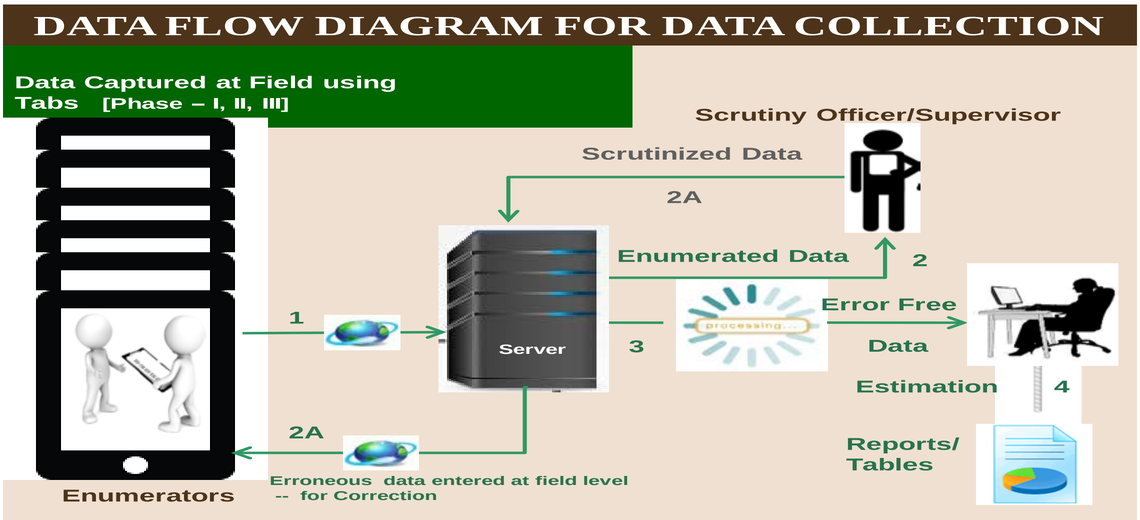

16 निगरानी एवं पर्यवेक्षण

16.1 कृषि गणना कार्यों के इनपुट सर्वेक्षण की प्रगति की निगरानी वेब पोर्टल के माध्यम से रियल टाईम के आधार पर की जाएगी। केंद्र के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्यालय में एक समर्पित टीम को कार्य की प्रगति की सक्रिय रूप से निगरानी करनी चाहिए और यदि कोई समस्या हो तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए। निगरानी प्रणाली को सशक्त करने हेतु, केंद्र/राज्य/जिला, तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/तालुका स्तर पर बहु-स्तरीय निगरानी प्रणाली अपनाई जाएगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्राथमिक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ पर्यवेक्षी अधिकारियों की भौतिक प्रगति नियमित आधार पर पोर्टल पर स्वचालित रूप से अद्यतित की जाएगी। डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने और समय पर कार्य पूर्ण करने हेतु, तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/जिला/राज्य मुख्यालय के राज्य अधिकारियों के साथ-साथ केंद्र के अधिकारियों को डेटा संग्रह अवधि के दौरान नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा/निरीक्षण करना चाहिए और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करनी चाहिए।

16.2 प्रभावी पर्यवेक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि सर्वेक्षण कार्य के विभिन्न चरणों को निर्धारित समय-सारिणी और निर्देशों के अनुसार किया जा सके। एकत्र किए गए डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में पर्यवेक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर पर्यवेक्षण का विस्तार राज्य दर राज्य अलग-अलग होगा। इस संबंध में कोई समान दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए जा सकते। हालांकि, प्रत्येक राज्य में पर्यवेक्षण की निम्नलिखित न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित की जा सकती है।

16.3 जिला गणना अधिकारियों को जिले में इनपुट सर्वेक्षण के लिए चुने गए कम से कम पांच गांवों के संबंध में परिवारों की सूची बनाने, इनपुट पर डेटा एकत्र करने आदि से संबंधित फील्डवर्क का निरीक्षण करना चाहिए। इसी प्रकार, तालुक गणना अधिकारी को भी तहसील में इनपुट सर्वेक्षण के लिए चुने गए 25 प्रतिशत गांवों का निरीक्षण करना चाहिए।

16.4 निरीक्षण में निम्नलिखित पहलू शामिल होने चाहिए।

16.4.1 क्या परिचालन जोतों का ढांचा सही ढंग से तैयार किया गया है?
16.4.2 क्या इनपुट सर्वेक्षण में जोतों का चयन सही ढंग से किया गया है?

16.4.3 क्या गणनाकर्ता ने उर्वरक, कीटनाशक, बीज, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, आईपीएम जैसे इनपुट से संबंधित जानकारी सही ढंग से एकत्र की है?

16.4.4 क्या गणनाकर्ता ने कृषि ऋण/बीमा/संचालन परिचालन भू-धारक द्वारा प्राप्त सेवाओं से संबंधित जानकारी सही ढंग से एकत्र की है?

16.4.5 क्या उपयोग किए गए कृषि उपकरणों से संबंधित जानकारी सही ढंग से दर्ज की गई है?

16.4.6 कोई अन्य बिंदु, जो निरीक्षण अधिकारी एकत्रित किए गए डेटा की गुणवत्ता और सामने आई किसी अन्य समस्या के बारे में बताना चाहता है।

16.5 हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निरीक्षण के पीछे का मुख्य उद्देश्य केवल दोष खोजने के बजाय निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना है। यह अनुशंसा की जाती है कि निरीक्षण का एक दौर पूरा होने के बाद, पर्यवेक्षी अधिकारी को सभी गणनाकर्ताओं की एक बैठक बुलानी चाहिए और उन्हें उनकी गलतियों के बारे में बताना चाहिए ताकि भविष्य के सभी कार्यों में इनसे बचा जा सके। बैठक में इसे समझाने से एक-दूसरे की गलतियों से सीखने में मदद मिलेगी। यदि आवश्यक हो, तो पर्यवेक्षी अधिकारी सर्वेक्षण में एकत्र किए जाने वाले आंकड़ों, विशेषकर खाद, कीटनाशकों और ऋण आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रगणकों को प्रत्येक अनुसूची में लागू विभिन्न जांच-बिंदुओं के बारे में समझा सकते हैं, जिनकी गुणवत्ता पिछले इनपुट सर्वेक्षण 2016-17 में संतोषजनक नहीं थी।

17. एजेंसी की पहचान

17.1 चूंकि इनपुट सर्वेक्षण हेतु घरेलू जांच दृष्टिकोण का पालन किया जाना है, इसलिए यह आवश्यक है कि जानकारी प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारियों द्वारा एकत्र की जाए, जिन्हें समान कार्य का अनुभव हो। चूंकि इनपुट सर्वेक्षण के उद्देश्य हेतु सांख्यिकीय कर्मचारियों की उपलब्धता राज्य दर राज्य अलग-अलग है, इसलिए जिला सांख्यिकी कार्यालय, तालुक सांख्यिकी कार्यालय और कृषि निदेशालय जैसे कार्यालयों में उपलब्ध तकनीकी कर्मचारियों का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर, सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी और अलग-अलग अधिकारियों द्वारा कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या और नामों को अधिसूचित किया जाना चाहिए।

18. मैनुअल

18.1 यह दिशानिर्देश मेंनुअल कृषि गणना 2021-22 के चरण III की अनुसूचियाँ दाखिल करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों के रूप में काम करेगा। यह अवधारणाओं, परिभाषाओं और प्रक्रियाओं पर एक समान रूप से पालन किए जाने वाले मार्गदर्शक के रूप में भी काम करेगा, गणना कार्य से जुड़े कर्मचारियों के प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण की प्रकृति की रूपरेखा भी निर्धारित करेगा। राज्य सरकारों को इन दिशा-निर्देशों को स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत रूप से तैयार करना चाहिए ताकि जब वे डेटा संग्रह के लिए आगे बढ़ें तो फील्ड कार्यकर्ताओं को प्रसारित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा सके। फील्डवर्क शुरू करने से पहले इस निर्देश पुस्तिका को सभी फील्ड कार्यकर्ताओं को वितरित किया जाना चाहिए।

19. प्रचार

19.1 उत्तरदाताओं को इनपुट सर्वेक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक है, जिसमें डेटा एकत्र करने के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। उत्तरदाताओं की सभी शंकाओं और आशंकाओं को दूर किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि डेटा को गोपनीय रखा जाएगा और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य जैसे कर, किराएदारी अधिकार, देनदारियों आदि के निपटान के लिए

नहीं किया जाएगा। सर्वेक्षण के वास्तविक आरंभ से पहले इस संबंध में उचित प्रचार विश्वसनीय डेटा एकत्र करने में मदद करेगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें इस उद्देश्य के लिए स्थानीय भाषाओं में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (रेडियो और टेलीविजन), पोस्टर और बोर्ड का उपयोग कर सकती हैं। इस प्रक्रिया में गांव के अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। फील्डवर्क केवल गांव के अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन देने के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए, जिनके उत्तरदाताओं के साथ संबंध उनसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने में उपयोगी होंगे।

20. स्पष्टीकरण प्राप्ति

इनपुट सर्वेक्षण 2022-23 के लिए अवधारणाओं, परिभाषाओं और प्रक्रियाओं से संबंधित कोई भी मामला, जिसे राज्य स्तर पर स्पष्ट नहीं किया जा सका हो, उसे भारत सरकार को निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए:

श्रीमती सी.एच. हनी
उप महानिदेशक-सह-कृषि गणना आयुक्त,
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
दूरभाष संख्या: 011-23383708.
ई-मेल: agcensus.krishi@nic.in

खंड – ख: कार्य और उत्तरदायित्व

21. डेटा संग्रह में हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ:

डेटा संग्रह में शामिल अधिकारियों की भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

21.1 **राज्य कृषि गणना इकाई:** केंद्र द्वारा प्रदत्त वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ कृषि गणना कार्यों के निष्पादन का उत्तरदायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपा गया है। कृषि गणना के लिए डेटा संग्रह का यह विशाल कार्य प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित कृषि गणना इकाई द्वारा समन्वित किया जाएगा है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं (जैसे पटवारी/तलाठी/ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता/कर्णम/अन्वेषक आदि) की मदद से किया जाएगा है। राज्य कृषि गणना इकाई में अधिकारियों के प्रमुख दायित्वों में शामिल हैं: (i) इनपुट सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियाँ, (ii) प्रत्येक तहसील/ब्लॉक से 7% गाँवों का चयन, (iii) चयनित 7% गाँवों की सूची तैयार करना और डीएंडएफडब्ल्यू को उपलब्ध कराना, (iv) प्रणाली प्रशासक की भूमिका की पहचान करना और उन्हें नियत करना, (v) प्राथमिक कार्मिकों/पर्यवेक्षकों की पहचान करना और लॉगिन क्रेडेंशियल बनाना, (vi) प्राथमिक कार्मिकों के साथ-साथ पर्यवेक्षकों को गाँवों का आवंटन, (vii) एनआईसी, भू-राजस्व विभाग और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय, (viii) जागरूकता/प्रचार अभियान आयोजित करना, (ix) प्राथमिक कार्मिकों/पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, (x) प्रणाली प्रशासक द्वारा प्रदत्त लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके निगरानी पोर्टल के माध्यम से डेटा संग्रह की प्रगति की निगरानी करना, (xi) नियमित फील्ड निरीक्षण करना (xii) आंकड़ों की जाँच और अंतिम रूप देना आदि। तकनीकी पहलुओं के अतिरिक्त, इकाई, जारी की गई निधि, उपयोग और अप्रयुक्त शेष निधि, यूसी जारी करने के सभी पहलुओं पर रिकॉर्ड भी रखती है और विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से वित्तीय प्रगति की निगरानी करती है।

21.2 **प्रणली प्रशासक:** प्रणाली प्रशासक की भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि डेटा संग्रह में प्रौद्योगिकी का उपयोग पहली बार प्रारंभ किया गया है। राज्य के प्रणाली प्रशासक के प्रमुख उत्तरदायित्वों में शामिल हैं: (i) राज्य में विभिन्न स्तरों पर सभी फील्ड कार्यकर्ताओं को लॉगिन क्रेडेंशियल (यूजर आईडी और पासवर्ड) आवंटित करना/प्रदान करना, (ii) डेटा संग्रह और जांच करने के लिए फील्ड कार्यकर्ताओं (प्राथमिक और पर्यवेक्षकों) को गांवों का आवंटन, (iii) फील्ड कार्यकर्ताओं और गणना संचालन में शामिल कर्मियों को नियमित तकनीकी मार्गदर्शन, (iv) आईटी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन और राज्य के सभी फील्ड कार्यकर्ताओं के लिए ऐप्स/वेब आधारित एप्लिकेशन से संबंधित सभी तकनीकी समस्याओं का समाधान करना आदि।

21.3 **पर्यवेक्षक:** पर्यवेक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि फील्ड कार्यकर्ताओं का प्रभावी पर्यवेक्षण फील्ड से गुणवत्तापूर्ण डेटा का प्रवाह सुनिश्चित करता है और निर्धारित समय-सारिणी और निर्देशों के अनुसार कार्य पूरा करता है। कभी-कभी पर्यवेक्षक को संबंधित राज्य में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर उसके अधीन काम करने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल (यूजर आईडी और पासवर्ड) बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। कृषि गणना कार्य के लिए पर्यवेक्षक (तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/जिला स्तर के अधिकारी) के रूप में नियुक्त अधिकारियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राथमिक कार्यकर्ताओं की प्रगति की सक्रिय रूप से निगरानी करनी चाहिए। पर्यवेक्षक की मुख्य जिम्मेदारी प्रसंस्करण/आकलन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्राथमिक कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए सभी आंकड़ों की जांच और अनुमोदित करना है।

21.4 **गणनाकार:** कृषि गणना के लिए डेटा संग्रह का कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के विभिन्न विभागों के गणनाकार या प्राथमिक कार्यकर्ता या क्षेत्रीय कार्यकर्ता (जैसे पटवारी/तलाठी/ब्लॉक स्तर के

कार्यकर्ता/कर्णम/अन्वेषक आदि) द्वारा किया जाता है। प्राथमिक कार्यकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह पहले आवंटित गांव के ढांचे का पूरा अद्यतनीकरण और नमूना परिचालन जोत का चयन करे। इसके बाद, प्राथमिक कार्यकर्ता निर्देश पुस्तिका के अनुसार चयनित/आबंटित गांवों की प्रत्येक चयनित जोत का दौरा करके विस्तृत डेटा संग्रह कार्य करेगा और गुणवत्तापूर्ण डेटा का संग्रह सुनिश्चित करेगा। वह निर्धारित ऐप/सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा संग्रह के लिए हैंड हेल्ड उपकरणों/लैपटॉप का उपयोग करेगा/करेगी, जो चरण-I डेटाबेस में पहले से दाखिल मूलभूत पहचान के साथ आते हैं।

अनुभाग – सी: डेटा संग्रह हेतु निर्देश

22 विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए गतिविधियों का प्रवाह आरेख:

22.1 प्रणाली प्रशासक हेतु

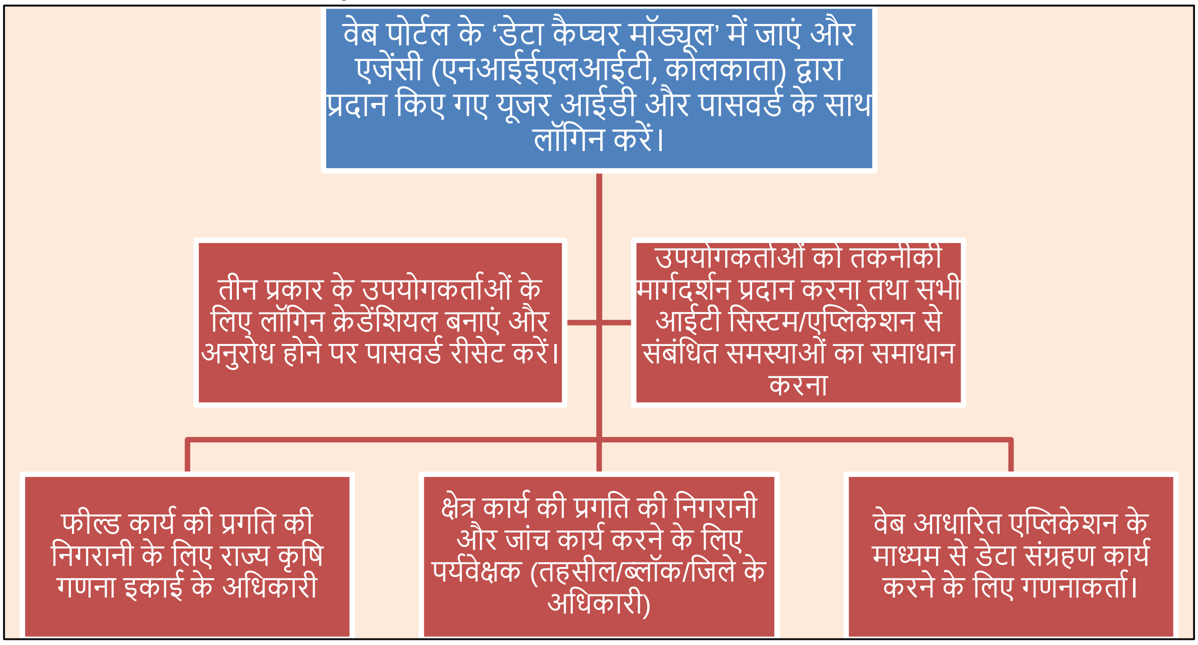

22.2 पर्यवेक्षक के लिए

22.3 गणनाकर्ता के लिए

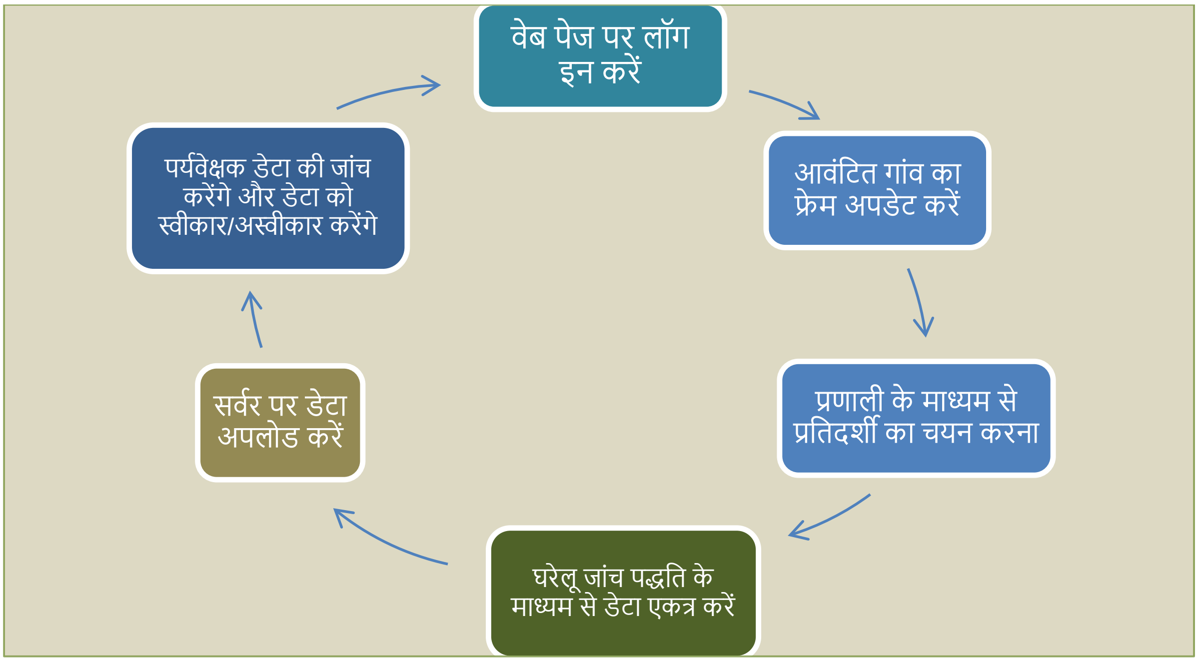

23 कृषि गणना पोर्टल तक पहुँचने के निर्देश:

23.1 कृषि गणना 2021-22 वेब पोर्टल तक पहुँचने के लिए, वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में 'http://agcensus.gov.in' टाइप करें या वैकल्पिक रूप से गूगल जैसे सर्च इंजन से 'agcensus.gov.in' खोजें और लिंक पर क्लिक करें। कृषि गणना 2021-22 वेब पोर्टल का लिंक 'http: //agcensus.nic.in' पर भी उपलब्ध है। कृषि गणना का निम्नलिखित होम पेज खुलेगा

:

23.2 होमपेज पर डैशबोर्ड, डेटा कैप्चर और रिपोर्ट एवं उपयोगी दस्तावेज़ के विकल्प होंगे। डेटा कैप्चर विकल्प में लॉगिन करने के बाद ही फील्डवर्क करने की प्रक्रिया शुरू होगी। डैशबोर्ड के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति विभिन्न स्तरों पर कार्य की प्रगति को देख सकता है और निगरानी कर सकता है। निर्देशों की पुस्तिका, प्रशिक्षण वीडियो और परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ 'उपयोगी दस्तावेज़' के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

24 उपयोगकर्ताओं के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने के लिए प्रणाली प्रशासक हेतु निर्देश:

24.1 विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल केवल वेब आधारित एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही बनाए जाएँगे, जिसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता

होगी। वेब पोर्टल के डेटा कैप्चर मॉड्यूल में प्रवेश करने के लिए, आपको पंजीकृत उपयोगकर्ता होना चाहिए। सर्वप्रथम, एजेंसी (एनआईईएलआईटी, कोलकाता) राज्य के प्रणाली प्रशासक को उन सभी कर्मियों के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने का विशेषाधिकार देगी, जो राज्य में इनपुट सर्वेक्षण कार्य करने में शामिल होंगे। सामान्यतः प्रणाली प्रशासक को तीन प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने की आवश्यकता होगी:

24.1.1 फील्डवर्क की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य कृषि गणना इकाई के अधिकारी।

24.1.2 फील्डवर्क की प्रगति की निगरानी और जांच कार्य करने के लिए पर्यवेक्षक (तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/जिला अधिकारी)। कभी-कभी, उन्हें उनके अधिकार क्षेत्र के तहत काम करने वाले प्राथमिक कार्मिकों के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने के लिए प्रणाली प्रशासक की भूमिका भी सौंपी जा सकती है।

24.1.3 एंड्रॉयड आधारित या वेब आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा संग्रह कार्य करने के लिए गणनाकर्ता।

24.2 प्रारंभ करने के लिए, प्रणाली प्रशासक सबसे पहले वेब पोर्टल के 'डेटा कैप्चर मॉड्यूल' में प्रवेश करेगा और एजेंसी (एनआईईएलआईटी, कोलकाता) द्वारा प्रदत्त उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए उनके निर्धारित उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए मुख्य मेनू पृष्ठ प्रदर्शित होगा। यहां, केवल प्रणाली प्रशासक को उपयोगकर्ताओं के लॉगिन क्रेडेंशियल को रीसेट करने का अधिकार होगा और किसी भी उपयोगकर्ता के अनुरोध पर इसे रीसेट या फिर से बनाया जा सकेगा। यद्यपि, राज्य में प्रचलित प्रशासनिक प्रणाली के आधार पर, प्रणाली प्रशासक पर्यवेक्षकों (तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/जिला स्तर के अधिकारियों) को गणनाकर्ता (प्राथमिक कार्यकर्ताओं) के लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने का उत्तरदायित्व भी सौंप सकता है।

24.3 विभिन्न उपयोगकर्ताओं हेतु उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल बनाने हेतु चरण-दर-चरण निर्देशिका निम्नानुसार है:

इस गतिविधि को प्रारंभ करने से पूर्व, उपयोगकर्ताओं के नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर आदि जैसी जानकारी की आवश्यकता होती है और इसलिए इसे एकत्र करने की आवश्यकता होती है। विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल बनाने के लिए चरण-दर-चरण निर्देशिका निम्नानुसार है:

- **प्रणाली प्रशासक द्वारा:**

24.3.1 **राज्य अधिकारी:** उपयोगकर्ता सृजन विकल्प पर जाएं और नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल-आईडी आदि जैसी सभी आवश्यक जानकारी भरकर चरण- III के लिए राज्य अधिकारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार करें।

24.3.2 **पर्यवेक्षक (तहसील (उप-जिला)/ब्लॉक/जिला अधिकारी):** सेटअप विकल्प के अंतर्गत उपयोगकर्ता सृजन पर जाएं और अधिकार क्षेत्र जैसे जिला, तहसील (उप-जिला) और गांव निर्दिष्ट करके और पर्यवेक्षकों के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल-आईडी आदि सभी आवश्यक फील्ड दर्जक करे चरण- III के लिए **पर्यवेक्षकों** के लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार करें।

- **पर्यवेक्षक/प्रणाली प्रशासक द्वारा:**

24.3.3 **गणनाकर्ता:** यदि पर्यवेक्षकों को प्रणाली प्रशासक द्वारा गणनाकर्ताओं के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार करने का कार्य भी सौंपा जाता है, तो उन्हें प्रणाली प्रशासक द्वारा

प्रदत्त यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा और निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

गणनाकर्ता सृजन विकल्प पर जाएं और तो वेब आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा संग्रह करने के तरीके का विकल्प चुनें और डेटा संग्रह करने के लिए जिला, तहसील (उप-जिला) और गांवों जैसे अधिकार क्षेत्र को आवंटित करें और अंत में गणनाकर्ता क्रेडेंशियल जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल-आईडी आदि दर्ज कर चरण-III के लिए गणनाकर्ताओं के लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार करें।

25. जांच कार्य हेतु पर्यवेक्षकों को निर्देश:

25.1 प्रणाली प्रशासक द्वारा प्रदत्त यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। इस मुख्य मेनू पेज के माध्यम से, पर्यवेक्षक सबसे पहले 'चरण-III' मेनू पर जाएंगे और फिर **'डेटा की संवीक्षा'** विकल्प का चयन करेंगे, जिससे चरण-III अनुसूची की संवीक्षा के लिए एक पृष्ठ प्रदर्शित होगा। उस गांव का चयन करें जिसके लिए संवीक्षा की जानी है और एकत्रित डेटा और अनुसूची भी देखें।

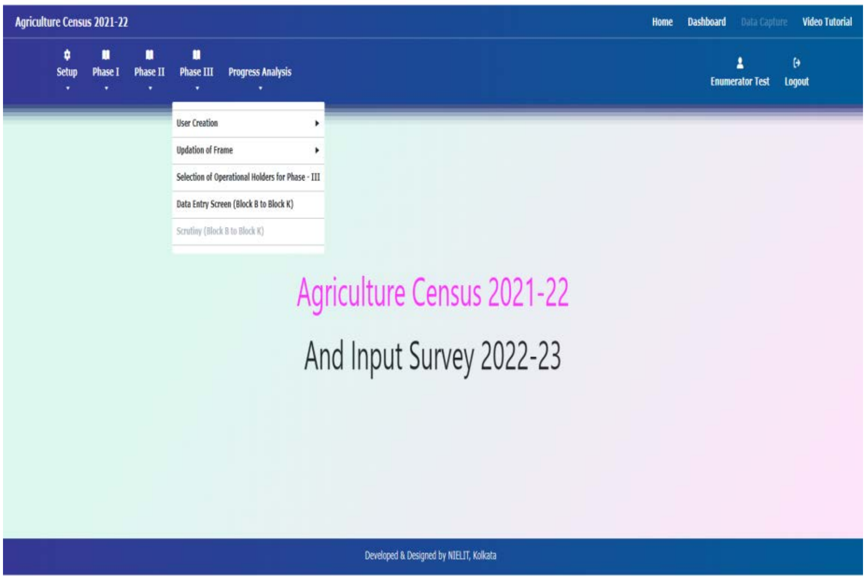

25.2 संवीक्षा के पश्चात, पर्यवेक्षक एकत्रित डेटा की गुणवत्ता के आधार पर अनुसूची को स्वीकार या अस्वीकार करें। अस्वीकृत अनुसूची को पुन: सुधार हेतु संबंधित प्राथमिक कार्यकर्ता को वापस भेजा जाएगा और गणनाकर्ता द्वारा आवश्यक सुधार के पश्चात संवीक्षा के लिए पुन: प्रस्तुत किया जाएगा। अस्वीकृत अनुसूची पर, पर्यवेक्षक को अस्वीकृति के कारण बताने चाहिए ताकि संबंधित प्राथमिक कार्यकर्ता आसानी से गलत डेटा में सुधार कर सके। केवल स्वीकृत और सत्यापित डेटा को ही आगे की प्रक्रिया के लिए केंद्रीय सर्वर पर उपलब्ध कराया जाएगा। संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए:

(i) चयनित गांव में सभी प्रतिदर्श सर्वेक्षण संख्या/क्षेत्र को संज्ञान में लिया गया है।
(ii) परिचालन जोत का हिस्सा बनने वाले प्रत्येक सर्वेक्षण संख्या के संबंध में दिए गए क्षेत्र के आंकड़े चरण-I डेटाबेस से सही प्रकार से प्राप्त किए गए हैं।
(iii) अनुसूची में सभी फ़ील्ड सही प्रकार से भरे गए हैं।
(iv) अनुसूची में दिया गया डेटा सुसंगत हैं।
(v) सही कोड का उपयोग/भरा/चयन किया गया है।

26 फ्रेम के अद्यतनीकरण और प्रतिदर्शों के चयन हेतु प्राथमिक कार्यकर्ता को चरणबद्ध अनुदेश:

26.1 प्रणाली प्रशासक द्वारा प्रदत्त यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके वेब-पेज पर लॉग इन करें। लॉग इन करने के पश्चात, प्राथमिक कार्यकर्ता को फ्रेम (पूर्ण और विस्तृत) के अद्यतनीकरण के

लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए जो इनपुट सर्वेक्षण के सफल संचालन और विश्वसनीय अनुमानों के सृजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है:

26.1.1 चरण-1 चरण-I से परिचालन भू-धारक का खाता: पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रत्येक घर का दौरा करके आवंटित गांव के परिचालन भू-धारकों के फ्रेम को अद्यतित करना है। सबसे पहले **"फ्रेम का अद्यतनीकरण"** के तहत **"परिचालन भू-धारकों का खाता"** विकल्प पर जाएं और आवंटित गांव का चयन करें; और फिर चरण-I डेटाबेस से प्राप्त किए गए आवंटित गांव के सभी निवासी परिचालन भू-धारकों के मूल विवरण वाले निवासी परिचालन भू-धारकों (संस्थागत जोत को छोड़कर) का खाता डाउनलोड करें।

26.1.2 जिस खाते को अद्यतन करने की आवश्यकता है, उसमें काश्तकार के प्रकार और पट्टे पर संचालित क्षेत्र के संगत क्षेत्र **(अनुसूची-एल: अनुबंध-II)** पर अतिरिक्त फ़ील्ड शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सूची (या फ्रेम) **आवंटित गाँव के प्रत्येक घर** का दौरा करके सर्वेक्षण के संदर्भ वर्ष के लिए पूर्ण, विस्तृत और अद्यतित हो। फ्रेम (चरण-I डेटाबेस) के अद्यतन के दौरान प्राथमिक कार्यकर्ता को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए:

26.1.3 **चरण-2 परिचालन भू-धारक को अद्यतित करें:**

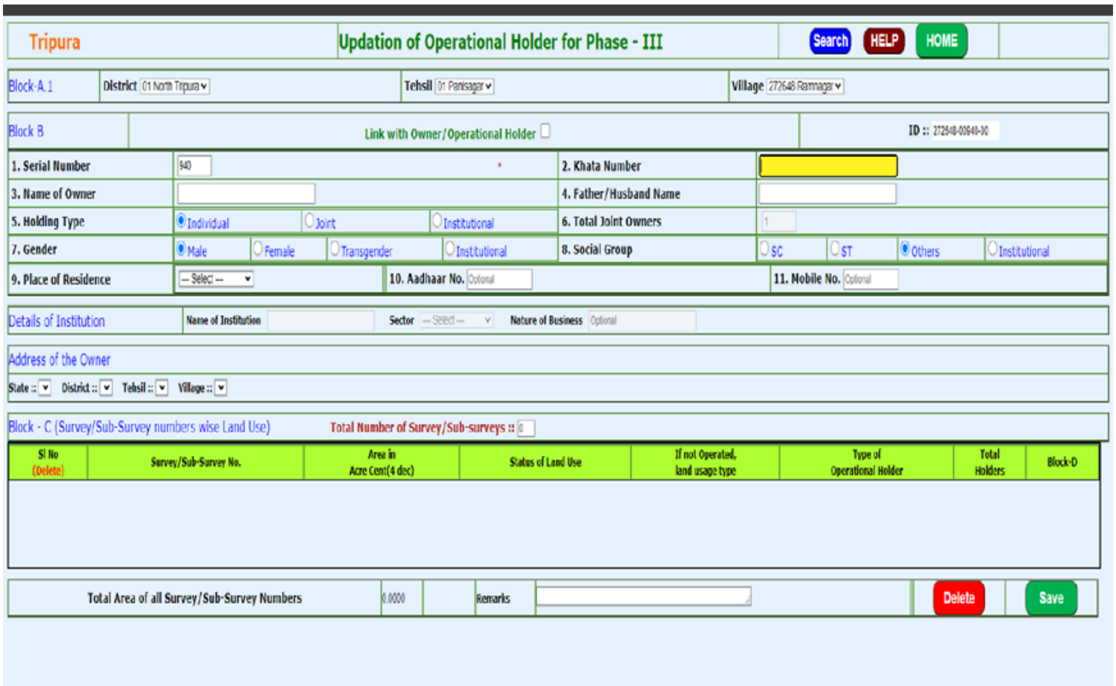
Tripura | Updation of Operational Holder for Phase - III | Search | HELP | HOME

Block-A.1 | District 01 North Tripura | Tehsil 01 Panisagar | Village 272648 Ramnagar

Block B | Link with Owner/Operational Holder | ID :: 272648-00940-30

1. Serial Number	940			2. Khata Number				
3. Name of Owner				4. Father/Husband Name				
5. Holding Type	Individual	Joint	Institutional	6. Total Joint Owners	1			
7. Gender	Male	Female	Transgender	Institutional	8. Social Group	SC	ST	Others	Institutional
9. Place of Residence	-- Select --	10. Aadhaar No.	Optional	11. Mobile No.	Optional			

Details of Institution | Name of Institution | Sector -- Select -- | Nature of Business Optional

Address of the Owner
State :: District :: Tehsil :: Village ::

Block - C (Survey/Sub-Survey numbers wise Land Use) | Total Number of Survey/Sub-surveys :: 0

Sl No (Delete)	Survey/Sub-Survey No.	Area in Acre Cent(4 dec)	Status of Land Use	If not Operated, land usage type	Type of Operational Holder	Total Holders	Block-D

Total Area of all Survey/Sub-Survey Numbers | 0.0000 | Remarks | Delete | Save

• सूची से गैर-निवासी परिचालन भू-धारकों, मानित परिचालन भू-धारकों और संस्थागत जोतों को सूची से हटाए जाने के लिए, यदि पाए जाते हैं तो, क्योंकि ये सर्वेक्षण के दायरे से बाहर हैं।
• भू-धारिता के संचालित क्षेत्र की स्थिति में विभाजन या वृद्धि या स्थिति में परिवर्तन और आकार में परिणामी परिवर्तनों को शामिल करना;
• यदि मध्यवर्ती अवधि के दौरान कोई परिवर्तन हुआ है तो भू-धारिता के मूल विवरण को संपादित करना/जोड़ना/हटाना।
• यदि मध्यवर्ती अवधि के दौरान परिचालन भू-धारक में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे हटाना या जोड़ना।

• यदि परिचालन भू-धारक पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का परिचालन कर रहा है तो चरण-I में एकत्र किए गए डेटा के अलावा काश्तकारी के प्रकार (1-निश्चित धन, 2-निश्चित उपज, 3-उत्पादन का हिस्सा, 4-रिश्तेदारों से कोई विशिष्ट शर्तें नहीं, 5-अन्य) और पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के संगत क्षेत्र को एकत्र करना या रिकॉर्ड करना।

अद्यतनीकरण कार्य के दौरान जांच विशेष रूप से निम्नलिखित से संबंधित होनी चाहिए:

• क्या अतिरिक्त भूमि की खरीद/पट्टे पर लेने या कुछ भूमि की बिक्री/पट्टे पर देने के माध्यम से संचालित क्षेत्र में कोई वृद्धि/कटौती हुई है?
• क्या सरकार द्वारा कृषि के लिए कोई अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई है?
• क्या भू-धारिता का कोई विभाजन हुआ है?
• क्या कोई व्यक्ति गांव में आया है और संदर्भ अवधि के दौरान कृषि की है?
• क्या किसी पुराने संचालित भू-धारक का संपूर्ण परिवार गांव से बाहर चला गया है?
• कोई अन्य प्रासंगिक बिंदु जो प्राथमिक कार्यकर्ता या गणनाकर्ता इनपुट सर्वेक्षण के लिए आवश्यक समझते हैं।

26.1.4 सर्च ऑप्शन पर जाएं और चरण-I से सभी परिचालन भू-धारक देखे और फिर उन परिचालन भू-धारकों का चयन करें जिनके लिए गणनाकर्ता विवरण भरना चाहता है और अधिकांश डेटा जैसे नाम, पिता/पति का नाम, सर्वेक्षण संख्या, खाता संख्या इत्यादि पहले से ही भरे हुए होंगे।

26.1.5 यदि किसी विशेष भू-धरिता का विभाजन हुआ है, तो मूल धारक का नाम संशोधित डेटा के साथ उसी स्थान पर रखा जा सकता है लेकिन विभाजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न नए भू-धारक का नाम इस टिप्पणी के साथ अंत में दर्ज किया जा सकता है कि वह नया भू-धारक है। साथ ही, कोई भी नया परिवार जो मध्यवर्ती अवधि के दौरान आया हो, उसे सूची के अंत में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और इस नए परिवार से डेटा एकत्र किया जाना चाहिए।

26.1.6 चरण-3: प्राथमिक कार्यकर्ता द्वारा परिचालन भू-धारकों के खाते की हार्ड कॉपी (कलम और कागज) का उपयोग करके परिचालन भू-धारकों के फ्रेम को अद्यतित करने के पश्चात, इसे **"फ्रेम का अद्यतन"** के अंतर्गत **"परिचालन भू-धारकों के खाते को अद्यतित करें"** पर जाकर प्रणाली में अद्यतित किया जाना है। खाते को अद्यतित करने के लिए जोड़ने/हटाने/संशोधन के लिए उपलब्ध कराए गए प्रावधान का उपयोग किया जा सकता है। यदि अद्यतन के समय कोई समस्या उत्पन्न होती है तो शीघ्र समाधान के लिए प्रणाली प्रशासक से संपर्क किया जा सकता है और सेव बटन पर क्लिक करके अद्यतित आंकड़ों को सुरक्षित किया जा सकता है।

26.1.7 चरण-4: "फ्रेम का अद्यतन" के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से **"परिचालन भू-धारकों के अद्यतित खाते"** पर जाएं और सत्यापन/पुष्टि के लिए अद्यतित सूची (आकार वर्ग-वार) तैयार करें। यदि कोई त्रुटिपूर्ण आंकड़ा पाया जाता है, तो गांव में परिचालन भू-धारकों के वास्तविक प्रतिदर्श चयन प्रारंभ करने से पहले अद्यतित फ्रेम को संशोधित करके इसे सुधारा जा सकता है।

परिचालन भू-धारकों का प्रतिदर्श चयन:

26.1.8 चरण-5: "डेटा संग्रह के लिए प्रतिदर्श चयन" पर जाएँ और **"परिचालन भू-धारकों का नमूना चयन"** (आकार वर्ग-वार) और **"नमूना चयन की तालिका"** पर क्लिक करके एसआरएसडब्ल्यूओआर के साथ पाँच (5) आकार वर्गों में से प्रत्येक से छह (6) परिचालन भू-धारकों के नमूने तैयार करें (चार के अलावा दो और नमूने का चयन आकस्मिक नमूने के लिए आरक्षित के रूप में किए जाते हैं) यादृच्छिक नमूनों का यह चयन सिस्टम के माध्यम से स्वचालित रूप से तैयार किया जाएगा और इसके लिए नमूना तालिकाएँ अनुबंध-I में दी गई हैं।

27. चयनित भू-धारकों की अनुसूचियां भरने के लिए प्राथमिक कार्यकर्ताओं को निर्देश:

27.1 प्राथमिक कार्यकर्ता खाता अद्यतन और प्रतिदर्श चयन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही इस मॉड्यूल **"डेटा एंट्री स्क्रीन"** में प्रवेश कर सकते हैं। इस मॉड्यूल के अंतर्गत, 13 ब्लॉक हैं जो सभी गाँवों के लिए समान हैं जिन्हें चयनित गाँवों के सभी चयनित जाता के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा या भरा जाएगा। ये ब्लॉक निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	**ब्लॉक का नाम**	**विवरण**
1	ब्लॉक क	पहचान विवरण
2	ब्लॉक ख	जनसांख्यिकीय प्रोफाइल
3	ब्लॉक ग	आर्थिक प्रोफ़ाइल
4	ब्लॉक घ	शैक्षिक और तकनीकी प्रोफ़ाइल
5	ब्लॉक ङ	कृषि सेवाओं की सदस्यता/उपयोग
6	ब्लॉक च	जैविक कृषि संबंधी जानकारी
7	ब्लॉक छ	2022-23 के दौरान परिचालन भू-धारक द्वारा प्राप्त कृषि ऋण
8	ब्लॉक ज	2022-23 के दौरान बीजों के उपयोग, आईपीएम और मृदा परीक्षण की जानकारी
9	ब्लॉक झ	कृषि औजारों/मशीनों/उपकरणों का उपयोग
10	ब्लॉक ञ	भू-खंड-वार फसल पैटर्न
11	ब्लॉक ट1	कृषि वर्ष 2022-23 (जुलाई 2022 – जून 2023) के दौरान सिंचित फसलों का क्षेत्रफल तथा रासायनिक उर्वरकों, बीजों, खादों एवं कीटनाशकों का उपयोग
12	ब्लॉक ट2	कृषि वर्ष 2022-23 (जुलाई 2022 – जून 2023) के दौरान असिंचित फसलों का क्षेत्रफल तथा रासायनिक उर्वरकों, बीजों, खादों एवं कीटनाशकों का उपयोग
13	ब्लॉक ट	सभी ब्लॉकों की सत्यापन स्थिति

प्राथमिक कार्यकर्ता, चरण-III मेनू पृष्ठ के अंतर्गत "डेटा प्रविष्टि स्क्रीन" विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात, डेटा संग्रह स्क्रीन में प्रवेश करेंगे। सभी चयनित जोतों के सभी खाता/सर्वेक्षण संख्याओं के लिए डेटा एकत्र किया जाना है, जो सूचीकरण अनुसूची के डेटाबेस से प्राप्त करके ब्लॉक-क में उपलब्ध कराए गए हैं।

27.1.1 **ब्लॉक-क: पहचान विवरण:** चयनित गांवों में सभी चयनित जोतों के सभी **अद्यतित खाता/सर्वेक्षण संख्याएं** परिवार-दर-परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से पूर्वांकित रूप में इस ब्लॉक में उपलब्ध कराई जाएंगी।

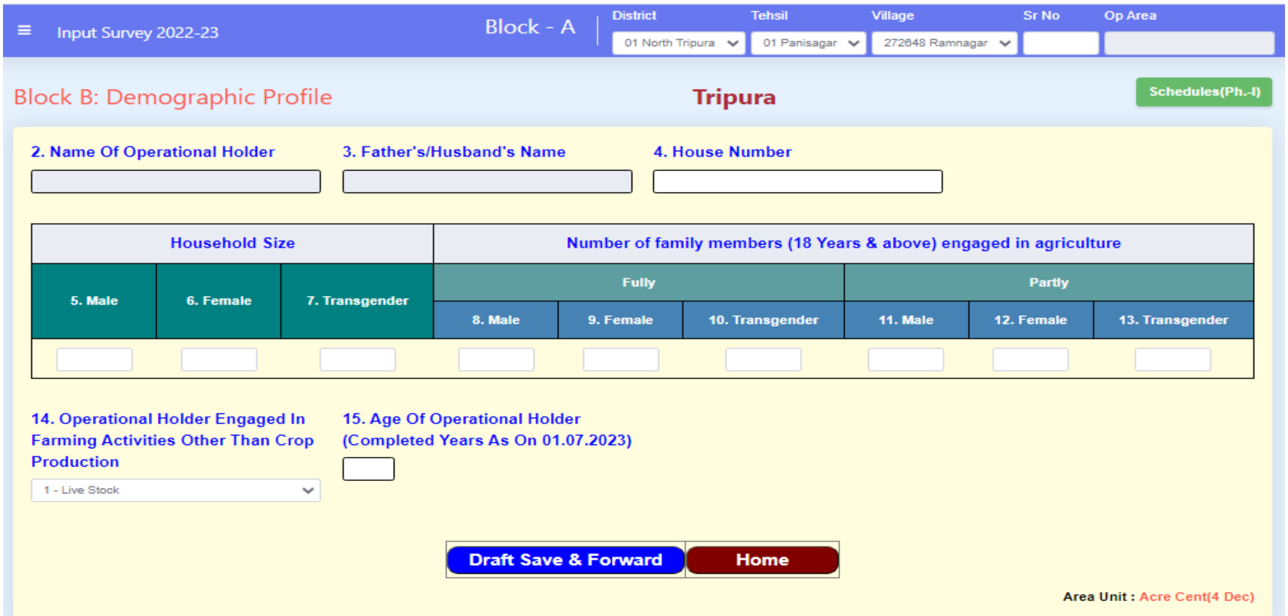

27.1.1.1 **मद 1 और 2: जिला और तहसील:** ये दोनों मदें आवंटित गांवों की अनुसूचियां भरने के लिए पहले से भरी हुई आएंगी।

27.1.1.2 **मद 3: गांव:** आवंटित गांवों की अनुसूची भरने के लिए ड्रॉप-डाउन सूची से गांव का चयन करें। यदि आवंटित गांव ड्रॉप डाउन सूची में नहीं दिखाई देता है, तो कृपया पर्यवेक्षक/प्रणाली प्रशासक से सम्पर्क करें।

27.1.1.3 **मद 4 और 5: क्रम संख्या और संचालित क्षेत्र:** चूंकि सभी चयनित जोतों का मूल विवरण अद्यतित सूचीकृत डेटाबेस से प्राप्त किया जाता है इसलिए उपलब्ध बटन **"शेड्यूल (चरण-I)"** पर क्लिक करें, जो इनपुट सर्वेक्षण के लिए संचालित क्षेत्र के साथ परिचालन भू-धारक और पिता के नाम सहित अद्यतित भू-धारिता की सभी चयनित सूची की एक स्क्रीन प्रदर्शित करेगा। इसके पश्चात किसी भी रिकॉर्ड का चयन करें जहाँ शेष ब्लॉकों में डेटा भरा जाना है। चयन के पश्चात, ब्लॉक-क में ये दो मदें, और ब्लॉक-ख के मद-2 (परिचालन भू-धारक का नाम) और मद-3 (पिता/पति का नाम) पूर्वांकित दिखेंगे।

27.1.2 **ब्लॉक ख:प्रोफ़ाइल जनसांख्यिकी-**

27.1.2.1 **मद 2 और 3: परिचालन भू-धारक का नाम और पिता:नाम का पति/** इन दो मदों को अद्यतित सूची डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा और ब्लॉक-क में चयनित क्रम संख्या के लिए पूर्वांकित रूप से दर्शाया जाएगा।

27.1.2.2 मद 4: मकान संख्या: परिचालन भू-धारक की वही मकान संख्या जो घर-सूचीकरण के दौरान दर्ज की गई है उसे अद्यतित सूची डेटाबेस से दर्ज या प्राप्त किया जाएगा है।

27.1.2.3 **मद 5, 6 और 7: परिवार का आकार:** सभी व्यक्ति, लिंग और आयु पर विचार किए बिना, जो परिचालन भू-धारक के परिवार के सामान्य सदस्य हैं और डेटा संग्रह के समय मौजूद थे या नहीं, की गणना इन मदों के तहत पुरुष और महिला की संख्या दर्ज करने के लिए गणना की जाएगी।

कृषि से संबंधित गतिविधियों सहित कृषि में संलग्न परिवार के सदस्यों की संख्या (18 वर्ष और उससे अधिक)

27.1.2.4 **मद 8-10: पूर्ण रूप से :(ट्रांसजेंडर/महिला/पुरुष)** परिचालन भू-धारक के परिवार के उन सदस्यों की संख्या दर्ज करें जो संबद्ध गतिविधियों सहित कृषि में पूर्ण रूप से कार्यरत हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक है।

27.1.2.5 **मद 11-13: आंशिक रूप से :(ट्रांसजेंडर/महिला/पुरुष)** परिचालन भू-धारक के परिवार के उन सदस्यों की संख्या दर्ज करें जो संबद्ध गतिविधियों सहित कृषि में आंशिक रूप से कार्यरत हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक है।

27.1.2.6 **मद 14: फसल उत्पादन के अतिरिक्त अन्य कृषि गतिविधियों में संलग्न परिचालन भू-धारक:** यदि परिचालन भू-धारक फसल उत्पादन के अतिरिक्त अन्य कृषि गतिविधियों में भी संलग्न है तो गणनाकर्ता को गतिविधियों की ड्रॉप-डाउन सूची में से एक विकल्प चुनना होगा। पशुधन हेतु विकल्प 1, मुर्गी पालन हेतु 2, मत्स्य पालन हेतु 3, अन्य हेतु 4 और कोई नहीं के लिए 5 का चयन करें।

27.1.2.7 **मद 15: परिचालन भू-धारक की आयु (01.07.2023 को पूर्ण वर्ष):** गणनाकर्ता परिचालन भू-धारक की आयु 01.07.2023 को पूर्ण वर्षों में दर्ज करेगा।

27.1.3 **ब्लॉक ग:प्रोफ़ाइल आर्थिक :** परिचालन भू-धारक की आर्थिक प्रोफ़ाइल की जानकारी इस ब्लॉक में निम्नानुसार भरी जाएगी:

27.1.3.1 **मद 2: परिचालन भू-धारक की आय का मुख्य स्रोत:** इस उद्देश्य हेतु, परिचालन भू-धारक को केवल आर्थिक गतिविधियों से अर्जित आय पर विचार किया जाएगा। परिचालन भू-धारक को सबसे पहले 'स्व-रोजगार', 'नियमित वेतन/वेतनभोगी', 'आकस्मिक श्रमिक' या 'अन्य' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, **जो परिचालन भू-धारक की आय के प्रमुख स्रोत पर निर्भर करेगा।** कोड हैं: स्व-रोजगार के लिए 1, नियमित वेतन/वेतनभोगी के लिए 2, आकस्मिक श्रमिक के लिए 3 और अन्य के लिए 4 परिचालन भू-धारक के लिए, जिसकी आर्थिक गतिविधियों से कोई आय नहीं है, उसे "अन्य" के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

परिचालन भू-धारक की आय के प्रमुख स्रोत के आधार पर परिचालन भू-धारक को आगे विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा है:

स्व:रोजगार-
फसल उत्पादन.. 1
पशुधन... 2
अन्य कृषि गतिविधियाँ..3
गैर- कृषि उद्यम..4
नियमित वेतन/वेतनभोगी आय:
कृषि...5
गैर- कृषि...6
आकस्मिक श्रम:
कृषि................................. 7
गैर- कृषि...8
अन्य (पेंशनभोगी, विप्रेषित धन प्राप्तकर्ता, छात्र, घरेलू गतिविधियों में लगे हुए आदि)

परिचालन भू-धारक को मोटे तौर पर 'स्व-रोजगार' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे आगे चार श्रेणियों में से एक में वर्गीकृत किया जाएगा: 'फसल उत्पादन', 'पशुधन', 'अन्य कृषि गतिविधियाँ' या 'गैर-कृषि उद्यम'।

(क) यदि परिचालन भू-धारक की मुख्य आय खेत की फसलों (चारा फसलों सहित), फलों, अंगूर, मेवों, बीजों, नर्सरी में पौधों, कंदों, सब्जियों और फूलों को खुले में और कांच के नीचे उगाने, चारा फसलों आदि के उत्पादन, या चाय, कॉफी, कोको, रबड़ आदि जैसे बागान फसलों के उत्पादन, या भूखण्डों में वन उत्पादन से है जो कि गणना जोत का हिस्सा है - पारिवारिक वर्गीकरण 'फसल उत्पादन' होगा।

(ख) यदि परिचालन भू-धारक की मुख्य आय पशुधन और पशुधन उत्पादों, मुर्गी पालन और मुर्गी पालन उत्पादों, मछली, शहद, खरगोशों, फर वाले जानवरों और रेशम-कीट कोकून के उत्पादन से है - पारिवारिक वर्गीकरण 'पशुओं की खेती' होगा।

(ग) फसल उत्पादन या पशुपालन के अतिरिक्त कृषि गतिविधियों से प्रमुख आय वाले परिचालन भू-धारक को 'अन्य कृषि गतिविधियों' में वर्गीकृत किया जाएगा।

(घ) गैर-कृषि उद्यमों में स्वरोजगार से प्रमुख आय वाले परिचालन भू-धारक को 'गैर-कृषि उद्यम' में वर्गीकृत किया जाएगा।

नियमित मजदूरी/वेतन कमाने वाले और आकस्मिक श्रम की प्रत्येक व्यापक श्रेणी के भीतर, दो विशिष्ट परिचालन धारक प्रकार, अर्थात **'कृषि में'** और **'गैर-कृषि में'** से विभाजित किया जाएगा, जो संदर्भ वर्ष के दौरान कृषि गतिविधियों और गैर-कृषि गतिविधियों से उनकी प्रमुख आय पर निर्भर करेगा।

27.1.3.2 **मद-3: कृषि उत्पादन का मुख्य उद्देश्य:** एक परिचालन भू-धारक उत्पादन के स्व-उपभोग या लाभ कमाने के लिए कृषि गतिविधियों में संलग्न हो सकता है। अत:, मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित कोडों के अनुसार दर्ज किया जाएगा: 1 - स्व-उपभोग, 2 - बिक्री के लिए, 3 - दोनों (स्व-उपभोग और बिक्री)।

27.1.3.3 **मद-4: यदि कॉलम 3 में कोड 2 या 3 है तो कृषि उत्पाद जिसे बेचे जाते हैं:** कृषि उत्पादों के निपटान हेतु, जिस एजेंसी को उत्पाद बेचा गया था, उसे निम्नलिखित कोडों के अनुसार दर्ज किया जाएगा:

1 - स्थानीय बाजार (सहित व्यापारियों स्थानीय), 2 - एपीएमसी बाजार, 3 - इनपुट व्यापारी, 4 - सहकारी, 5 - सरकारी एजेंसियां, 6 - किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), 7 - निजी प्रसंस्करणकर्ता, 8 - अनुबंध खेती प्रायोजककंपनियां/, 9 - अन्य।

जब उत्पाद स्थानीय बाजार या मंडी (छोटे शहरों और कस्बों में स्थित बाजार, जहां आस-पास के गांवों के किसान फसलोपरांत कृषि उपज लाते हैं और जहां व्यापारी उनसे यह उपज खरीदते हैं) या स्थानीय निजी व्यापारियों या अन्य घरों को बेचा जाता है, तो '01' कोड दर्ज किया जा सकता है। जब उत्पाद एएमपीसी बाजार (कृषि उपज बाजार समिति द्वारा विनियमित, राज्य सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक बाजार समिति) को बेचा जाता है तो '02' कोड दर्ज किया जा सकता है।

इनपुट डीलर वे लोग हैं जो बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मवेशी/मुर्गी चारा, मछली पकड़ने का जाल, स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई मशीनरी, तेल इंजन/ट्रैक्टर/मछली पकड़ने वाली नावों के स्पेयर पार्ट्स, मुर्गीपालन/बागवानी के लिए आवश्यक उपकरण आदि जैसे कृषि इनपुट प्रदान करने की गतिविधियों में लगे हुए हैं। जब उत्पाद इनपुट डीलरों को बेचा जाता है तो एजेंसी कोड '03' के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

जब उत्पाद सहकारी समितियों को बेचा जाता है तो '04' कोड दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां प्रमुख निपटान सरकारी एजेंसियों (जैसे, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय जूट निगम (जेसीआई), भारतीय कपास निगम (सीसीआई), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), राज्य खाद्य निगम, राज्य नागरिक आपूर्ति आदि) को किया गया था, कोड '05' दर्ज किया जा सकता है।

जब उत्पाद किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बेचा गया था, तो प्रमुख निपटान के खिलाफ कोड '06' दर्ज किया जाना है। निजी प्रसंस्करणकर्ता वे निजी एजेंसियां/व्यक्ति हैं जो कृषि उपज के संरक्षण और प्रबंधन हेतु की जाने वाली गतिविधियों में लगे हुए हैं और इसे भोजन, चारा, फाइबर, ईंधन या औद्योगिक कच्चे माल के रूप में उपयोग करने योग्य बनाते हैं। निजी प्रसंस्करणकर्ताओं को किए गए निपटान के लिए '07' कोड दर्ज किया जा सकता है।
यदि उत्पाद 'अनुबंध खेती प्रायोजकों/ कंपनियों' को बेचा जाता है तो '08' कोड दिया जा सकता है। अन्य सभी प्रकार के निपटान हेत '09' कोड दर्ज किया जाएगा।

27.1.3.4 **मद-5: क्या आप बिक्री परिणाम से संतुष्ट हैं?** प्रत्येक कटी हुई फसल के बड़े पैमाने पर निपटान हेतु, बिक्री परिणाम के साथ परिचालन धारक की संतुष्टि का स्तर निम्नलिखित कोडों के अनुसार दर्ज किया जाएगा: संतोषजनक के लिए 1 और असंतोषजनक के लिए 2। यदि बिक्री परिणाम संतोषजनक नहीं है (यथा कोड-2 चुना गया है), तो निम्नलिखित कोड का चयन करके इसका कारण दर्ज करें: बाजार मूल्य से कम के लिए 1, विलंबित भुगतान के लिए 2, उधार लिए गए ऋणों हेतु कटौती के लिए 3, दोषपूर्ण वजन और ग्रेडिंग के लिए 4, असंतोष के अन्य कारण के लिए 5।

27.1.4 **ब्लॉक घ-शिक्षा एवं तकनीकी प्रोफ़ाइल:** इस ब्लॉक में, प्राथमिक कार्यकर्ता को निम्नलिखित मदों में परिचालन भू-धारक की शिक्षा और तकनीकी प्रोफ़ाइल का विवरण भरना चाहिए:

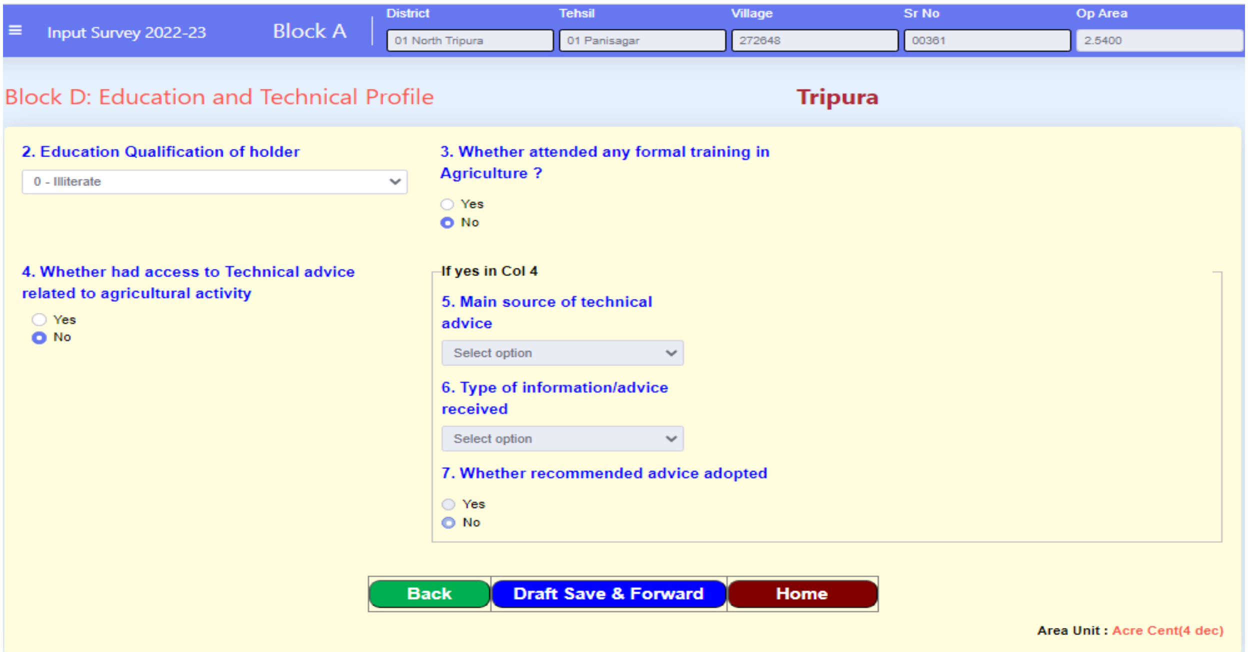

27.1.4.1 **मद 2: भू-धारक की शैक्षणिक योग्यता:** परिचालन भू-धारक द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण की गई सभी सामान्य/तकनीकी/व्यावसायिक शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखते हुए, उसके द्वारा पूर्ण की गई उच्चतम शिक्षा का स्तर निम्नलिखित कोडों के अनुसार यहाँ दर्ज किया जाएगा। निरक्षर-0; प्राथमिक (कक्षा-V) तक-1; मिडिल-2; हाई स्कूल/माध्यमिक-3; वरिष्ठ माध्यमिक/पूर्व डिग्री-4; डिग्री स्तर से नीचे तकनीकी डिप्लोमा-5; स्नातक और उससे ऊपर-6।

27.1.4.2 **मद-3: क्या कृषि में कोई औपचारिक प्रशिक्षण लिया है?:** यदि परिचालन भू-धारक ने कृषि में कोई औपचारिक प्रशिक्षण लिया है, तो "हाँ" दर्ज करें अन्यथा "नहीं"। किसी संस्थान द्वारा सामान्य रूप से संचालित कृषि में कोई भी प्रशिक्षण और सफलतापूर्वक पूरा होने पर प्रमाण पत्र जारी करने को इस मद के उद्देश्य के लिए कृषि में औपचारिक प्रशिक्षण माना जाता है। जिन लोगों ने प्रशिक्षण की पूरी अवधि पूरी कर ली है या सर्वेक्षण के समय प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, उन्हें "हाँ" रिपोर्ट किया जाएगा।

तकनीकी सलाह तक पहुँच, तकनीकी सलाह का मुख्य स्रोत, प्राप्त की गई जानकारी का प्रकार, परिचालन भू-धारक द्वारा अनुशंसित सलाह को अपनाने की जानकारी मद 4-7 में दर्ज की जाएगी।

27.1.4.3 **मद-4: क्या कृषि गतिविधि से संबंधित तकनीकी सलाह तक पहुँच थी:** यदि परिचालन धारक के पास कृषि गतिविधि से संबंधित तकनीकी सलाह तक पहुँच थी, तो “हाँ” चुनें, अन्यथा “नहीं” चुनें। यदि “हाँ” चुना जाता है, तो अगले मद पर जाएँ, अन्यथा अगले ब्लॉक-ड. पर जाएँ।

27.1.4.4 **मद-5: तकनीकी सलाह का मुख्य स्रोत:** यदि मद 4 में "हाँ" चुना गया है, तो इस मद के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन सूची से परिचालन भू-धारक द्वारा प्राप्त तकनीकी सलाह के मुख्य स्रोत का एक विकल्प चुनें। प्रगतिशील किसान के लिए कोड 1, इनपुट डीलरों के लिए 2, सरकारी विस्तार एजेंट/एटीएमए के लिए 3, कृषि विज्ञान केंद्र के लिए 4, कृषि विश्वविद्यालय/कॉलेज के लिए 5, निजी वाणिज्यिक एजेंटों के लिए 6, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए 7, निजी प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए 8, कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केंद्रों (एसीएबीसी) के लिए 9, एनजीओ, किसान कॉल सेंटर के लिए 10, प्रिंट मीडिया/रेडियो/टीवी/स्मार्टफोन ऐप आधारित सूचना/अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए 11 का चयन करें।

प्रगतिशील किसान: प्रगतिशील किसानों में किसान संगठन भी शामिल होंगे जो वस्तु-विशिष्ट हो सकते हैं - चाहे वे पंजीकृत हों या अपंजीकृत हों। किसी विशेष वस्तु, जैसे अंगूर, आम, प्याज, लीची, अमरूद, के उत्पादकों के कई संगठन देश के विभिन्न भागों में मौजूद हैं और ये अक्सर किसानों के लिए सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करते हैं।

इनपुट डीलर: इनपुट डीलर वे हैं जो बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मवेशी/मुर्गी चारा, मछली पकड़ने का जाल, स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई मशीनरी, तेल इंजन/ट्रैक्टर/मछली पकड़ने वाली नावों के स्पेयर पार्ट्स, मुर्गीपालन/बागवानी के लिए आवश्यक उपकरण आदि जैसे कृषि इनपुट प्रदान करने की गतिविधियों में लगे हुए हैं।

सरकारी विस्तार एजेंट/कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए): विस्तार एजेंट/कर्मचारी का मतलब कृषि/बागवानी/पशुपालन/वानिकी/मृदा संरक्षण विभाग या कृषि विश्वविद्यालयों या आईसीएआर संस्थानों, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) में सरकारी कर्मचारी होगा। सरकारी विभागों से आने वाले पैरा-टेक्नीशियन/पैरा-पशु चिकित्सक भी इस श्रेणी में वर्गीकृत किए जाएंगे।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) जिले में सतत कृषि विकास के लिए कृषि गतिविधियों में शामिल प्रमुख हितधारकों की एक सोसायटी है। यह अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों को एकीकृत करने और सार्वजनिक कृषि प्रौद्योगिकी प्रणाली (एटीएस) के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करने का केंद्र बिंदु है। यह जिला स्तर पर प्रौद्योगिकी प्रसार हेतु उत्तरदायी एक पंजीकृत सोसायटी है। एक सोसायटी के रूप में, यह परियोजना निधि प्राप्त करने और खर्च करने, करार और समझौते करने और परिक्रामी खातों को बनाए रखने में सक्षम होगी जिसका उपयोग शुल्क एकत्र करने और इस प्रकार परिचालन लागत वसूलने के लिए किया जा सकता है। एटीएमए को गवर्निंग बोर्ड (जीबी) और प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा समर्थन प्राप्त है। गवर्निंग बोर्ड एक नीति निर्माण निकाय है और एटीएमए की प्रगति और कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। प्रबंधन समिति एटीएमए की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होगी। उन्हें कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) योजना के तहत प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नई संस्थागत व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया था।

कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके): ये राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रों और राज्य सरकारों के कृषि अनुसंधान केन्द्रों द्वारा स्थापित केन्द्र हैं।

इनमें कभी-कभी किसानों के प्रशिक्षण केन्द्र भी होते हैं। केवीके आधुनिक तकनीकी पैकेजों और आधुनिक कृषि के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण, प्रदर्शन और ऑन-फार्म परीक्षण आयोजित करते हैं। ये संस्थान सूचना-सह-सेवा केन्द्रों के रूप में काम करते हैं जो किसानों को पुस्तिकाओं के रूप में नई तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यह किसानों को कुछ ऐसे इनपुट भी उपलब्ध कराते हैं जो बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं ताकि किसान बिना किसी कठिनाई के तकनीक को अपना सकें। इनके अतिरिक्त, केवीके द्वारा प्रभावी पोषक तत्वों के उपयोग और रोग एवं कीट विश्लेषण हेतु मृदा, जल, पत्ती और डंठल विश्लेषण जैसी विभिन्न कृषि-नैदानिक सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं।
कृषि विश्वविद्यालय/कॉलेज: कृषि विश्वविद्यालय/कॉलेज ज्यादातर सार्वजनिक संस्थान हैं जो कृषि और संबंधित विषयों में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार में लगे हुए हैं।

निजी वाणिज्यिक एजेंट (अनुबंध खेती प्रायोजक/कंपनियां, ड्रिलिंग ठेकेदार आदि सहित): निजी वाणिज्यिक एजेंट अधिकतर निजी शोध संगठन, अनुबंध खेती प्रायोजक/कंपनियां, ड्रिलिंग ठेकेदार आदि के प्रतिनिधि होते हैं।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ): उत्पादक संगठन (पीओ) प्राथमिक उत्पादकों यथा किसान, दूध उत्पादक, मछुआरे, बुनकर, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार द्वारा गठित एक कानूनी इकाई है। पीओ एक उत्पादक कंपनी, एक सहकारी समिति या कोई अन्य कानूनी रूप हो सकता है जो सदस्यों के बीच मुनाफा/लाभ साझा करने का प्रावधान करता है। उत्पादक कंपनियों जैसे कुछ रूपों में, प्राथमिक उत्पादकों की संस्थाएँ भी पीओ की सदस्य बन सकती हैं।

पीओ का मुख्य उद्देश्य उत्पादकों के लिए अपने स्वयं के संगठन के माध्यम से बेहतर आय सुनिश्चित करना है। छोटे उत्पादकों के पास व्यक्तिगत रूप से बड़ी मात्रा (इनपुट और उत्पादन दोनों) नहीं होती है जिससे उन्हें बड़े पैमाने की किफायत का लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, कृषि विपणन में, बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला होती है जो अक्सर अपारदर्शी तरीके से काम करते हैं जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जहाँ उत्पादक को अंतिम उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले मूल्य का केवल एक छोटा हिस्सा ही प्राप्त होता है। एकत्रीकरण के माध्यम से, प्राथमिक उत्पादक बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठा सकते हैं। उनके पास उपज के थोक खरीदारों और इनपुट के थोक आपूर्तिकर्ताओं के मुकाबले बेहतर मोलभाव की शक्ति भी होगी।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) एक प्रकार का पीओ है, जिसके सदस्य किसान होते हैं। लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। किसान उत्पादक कंपनियाँ भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एफपीओ हैं।

निजी प्रसंस्करणकर्ता: कृषि प्रसंस्करण में लगी निजी एजेंसियों/व्यक्तियों को निजी प्रसंस्करणकर्ता कहा जाता है। कृषि प्रसंस्करण को कृषि उपज के संरक्षण और प्रबंधन तथा उसे खाद्य, चारा, फाइबर, ईंधन या औद्योगिक कच्चे माल के रूप में उपयोग योग्य बनाने के लिए की जाने वाली तकनीकी-आर्थिक गतिविधियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र (एसीएबीसी): एसीएबीसी योजना 2002 में शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य युवा ग्रामीण कृषि स्नातकों को लक्षित करना था जो किसानों को शुल्क आधारित कृषि सेवाएँ प्रदान करने के इच्छुक उद्यमी बनना चाहते थे। इस योजना में ग्रामीण सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण और सब्सिडी शामिल है, जिसे अक्सर बैंक ऋण द्वारा समर्थित किया जाता है। एसीएबीसी को इनपुट की बिक्री, कृषि सलाह, विपणन सहायता आदि सहित कई सेवाएँ प्रदान करनी थीं। हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (एमएएनएजीई) में अनिवार्य दो महीने का प्रशिक्षण महत्वाकांक्षी कृषि उद्यमियों के बीच व्यवसाय प्रबंधन का आधार स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

एनजीओ: इनमें केवल सूचना के निजी स्रोत शामिल होंगे। सरकारी पैरा-तकनीशियन को 'विस्तार एजेंट' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

किसान कॉल सेंटर: कृषि में आईसीटी की क्षमता का दोहन करने हेतु, कृषि मंत्रालय ने 21 जनवरी, 2004 को "किसान कॉल सेंटर (केसीसी)" योजना शुरू की। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के प्रश्नों का उत्तर उनकी अपनी बोली में टेलीफोन कॉल पर देना है। ये कॉल सेंटर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए 14 अलग-अलग स्थानों पर काम कर रहे हैं। किसान कॉल सेंटर के लिए देश भर में एक सामान्य ग्यारह अंकों का टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 आवंटित किया गया है। यह नंबर निजी सेवा प्रदाताओं सहित सभी दूरसंचार नेटवर्क के मोबाइल फोन और लैंडलाइन के माध्यम से सुलभ है। किसानों के प्रश्नों के उत्तर 22 स्थानीय भाषाओं में दिए जाते हैं।

प्रिंट मीडिया: विभिन्न प्रिंट मीडिया भी नियमित रूप से विशिष्ट स्तंभों के माध्यम से खेती के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान करती हैं। इस मद के उद्देश्य के लिए, प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र के पृष्ठ, कृषि पर चर्चा और लेखों के लिए समर्पित दैनिक समाचार पत्र, कृषि पत्रिकाओं, बुलेटिन और समय-समय पर प्रकाशित होने वाले पत्रक के सभी प्रकार के प्रिंट मीडिया शामिल हैं।

रेडियो/टीवी/अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया: रेडियो और टेलीविजन जैसे स्रोत भी किसानों को मौसम, विभिन्न मौसमों में अपनाई जाने वाली कृषि पद्धतियों, विभिन्न फसलों की खेती के तरीकों, खेती में तकनीकी विकास आदि के बारे में नियमित आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जानकारी प्रदान करते हैं। इस संबंध में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि रेडियो और टेलीविजन दोनों में निजी और सरकारी चैनल शामिल होंगे और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। इंटरनेट आजकल एक प्रमुख स्रोत है जहाँ खेती के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट और मोबाइल तकनीक का विकास देश के दूरदराज के इलाकों तक भी पहुँच गया है। निजी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करना, सभी को इस मद में शामिल किया जाएगा।

स्मार्टफोन ऐप आधारित सूचना: भारत में किफायती कीमतों पर स्मार्ट फोन की बढ़ती पहुंच के साथ, कृषि विस्तार गतिविधियों के लिए मोबाइल ऐप बनाना आवश्यक माना गया है। ये स्मार्टफोन ऐप किसानों और अन्य सभी हितधारकों के लिए इंटरनेट से कृषि से संबंधित जानकारी निकालने के लिए उपलब्ध हैं। वे रिमोट लोकेशन डेटा प्रविष्टि के

लिए भी उपयोगी हैं जहाँ डेस्कटॉप पीसी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे ऐप सरकारी एजेंसियों (जैसे सी-डैक, एनआईसी, आदि) और स्वतंत्र एंड्रॉइड उत्साही/निजी फर्मों के माध्यम से विकसित किए जाते हैं।

27.1.4.5 **मद 6: प्राप्त सूचना/सलाह का प्रकार**: मुख्य स्रोत से प्राप्त सूचना का प्रकार इस कॉलम में कोड के संदर्भ में दर्ज किया जाएगा जो निम्नानुसार हैं: उन्नत बीज/किस्म के लिए 1, उर्वरक अनुप्रयोग के लिए 2, पौध संरक्षण (कीटनाशक आदि) के लिए 3, कृषि मशीनरी के लिए 4, कटाई/विपणन के लिए 5, अन्य के लिए 6।

27.1.4.6 **मद 7: क्या अनुशंसित सलाह को अपनाया गया**: अनुशंसित पद्धति को अपनाने का मतलब है कि परिचालन भू-धारक द्वारा प्रौद्योगिकी के लाभों के बारे में आश्वस्त होने के बाद बड़े पैमाने पर कृषि गतिविधि के लिए अनुशंसित पद्धति का पालन किया जाता है। यह परीक्षण के साथ या उसके बिना हो सकता है। अतः, यदि परिचालन भू-धारक ने अनुशंसित सलाह को अपनाया है तो "हाँ" दर्ज करें, अन्यथा "नहीं" दर्ज किया जाना चाहिए।

27.1.*5* **ब्लॉक ई – कृषि सेवाओं की सदस्यता/उपयोगकर्ता**: इस ब्लॉक में, प्राथमिक कार्यकर्ता को निम्नलिखित मदों के लिए कृषि सेवाओं जैसे एफपीओ, लाभार्थी योजनाएं, केसीसी आदि की सदस्यता/उपयोगकर्ता का विवरण भरना चाहिए:

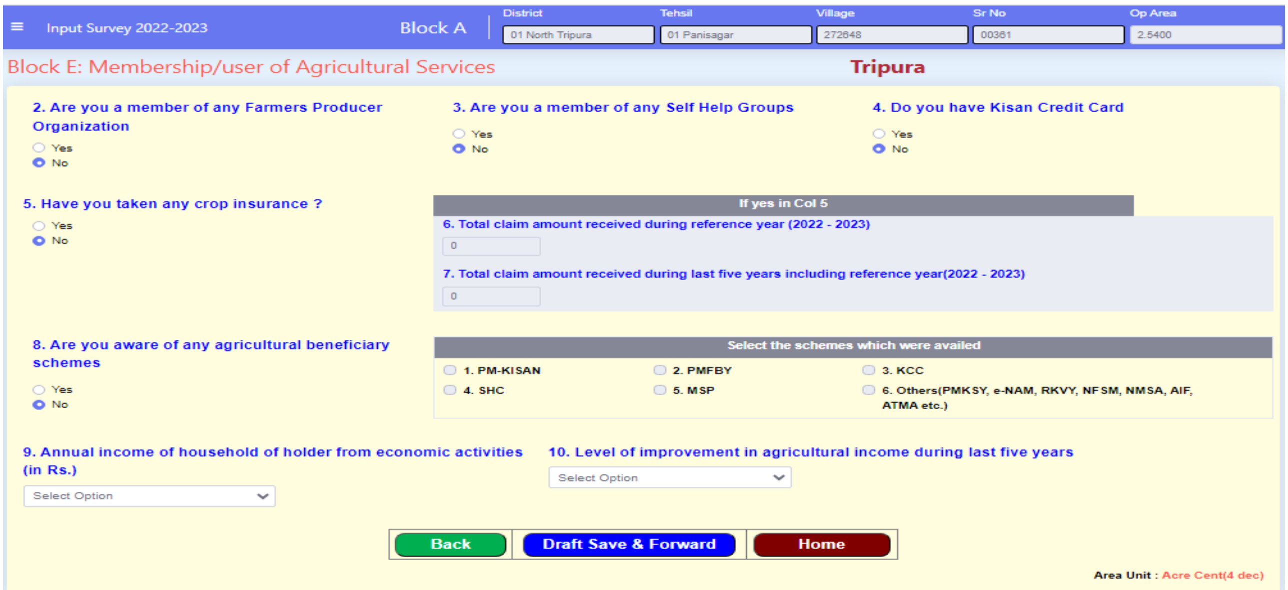

27.1.5.1 ***मद 2: क्या आप किसी किसान उत्पादक संगठन के सदस्य हैं:*** यदि परिचालन भू-धारक किसी किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का सदस्य है तो "हां" दर्ज करें, अन्यथा "नहीं" दर्ज किया जाना चाहिए।

27.1.5.2 ***मद 3: क्या आप किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं:*** यदि परिचालन भू-धारक किसी स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का सदस्य है तो "हां" दर्ज करें, अन्यथा "नहीं" दर्ज किया जाना चाहिए।

27.1.5.3 ***मद 4: क्या आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है:*** यदि परिचालन भू-धारक के पास किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) है तो "हां" दर्ज करें, अन्यथा "नहीं" दर्ज किया जाना चाहिए।

27.1.5.4 ***मद 5: क्या आपने कोई फसल बीमा कराया है?*** यदि परिचालन भू-धारक ने प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा पाने के लिए उगाई गई किसी भी फसल का बीमा कराया है तो "हां" दर्ज करें, अन्यथा "नहीं" दर्ज किया जाना चाहिए। यदि "हां" दर्ज है, तो बीमित राशि के संबंध में मद 6 और 7 पर जाएं, अन्यथा मद 8 पर जाएं।

27.1.5.5 ***मद 6: संदर्भ वर्ष (2022 - 2023) के दौरान प्राप्त कुल दावा राशि:*** उपयोग किए गए फसल बीमा के बदले में संदर्भ वर्ष के दौरान परिचालन भू-धारक द्वारा प्राप्त दावा राशि रिकॉर्ड करें।

27.1.5.6 ***आइटम 7: संदर्भ वर्ष (2022 - 2023) सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त कुल दावा राशि:*** उपयोग किए गए फसल बीमा के बदले में संदर्भ वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त दावा राशि रिकॉर्ड करें।

27.1.5.7 ***मद 8: क्या आप किसी कृषि लाभार्थी योजनाओं के बारे में जानते हैं:*** यदि परिचालन भू-धारक भारत सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी कृषि लाभार्थी योजनाओं के बारे में जानता है, तो "हां" दर्ज करें, अन्यथा "नहीं" दर्ज किया जाना चाहिए। यदि "नहीं" चुना जाता है, तो अगली मद 9 पर जाएं यदि ‘‘ हां’’ चुना जाता है तो संदर्भ वर्ष के दौरान परिचालन भू-धारक द्वारा उपयोग की गई योजना का चयन करें। चयन में आसानी के लिए, कृषि लाभार्थी योजनाओं को मोटे तौर पर निम्नानुसार 6 में वर्गीकृत किया गया है: 1: पीएम-किसान, 2: पीएमएफबीवाई, 3: केसीसी, 4: एसएचसी, 5: एमएसपी, 6: अन्य (पीएमकेएसवाई, ई-एनएएम, आरकेवीवाई, एनएफएसएम, एनएमएसए, एआईएफ, एटीएमए आदि)।

27.1.5.8 **मद 9: आर्थिक गतिविधियों से भू-धारक के परिवार की वार्षिक आय (रुपये में):** यहां, संदर्भ वर्ष के दौरान विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से परिचालन धारक के परिवार द्वारा अर्जित वार्षिक आय दर्ज की जानी चाहिए। यदि वार्षिक आय 50000 से कम है तो 1 का चयन करें, यदि वार्षिक आय 50000 से 1.25 लाख है तो 2 का चयन करें, यदि वार्षिक आय 1.25 लाख से 2.5 लाख है तो 3 का चयन करें और यदि वार्षिक आय 2.5 लाख और उससे अधिक है तो 4 का चयन करें।

27.1.5.9 **मद 10: पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि आय में सुधार का स्तर:** किसानों की स्थिति में सुधार हेतु, भारत सरकार ने कई उपाय किए हैं और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। अतः, पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि आय में परिणाम या सुधार को मापने के लिए, परिचालन भू-धारक की प्रतिक्रिया के अनुसार उपयुक्त कोड का चयन करके ड्रॉप-डाउन सूची से प्रतिशत के संदर्भ में सुधार के स्तर को रिकॉर्ड करें: 25% तक के लिए 1, 25% से 50% से कम के लिए 2, 50% से 75% से कम के लिए 3, 75% से 100% से कम के लिए 4 और 100% से अधिक के लिए 5।

27.1.6 **ब्लॉक च: जैविक कृषि पर जानकारी:** इस ब्लॉक को जैविक कृषि पद्धियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए भरा जाएगा:

27.1.6.1 **मद 2: क्या आपने जैविक कृषि की है?** यदि परिचालन भू-धारक संदर्भ वर्ष के दौरान जैविक कृषि कर रहा है, तो "हां" दर्ज करें, अन्यथा "नहीं" दर्ज किया जाना चाहिए। यदि "नहीं" दर्ज किया जाता है, तो अगले ब्लॉक-छ पर जाएं। यदि "हां" दर्ज किया जाता है, तो मद 3 और 4 पर जाएं।

27.1.6.2 **मद 3: जैविक कृषि के तहत क्षेत्र:** यदि परिचालन भू-धारक ने संदर्भ वर्ष के दौरान जैविक कृषि (मद 2 में हां) की है, तो जैविक कृषि के तहत क्षेत्र दर्ज करें।

27.1.6.3 **मद 4: क्या परिचालन भू-धारक द्वारा उत्पादित जैविक उत्पाद सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमाणन एजेंसी द्वारा प्रमाणित है:** यदि परिचालन भू-धारक द्वारा उत्पादित जैविक उत्पाद सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसी द्वारा प्रमाणित है, तो "हां" दर्ज करें, अन्यथा "नहीं" दर्ज किया जाना चाहिए।

23 27.1.1 **ब्लॉक छः 2022-23 के दौरान संस्थागत स्रोतों के माध्यम से परिचालन भू-धारक द्वारा प्राप्त कृषि ऋण:** इस ब्लॉक में, संदर्भ वर्ष के दौरान संस्थागत स्रोतों के माध्यम से परिचालन भू-धारकों द्वारा प्राप्त कृषि ऋणों का विवरण दर्ज करें। कृषि ऋण परिचालन भू-धारक द्वारा मौसमी कृषि कार्यों या कृषि भूमि या कृषि उपकरण/उपकरणों की खरीद जैसी संबंधित गतिविधियों को करने के लिए लिया जाता है, जिसके लिए इसकी अवधि भी प्राप्त ऋण के उद्देश्य के आधार पर (भिन्न अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि) हो सकती है । 3 संस्थागत स्रोत हैं जहाँ से वह कृषि ऋण प्राप्त कर सकता है, यथा,

(i) प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस),
(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक, और
(iii) अन्य संस्थान

27.1.7.1 सबसे पहले, यदि परिचालन भू-धारक ने संदर्भ वर्ष के दौरान कोई कृषि ऋण लिया है, तो “क्या आपने कोई कृषि ऋण लिया है” मद के अंतर्गत “हां” दर्ज करें, अन्यथा “नहीं” दर्ज किया जाना चाहिए। यदि “नहीं” दर्ज किया जाता है, तो टैब स्वचालित रूप से अगले ब्लॉक-ज में चला जाएगा। यदि “हां” दर्ज किया जाता है, तो ड्रॉप-डाउन सूची से ऋण की अवधि को एक के बाद एक चुनें, यथा, (क) लघु अवधि (18 महीने तक की अदायगी

अवधि), (ख) मध्यम अवधि (18 महीने से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम की अदायगी अवधि) और (ग) दीर्घकालिक (5 वर्ष से अधिक या बराबर की अदायगी अवधि) स्रोत और उसके उद्देश्य के बदले में प्राप्त ऋण राशि का विवरण भरने के लिए।

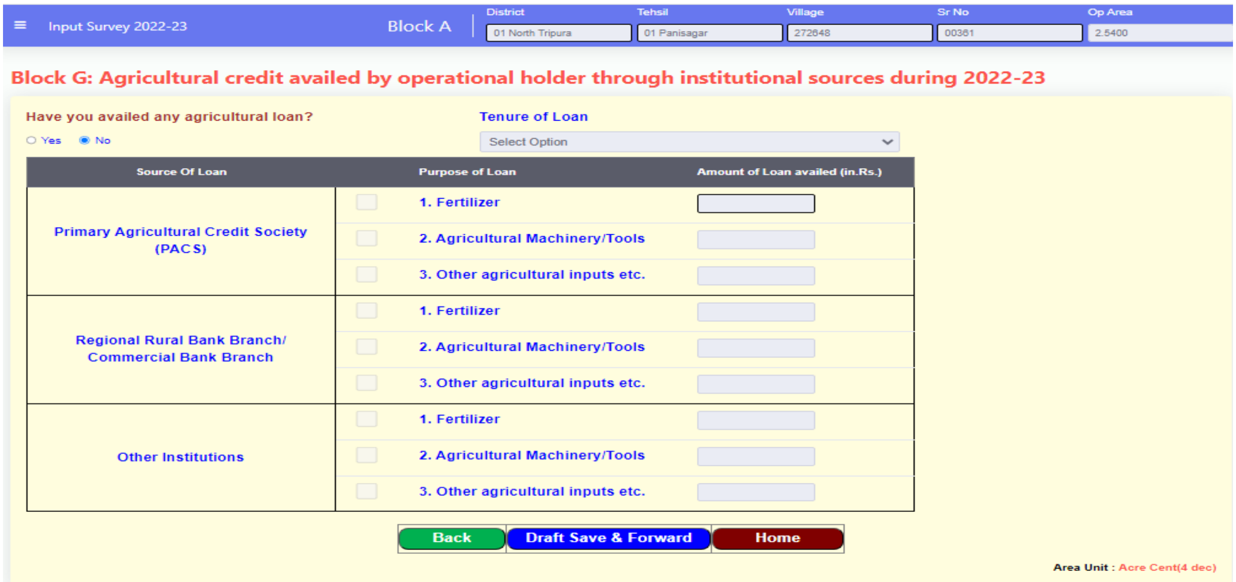

≡ Input Survey 2022-23 Block A

District	Tehsil	Village	Sr No	Op Area
01 North Tripura	01 Panisagar	272648	00361	2.5400

Block G: Agricultural credit availed by operational holder through institutional sources during 2022-23

Have you availed any agricultural loan? ○ Yes ◉ No

Tenure of Loan: Select Option

Source Of Loan	Purpose of Loan	Amount of Loan availed (in.Rs.)
Primary Agricultural Credit Society (PACS)	1. Fertilizer	
	2. Agricultural Machinery/Tools	
	3. Other agricultural inputs etc.	
Regional Rural Bank Branch/ Commercial Bank Branch	1. Fertilizer	
	2. Agricultural Machinery/Tools	
	3. Other agricultural inputs etc.	
Other Institutions	1. Fertilizer	
	2. Agricultural Machinery/Tools	
	3. Other agricultural inputs etc.	

Back | Draft Save & Forward | Home

Area Unit : Acre Cent(4 dec)

27.1.7.2 ऋण की प्रत्येक अवधि में, ऋण के उपयुक्त उद्देश्य को टिक/चयन करके प्राप्त राशि को रिकॉर्ड किया जाना है, जैसे, 1. उर्वरक, 2. कृषि मशीनरी/उपकरण और 3. अन्य कृषि इनपुट आदि विभिन्न स्रोतों के बदले में। यह भी संभव है कि एक परिचालन भू-धारक ने केवल एक कृषि ऋण लिया हो। इस मामले में, पहले ऋण की अवधि का चयन करें और स्रोत के बदले में ऋण के उद्देश्य से उपयुक्त सूची का चयन करके ऋण राशि रिकॉर्ड करे।

27.1.8 **ब्लॉक ज- 2022-23 के दौरान आईपीएम और मृदा परीक्षण के उपयोग की जानकारी:** इस ब्लॉक का उद्देश्य परिचालन भू-धारक द्वारा संचालित क्षेत्र पर किए गए एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) और मृदा परीक्षण के उपयोग के बारे में जानकारी एकत्र करना है।

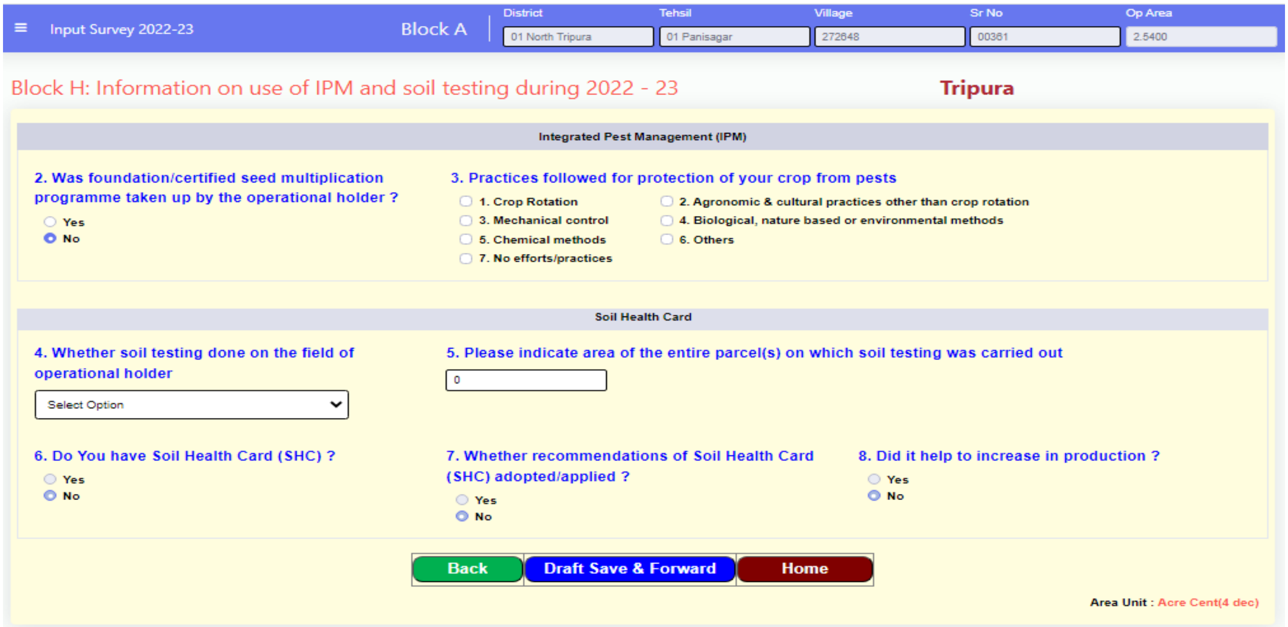

27.1.8.1 **मद 2: क्या परिचालन भू-धारक द्वारा आधार/प्रमाणित बीज गुणन कार्यक्रम अपनाया गया था?:** यदि परिचालन भू-धारक ने संदर्भ वर्ष के दौरान आधार/प्रमाणित बीज गुणन कार्यक्रम अपनाया है तो "हां" दर्ज करें, अन्यथा "नहीं" दर्ज किया जाना चाहिए।

27.1.8.2 **मद 3: कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियाँ:** यह मद कीट प्रबंधन के लिए किसान द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धतियों के पैकेज की जानकारी से संबंधित है। यह प्रश्न यह जानने के लिए बनाया गया है कि क्या किसान एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) दृष्टिकोण के तहत अनुशंसित पद्धितियों के पैकेज पर भरोसा कर रहा है या पूरी तरह से कीटनाशकों के उपयोग पर निर्भर है। आईपीएम कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों पर **अनुबंध-VII** में चर्चा की गई है। अन्वेषक को कीट नियंत्रण के लिए किसान से उसके सामान्य (सामान्य, प्रथागत, अधिकांश समय) अभ्यास के बारे में ओपन एंडेड प्रश्न पूछना आवश्यक है। किसान (प्रतिवादी) को विस्तार से जवाब देने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वह प्रयुक्त पद्धियों के बारे में बता सके। जवाब सुनने के बाद, जाँचकर्ता दिए गए 7 विकल्पों में से एक या अधिक पर निशान लगाएगा। किसान द्वारा उत्तर देने में अपनाए गए सभी तरीकों को शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रश्न में किसान या परिचालन धारक से एक से अधिक उत्तर दिए जा सकते हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई की एक प्रमुख योजना है और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा इसे प्रोत्साहन दिया गया है। इस योजना के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार 2 वर्ष के अंतराल पर देश भर के किसानों को मृदा कार्ड जारी करती है। इन कार्डों पर उर्वरकों की संतुलित मात्रा की फसलवार सिफारिशें होंगी ताकि किसानों को उर्वरकों और सुधारकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिल सके। मृदा स्वास्थ्य यानी मृदा की गुणवत्ता और दोषों (सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी) की जांच करने और इसे

दूर करने के उपाय सुझाने के लिए देश भर में विभिन्न मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में सभी मृदा के प्रतिदर्शों का परीक्षण किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में परिणाम और सुझाव का उल्लेख किया जाता है।

27.1.8.3 मद 4: क्या परिचालन भू-धारक के खेत पर मृदा परीक्षण किया गया है: परिचालन भू-धारक के खेत पर किए गए मृदा परीक्षण की स्थिति के आधार पर मद के मसक्ष ड्रॉप-डाउन सूची से उपयुक्त विकल्प का चयन करें: . संदर्भ वर्ष 2022-23 के दौरान, 1. संदर्भ वर्ष 2022-23 सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान 2, नहीं 3। यदि इस मद के सामने चयनित विकल्प "नहीं" है, तो अन्य मद 5-8 अक्षम हो जाएंगे और अगले ब्लॉक- I पर चले जाएंगे; अन्यथा अगले मद 5 पर जाएं।

*27.1.8.4 **मद 5:*** **कृपया पूरे भू-खंड का क्षेत्र इंगित करें जिस पर मृदा परीक्षण किया गया था:** यदि मद 4 में चयनित विकल्प 1 या 2 है, तो पूरे पार्सल का क्षेत्र रिकॉर्ड करें जिस पर मृदा परीक्षण किया गया था।

27.1.8.5 **मद 6: क्या आपके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड है:** यदि परिचालन भू-धारक के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) है, तो "हां" चुनें, अन्यथा "नहीं" चुनें। यदि इस मद के सामने चयनित विकल्प "नहीं" है, तो अगले मद 7 और 8 अक्षम हो जाएंगे और अगले **ब्लॉक-I** पर चले जाएंगे; अन्यथा अगले मद 7 पर जाएं।

27.1.8.6 **मद 7: क्या मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) की सिफारिशों को अपनाया/लागू किया गया?** यदि परिचालन भू-धारक द्वारा एसएचसी की सिफारिशों को अपनाया/लागू किया गया है, तो "हां" चुनें, अन्यथा "नहीं" चुनें। यदि इस मद के सामने चयनित विकल्प "हां" है, तो अगले मद 8 पर जाएं, अन्यथा मद 8 अक्षम हो जाएगा और अगले ब्लॉक-I पर चले जाएंगे।

*27.1.8.7 **मद 8: क्या इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली?*** यदि एसएचसी की सिफारिशों को अपनाने/लागू करने से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है, तो "हां" चुनें, अन्यथा "नहीं" चुनें और अगले **ब्लॉक-I** पर जाएं।

*27.1.9 **ब्लॉक-I: कृषि यंत्रों/मशीनों/उपकरणों का उपयोग:*** इस ब्लॉक को 2022-23 के दौरान परिचालन भू-धारक द्वारा विभिन्न कृषि मशीनरी और उपकरणों के उपयोग को रिकॉर्ड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 64 कृषि यंत्रों/मशीनों की सूची तीन ब्लॉकों में दी गई है:

क-मैनुअल मशीनें/उपकरण, ख-पशु चालित उपकरण, ग-विद्युत संचालित उपकरण/मशीनें

प्रत्येक मद के बदले में, गणनाकर्ता यह चयन करेगा कि परिचालन भू-धारक ने संदर्भ वर्ष 2022-23 के दौरान विशेष मशीन/उपकरण का उपयोग किया है या नहीं। यदि उपयोग किया गया है, तो आगे यह जांच की जाएगी कि परिचालन भू-धारक के पास कृषि उपकरण/मशीनरी/औजार है या इन्हें किराए पर लिया गया है या स्वामित्व और किराए दोनों पर हैं। मशीनरी और उपकरणों की विभिन्न मदों की परिभाषा हेतु, **अनुबंध-VI** का संदर्भ लिया जा सकता है।

≡ Input Survey 2022-23 | Block A | District: 01 North Tripura | Tehsil: 01 Panisagar | Village: 272648 | Sr No: 00361 | Op Area: 2.5400

Block I: Use of Agricultural Implements/Machines/Equipments — Tripura

A. Manual Machines/Equipments				
S.No	Item	Owned	Hired	Both
1	Chaff cutter	●	○	○
2	Hand maize sheller	○	○	○
3	Hand Seed fertilizer drill	○	○	○
4	Hand-operated knapsack sprayer/duster	○	○	○
5	Sugarcane crusher	○	○	○
6	Winnowing fan	○	○	○
7	Others	○	○	○

B. Animal-Drawn Implements				
S.No	Item	Owned	Hired	Both
8	Animal drawn puddler	○	○	○
9	Cultivator (Triphali)	○	○	○
10	Levelling karah	○	○	○
11	Seed planter	○	○	○
12	Seed-cum-fertilizer drill/seed drill	○	○	○
13	Wooden plough	○	○	○
14	Others	○	○	○

C.Powered Equipments/Machines				
S.No	Item	Owned	Hired	Both
15	Aero-blast sprayer	○	○	○
16	Agricultural tractors	○	○	○
17	Brush cutter	○	○	○
18	Cage wheels used for pudding	○	○	○
19	Chain Saw	○	○	○
20	Combine harvester (self-propelled)	○	○	○
21	Combine harvester (tractor powered)	○	○	○
22	Cultivator (tractor-drawn)	○	○	○
23	Disel engine pumpset	○	○	○
24	Drip irrigation set	○	○	○
25	Drone Technology	○	○	○

C.Powered Equipments/Machines				
S.No	Item	Owned	Hired	Both
26	Electric pump sets	○	○	○
27	Groundnut decorticator	○	○	○
28	Happy seeder	○	○	○
29	Hedge trimmers	○	○	○
30	Pneumatic plantertract(tractor drawn)	●	○	○
31	Portable augur digger	○	○	○
32	Power cane crusher	○	○	○
33	Power chaff cutter	○	○	○
34	Power maize sheller	○	○	○
35	Power sprayer	○	○	○
36	Power threshers (wheat, paddy, multicrop)	○	○	○

C.Powered Equipments/Machines				
S.No	Item	Owned	Hired	Both
37	Power tillers	○	○	○
38	Power weeder (self propelled)	○	○	○
39	Raised-bed planter/BBF planter(tractor drawn)	○	○	○
40	Reaper binder	○	○	○

C.Powered Equipments/Machines				
S.No	Item	Owned	Hired	Both
61	Tractor mounted spray pump	○	○	○
62	Vegetable transplanter (tractor driven)	○	○	○
63	Zero-Till Seed-cum-Fertilizer Drill(tractor drawn)	○	○	○
64	Tractor operated Check Basin Former	○	○	○

27.1.10 : **ब्लॉक ञ - ब्लॉक ञ1: भू-खण्डों के अनुसार जानकारी और ब्लॉक ञ2: जोत के अनुसार जानकारी:** इस ब्लॉक में, प्रत्येक भू-खण्ड (प्रत्येक भू-खंड के लिए एक पंक्ति) के लिए अलग-अलग जानकारी भरी जानी है जो कुल परिचालन भू-जोत का गठन करती है।

27.1.10.1 **मद 2: भू-खण्डों की संख्या:** परिचालन भू-धारक के सभी भू-खण्डों के एकत्रीकरण के लिए जिला बाहरी सीमा होगी क्योंकि इनपुट सर्वेक्षण में जिला स्तर पर अनुमान तैयार किए जाने हैं। यहां, संचालित भू-खण्ड के बदले में परिचालन भू-धारकों द्वारा संचालित भू-खण्ड की कुल संख्या दर्ज करें। यद्धपि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुल भू-खण्डों की संख्या जोत के बदले में कुल सर्वेक्षण से अधिक नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि संचालित जोत में 2 भू-खण्ड हैं, तो इस मद 2 के बदले में 2 दर्ज करें और अगले ब्लॉक ञ**2** पर जाने से पहले मद 3 से 6 तक प्रत्येक भू-खण्ड के लिए डेटा भरें।

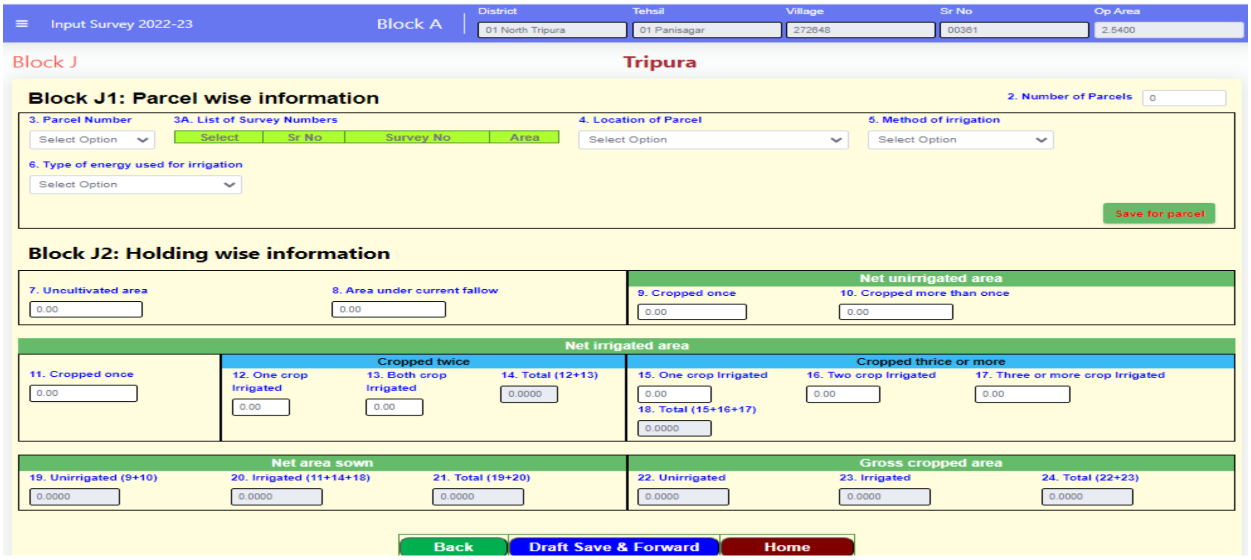

27.1.10.2 **मद 3: भू-खण्ड संख्या:** मद 2 में उल्लिखित भू-खण्डों की कुल संख्या 1 से शुरू होने वाली चालू क्रम संख्या प्रणाली द्वारा स्वचालित रूप से प्रदर्शित की जाएगी। यहां, मद 3 क से 6 में विवरण भरने के लिए एक के बाद एक भू-खण्ड संख्या का चयन करें।

27.1.10.3 **मद 3 क: सर्वेक्षण संख्याओं की सूची:** मद 3 में चयनित भू-खण्डों के लिए सभी सर्वेक्षण संख्याओं का पहचान विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। सामान्यतः यह डेटा अद्यतन किए गए चरण- I सूचीकरण डेटाबेस से पहले से भरे हुए रूप में उपलब्ध होगा। यहां, अगले मद 4 पर जाने से पहले सभी प्रदर्शित सर्वेक्षण संख्याओं का चयन करें।

27.1.10.4 **आइटम 4: भू-खंड का स्थान:** यह मद उस स्थान से संबंधित है जहां संबंधित भू-खण्ड स्थित है। यहां, भू-खण्ड के स्थान के आधार पर ड्रॉप-डाउन सूची से उपयुक्त विकल्प का चयन करें: 0 गांव के भीतर भू-खण्ड के लिए, 1 गांव के बाहर लेकिन तहसील के भीतर 2 और 3 तहसील के बाहर लेकिन उसी जिले/राज्य के भीतर।

27.1.10.5 **मद 5: सिंचाई की विधि:** ड्रॉप-डाउन सूची से सिंचाई की विधि की वह विकल्प का चयन करें जिसके माध्यम से संबंधित भू-खण्ड की सिंचाई की जाती है। सतही/खुली चैनल के लिए 1, स्प्रिंकल के लिए 2, ड्रिप के लिए 3, अन्य के लिए 4, असिंचित के लिए 5 का चयन करें। यदि "असिंचित" के लिए विकल्प 5 का चयन किया जाता है, तो अगला मद 6 निष्क्रिय हो जाएगा और अगले ब्लॉक ज-2 पर चला जाएगा।

27.1.10.6 **मद 6: सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का प्रकार:** कृपया संबंधित भू-खण्ड की सिंचाई के लिए परिचालन भू-धारक द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के प्रकार को रिकॉर्ड करें। पेट्रोल के लिए 1, डीजल के लिए 2, बिजली के लिए 3, सौर के लिए 4 और अन्य के लिए 5 का चयन करें।

27.1.10.7 **ब्लॉक ज2: भू-धारिता जानकारी:** इस ब्लॉक में, प्रत्येक भू-धारिता के लिए अलग से जानकारी दर्ज करना है। यह ब्लॉक मुख्य रूप से खेती की गहनता से संबंधित है। यह आवश्यक है कि गणनाकर्ता इस सारणी को तैयार करने से पूर्व बहुफसलीय कृषि (खरीफ, रबी और जायद), सिंचित

और असिंचित फसलों के अंतर्गत निवल और सकल क्षेत्र, असिंचित क्षेत्र इत्यादि जैसी अवधारणाओं से पूर्ण रूप से अवगत हो। प्रत्येक फॉर्म में केवल एक परिचालित भू-धारिता का डेटा होगा।

27.1.10.8 मद 7 **से** 24: **खेती और सिंचाई की गहनता:** इन मदों का उद्देश्य सिंचित और असिंचित स्थितियों में खेती की गहनता के संबंध में जानकारी एकत्र करना है। यदि एक विशेष भूखंड की वर्ष में कम से कम एक बार सिंचाई की जाती है तो उसे सिंचित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यदि उसे कोई सिंचाई नहीं मिलती है, तो उसे असिंचित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सिंचित और असिंचित दोनों स्थितियों में, बहुफसली कृषि संभव है। परंतु सिंचित भूमि पर, यह काफी संभव है कि जमीन पर उगाई गई कुछ फसलों की ही सिंचाई की गई हो। ***एक फसल को सिंचित तब माना जाएगा यदि उस की कम से कम एक बार सिंचाई की गई हो। इस सारणी के प्रयोजन हेतु, किसी विशेष फसल की सिंचाई कितनी बार की जाती है, इसका कोई महत्व नहीं है।*** अत:, यदि हम सिंचित भूमि पर फसल की गहनता को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करें तो छः संभावनाऐं हैं। सिंचित परिस्थितियों में ये श्रेणियाँ हैः **(i)** सिंचाई के साथ बोई गई एक फसल, **(ii)** दो फसलें बोई गईं लेकिन केवल एक फसल को सिंचाई मिली, **(iii)** दो फसलें बोई गईं और दोनों फसलों को सिंचाई मिली **(iv)** तीन या अधिक फसलें बोई गईं लेकिन केवल एक को सिंचाई मिली **(v)** तीन या अधिक फसलें बोई गईं लेकिन केवल दो फसलों को सिंचाई मिली **(vi)** तीन या अधिक फसलें बोई गईं और सभी फसलों को सिंचाई मिली।

इस ब्लॉक के **कॉलम 7 से 17** को भरने के लिए अपनाए जाने वाले अनुक्रमिक तर्क को नीचे **बॉक्स-1** में दिए गए वृक्ष आरेख में स्पष्ट किया गया है। वृक्ष आरेख भू-खण्ड के क्षेत्र के क्रमिक विभाजनों को इंगित करता है, जिसे स्पष्टीकरण के लिए उदाहरण के रूप में 5.00 हेक्टेयर माना गया है।

इस सारणी में आवश्यक संपूर्ण जानकारी छह नोडल प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करके प्राप्त की जा सकती है। **बॉक्स-1** में अपनाए गए उदाहरण के संदर्भ में गणनाकर्ता द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक उदाहरणात्मक सूची **बॉक्स-2** में मॉडल साक्षात्कार अनुसूची के रूप में दी गई है। अपेक्षित उत्तर और विभिन्न कॉलम में भरे जाने वाले आंकड़े भी कार्रवाई शीर्षक के तहत दिए गए हैं।

यह देखा जाएगा कि उपरोक्त तर्क क्षेत्र के क्रमिक उन्मूलन और सर्वेक्षण संख्या के क्षेत्र के छोटे से छोटे खंडों पर ध्यान केंद्रित करने से कार्य करता है। सभी सर्वेक्षण संख्याओं के लिए **बॉक्स-2** में दिए गए प्रश्नों के अनुक्रम का पालन किया जाना है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस सारणी को फील्ड में आ सकने वाली सभी संभावित स्थितियों को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है। **बॉक्स 1 और 2** के लिए अपनाया गया उदाहरण ऐसा है कि **ब्लॉक-ञ2** के अधिकांश कॉलम में आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। तथापि, यह संभव है कि व्यवहारिकत में कुछ कॉलम में कोई आंकड़ा न हो।

बॉक्स-1: ब्लॉक-ज2 में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्र का अनुक्रमिक विभाजन

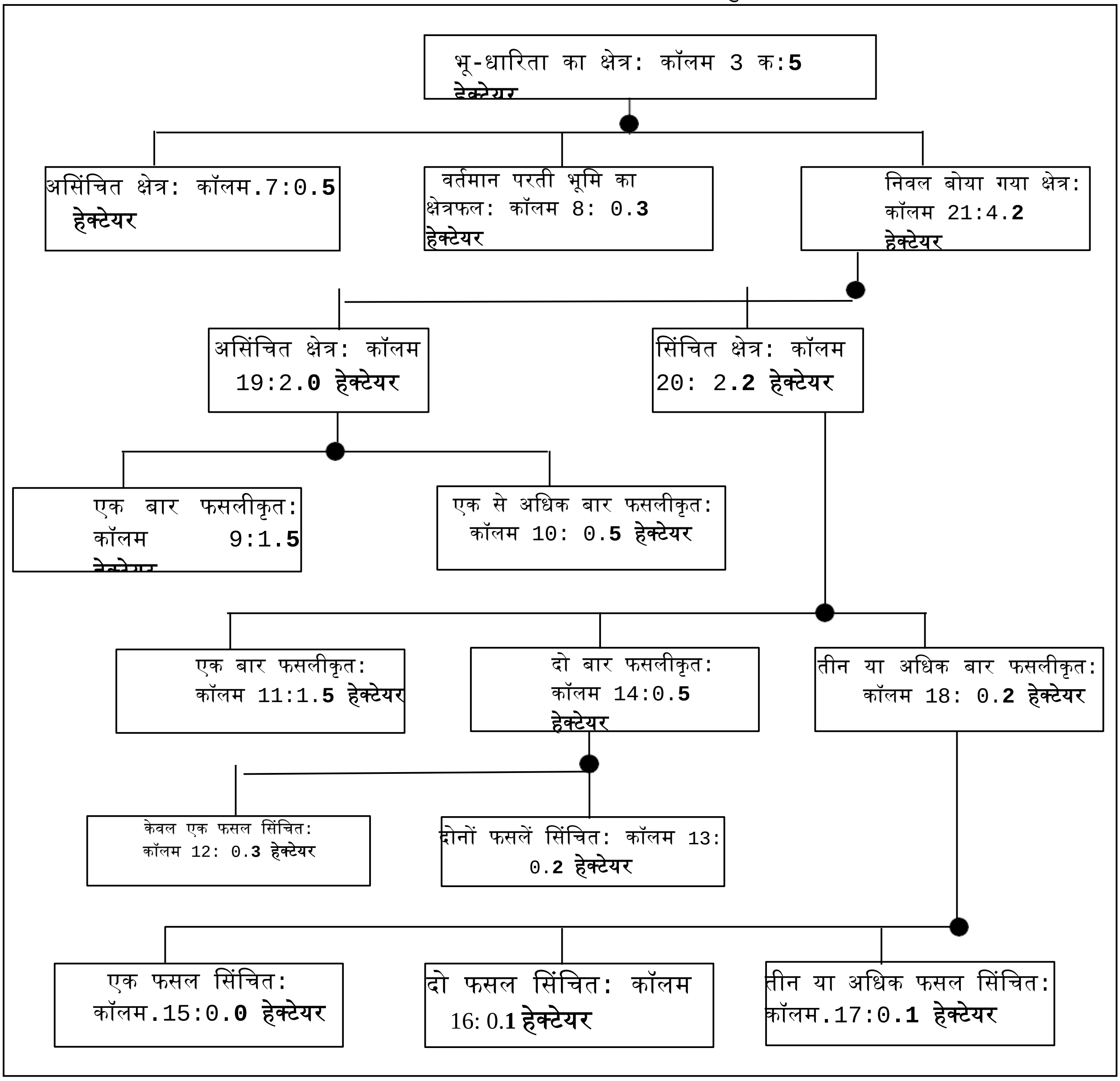

बॉक्स-2: ब्लॉक जे 2 के लिए मॉडल साक्षात्कार अनुक्रम

नोडल प्रश्न/उत्तर/कार्रवाई	विवरण
प्रश्न सं.1	संदर्भ वर्ष में आपने जोत के कुल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में से कितने क्षेत्र पर खेती की?
उत्तर सं.1	4.2 हेक्टेयर।
सहायक प्रश्न सं.1(क)	0.8 हेक्टेयर असिंचित भूमि में से कितनी वर्तमान परती थी और कितनी अन्य असिंचित भूमि थी?
उत्तर सं.1(क)	केवल 0.3 हेक्टेयर वर्तमान परती थी और शेष 0.5 हेक्टेयर पुरानी परती थी या कृषि योग्य बंजर भूमि थी या कृषि के लिए उपलब्ध नहीं थी इत्यादि।
कार्रवाई	कॉलम 7, 8 और 21 में, सुनिश्चित करें आंकड़े भरें कि ये आंकड़े का योग कॉलम 3क में दिए गए आंकड़ों के बराबर हैं।
प्रश्न सं.2	आपके 4.2 हेक्टेयर के निवल बोए गए क्षेत्र में से कितने क्षेत्र में कोई सिंचाई उपलब्ध नहीं होती है?
उत्तर सं.2	2 हेक्टेयर पूर्ण रूप से असिंचित था और 2.2 हेक्टेयर सिंचित था।
कार्रवाई	कॉलम 19 और 20, यह सुनिश्चित करें भरें कि इन कॉलम में दिए गए आंकड़े का योग कॉलम 21 के बराबर हैं।
प्रश्न सं.3	आपकी 2.0 हेक्टेयर असिंचित भूमि में से कितनी भूमि पर केवल एक फसल की खेती की गई है और कितनी भूमि पर एक से अधिक फसल की खेती की गई है?
उत्तर सं.3	1.5 हेक्टेयर पर केवल एक फसल और शेष पर एक से अधिक फसल।
कार्रवाई	कॉलम 9 और 10 भरें, सुनिश्चित करें कि उनका योग कॉलम 19 के बराबर है।
प्रश्न सं.4	2.2 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध होने वाले भूखंड के कितने भाग में से आपने एक फसल, दो फसल या दो से अधिक फसलों की खेती की गई है? (इस प्रश्न को सहायक प्रश्न बनाकर दो चरणों में भी रखा जा सकता है, जैसा कि प्रश्न 1 में है)।
उत्तर सं.4	1.5 हेक्टेयर में केवल एक फसल, 0.5 हेक्टेयर में दो फसलें और 0.2 हेक्टेयर में तीन फसलें।
कार्रवाई	कॉलम 11, 14 और 18 भरें, सुनिश्चित करें कि उनका योग कॉलम 20 के बराबर है।
प्रश्न सं.5	आपके 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र में से कितने हिस्से में, जो सिंचित था और जिसमें दो बार फसलें उगाई गई थीं, केवल एक फसल सिंचित हुई और कितने हिस्से में दो फसलों की खेती की गईं।
उत्तर सं.5	0.3 हेक्टेयर में केवल एक फसल और शेष क्षेत्र में दोनों फसलों की सिचाई की गई।
कार्रवाई	कॉलम 12 और 13 भरें, सुनिश्चित करें कि इन स्तंभों के आंकड़े का योग कॉलम 14 के बराबर हैं।
प्रश्न सं.6	आपके 0.2 हेक्टेयर क्षेत्र में से कितने क्षेत्र में सिंचाई की गई और तीन या इससे अधिक बार फसल उगाई गई, केवल एक फसल की सिंचाई की गई, दो फसलों की सिंचाई की गई और तीन या अधिक फसलों की सिंचाई की गई? (यह प्रश्न प्रश्न 1 की तरह सहायक प्रश्न में विभाजित किया जा सकता है)।
उत्तर सं.6	0.1 हेक्टेयर में दो फसलों की सिंचाई की गई और शेष 0.1 हेक्टेयर में तीन या अधिक फसलों की सिंचाई की गई। अतः एक फसल के अंतर्गत कोई क्षेत्र सिंचित नहीं था।
कार्रवाई	कॉलम 15, 16 और 17 को भरें और सुनिश्चित करें कि इन स्तंभों के आंकड़े का योग कॉलम 18 के बराबर हों।

27.1.11 ब्लॉक के1 - कृषि वर्ष 2022-23 (जुलाई 2022 से जून 2023) (खरीफ 2022, रबी 2022-23 और जायद 2022-23) के दौरान

सिंचित फसलों के अंतर्गत क्षेत्र और रासायनिक उर्वरकों, बीजों, खाद और कीटनाशकों का उपयोग: यह ब्लॉक सिंचित फसलों के संबंध में सिंचित फसलों के अंतर्गत क्षेत्र, रासायनिक उर्वरकों, जैविक खादों, जैव-उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से संबंधित जानकारी के संग्रह के लिए है।

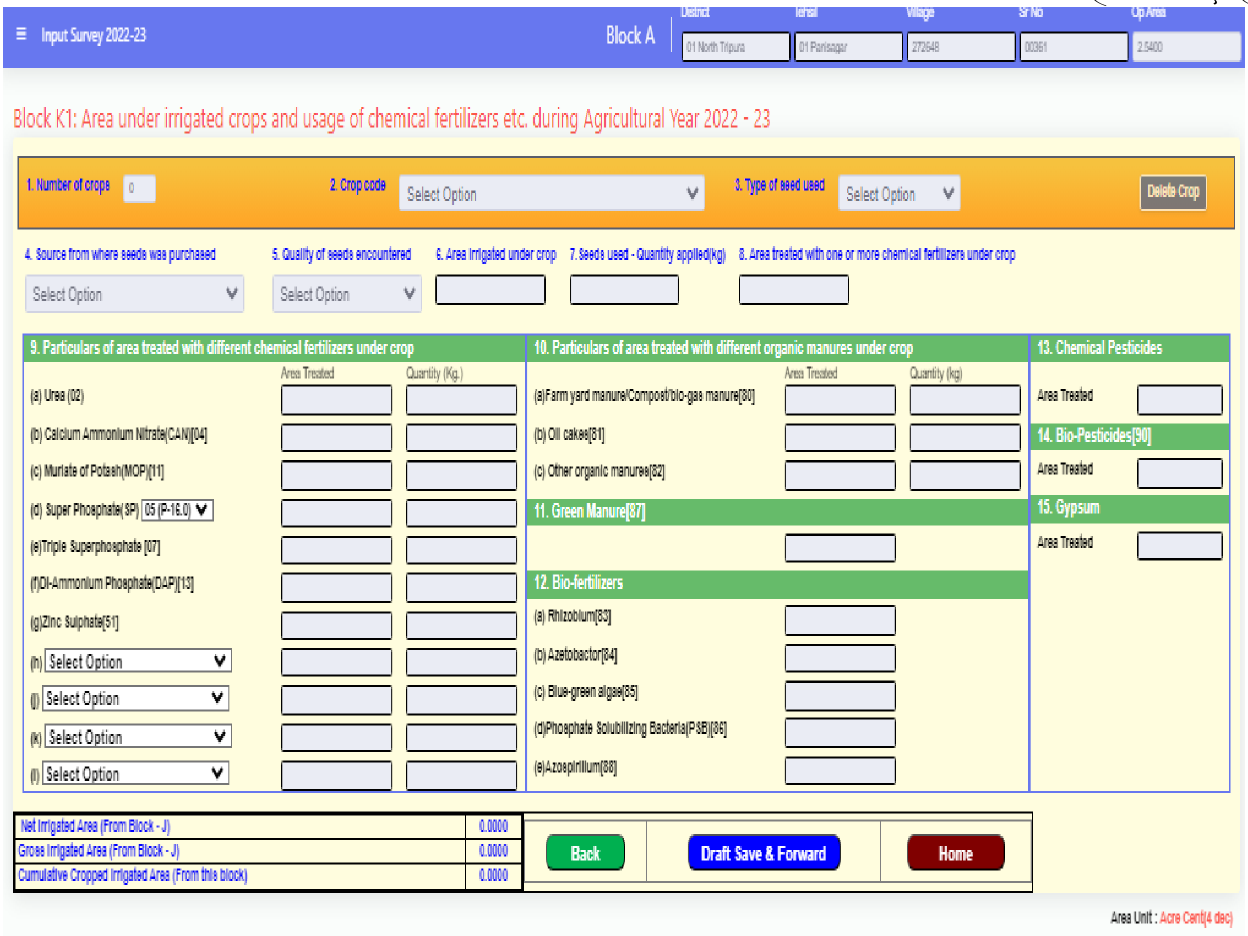
≡ Input Survey 2022-23 Block A | District: 01 North Tripura | Tehsil: 01 Panisagar | Village: 272648 | Sr No: 00361 | Op Area: 2.5400

Block K1: Area under irrigated crops and usage of chemical fertilizers etc. during Agricultural Year 2022 - 23

1. Number of crops: 0 | 2. Crop code: Select Option | 3. Type of seed used: Select Option | Delete Crop

4. Source from where seeds was purchased: Select Option | 5. Quality of seeds encountered: Select Option | 6. Area Irrigated under crop | 7. Seeds used - Quantity applied(kg) | 8. Area treated with one or more chemical fertilizers under crop

9. Particulars of area treated with different chemical fertilizers under crop	Area Treated	Quantity (Kg.)
(a) Urea (02)		
(b) Calcium Ammonium Nitrate(CAN)[04]		
(c) Muriate of Potash(MOP)[11]		
(d) Super Phosphate(SP) 05 (P-16.0)		
(e)Triple Superphosphate [07]		
(f)Di-Ammonium Phosphate(DAP)[13]		
(g)Zinc Sulphate[51]		
(h) Select Option		
(i) Select Option		
(k) Select Option		
(l) Select Option		

10. Particulars of area treated with different organic manures under crop	Area Treated	Quantity (kg)
(a)Farm yard manure/Compost/bio-gas manure[80]		
(b) Oil cakes[81]		
(c) Other organic manures[82]		
11. Green Manure[87]		
12. Bio-fertilizers		
(a) Rhizobium[83]		
(b) Azetobactor[84]		
(c) Blue-green algae[85]		
(d)Phosphate Solubilizing Bacteria(PSB)[86]		
(e)Azospirillum[88]		

13. Chemical Pesticides — Area Treated
14. Bio-Pesticides[90] — Area Treated
15. Gypsum — Area Treated

Net Irrigated Area (From Block - J)	0.0000
Gross Irrigated Area (From Block - J)	0.0000
Cumulative Cropped Irrigated Area (From this block)	0.0000

Back | Draft Save & Forward | Home

Area Unit : Acre Cent(4 dec)

स्थूल पोषक तत्व [कोड]-ड्रॉप-डाउन और एक से अधिक का चयन कर सकते हैं: [क्षेत्र] [किलोग्राम]
सुक्ष्म पोषक तत्व [कोड]-ड्रॉप-डाउन और एक से अधिक का चयन कर सकते हैं: [क्षेत्र] [किलोग्राम]
जटिल मिश्रण [कोड-एनपीके]-ड्रॉप-डाउन और एक से अधिक का चयन कर सकते हैं: [क्षेत्र] [किलोग्राम] -अतिरिक्त कोड जोड़ने के लिए विकल्प

27.1.11.1 **मद 1: फसलों की संख्या:** संदर्भ वर्ष के दौरान सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत परिचालन भू-धारक द्वारा उगाई गई सिंचित फसलों की कुल संख्या अंकित करें।

27.1.11.2 **मद 2: फसल कोड:** ड्रॉप-डाउन सूची से फसल के नाम के साथ फसल कोड का चयन करें।

27.1.11.3 ***मद 3 से 5:*** मद 2 के अंतर्गत चयनित, संबंधित प्रत्येक फसल कोड के सामने क्रमशः उपयोग किए गए बीज के प्रकार, बीज कहाँ से खरीदा गया था और बीजों की गुणवत्ता के लिए ड्रॉप-डाउन सूची से उपयुक्त कोड का चयन करें।

27.1.11.4 ***मद 6 से 8:*** मद 2 के अंतर्गत चयनित प्रत्येक संबंधित फसल कोड के सामने क्रमशः सिंचित क्षेत्र, उपयोग किए गए बीजों की मात्रा (किलोग्राम में) और एक या अधिक रासायनिक उर्वरकों से उपचारित क्षेत्र को रिकॉर्ड करें। मद 8 में फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल विभिन्न उर्वरकों के संबंध में दर्शाए गए क्षेत्रों का योग नहीं है, बल्कि कुछ रासायनिक उर्वरकों से उपचारित क्षेत्र है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि मद 8 के अंतर्गत एक या अधिक रासायनिक उर्वरकों से उपचारित क्षेत्र, फसल के अंतर्गत किसी विशिष्ट उर्वरक से उपचारित क्षेत्र से अधिक या बराबर होना चाहिए। अतः मद 8 में

एक या अधिक रासायनिक उर्वरकों से उपचारित क्षेत्र, मद 6 की सिंचित फसल के अंतर्गत क्षेत्र से कम या बराबर होगा।

27.1.11.5 ***मद 9: फसल के अंतर्गत विभिन्न रासायनिक उर्वरकों से उपचारित क्षेत्र का विवरण***: मद 9 में सूचीबद्ध विवरण रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को संदर्भित करते हैं। आवश्यक जानकारी मद 2 में चयनित संबंधित फसल कोड की तुलना में परिचालन भू-धारक द्वारा उपयोग किए गए प्रत्येक उर्वरक के लिए एकत्रित की जानी है। मद 2 में चयनित प्रत्येक फसल के लिए, उस फसल के लिए **निषेचित क्षेत्र और उपयोग किए गए विशिष्ट उर्वरक की मात्रा (किलोग्राम में)** उन विशिष्ट उर्वरकों के अनुरूप पंक्तियों में दर्ज की जानी है। उर्वरकों और उनके कोड की एक व्यापक सूची **अनुबंध-V** में दी गई है। जांचकर्ताओं/गणनाकर्ताओं की सुविधा के लिए, डेटा प्रविष्टि स्क्रीन में **सात प्रमुख उर्वरकों** के नाम और उनके कोड प्रदान किए गए हैं। स्थूल पोषक तत्वों, सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरकों और जटिल मिश्रण के अन्य लोकप्रिय ब्रांड के लिए, परिचालन भू-धारक द्वारा उपयोग किए गए विशेष उर्वरकों का चयन करने का विकल्प ड्रॉप-डाउन सूची के रूप में प्रदान किया गया है और संबंधित उपचारित क्षेत्र और उपयोग की गई मात्रा को भरा या दर्ज किया जाना चाहिए। चूंकि सूचना के इस ब्लॉक का उपयोग मद 2 के अंतर्गत चयनित संबंधित प्रत्येक फसल कोड के संबंध में उर्वरकों की पोषकतत्व-वार खपत के अनुमान के लिए किया जाना है, इसलिए उर्वरकों की पोषकतत्व संबंधी जानकारी महत्वपूर्ण है। हालांकि, देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में जटिल/मिश्रण लोकप्रिय होने के मद्देनजर, इन उर्वरकों की पोषकता सामग्री को जटिल मिश्रण के अंतर्गत दर्ज किया जाना है। उदाहरण के लिए, यदि किसान लोकप्रिय ब्रांड का नाम बताता है, तो साक्षात्कार के समय इसे दर्ज किया जा सकता है। यदि, यह ज्ञात है कि इस ब्रांड में 12% नाइट्रोजन (एन), 32% फॉस्फेट (पी) और 16% पोटाश (के) है, तो अन्वेषक 12-32-16 के लिए उर्वरक कोड का चयन करेगा और संबंधित कॉलम भरेगा। क्षेत्र रिकॉर्ड करने के लिए अनुशंसित इकाई हेक्टेयर है और उर्वरक की मात्रा केवल किलोग्राम। यदि किसान बोरियों की संख्या में परिमाण सूचित करता है तो कॉलम भरने के लिए इसे समतुल्य किलोग्राम में परिवर्तित किया जाना है।

27.1.11.6 ***मद 10 से 15:*** मद संख्या 10 से 15 जैविक खाद, हरी खाद, जैव- उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग से संबंधित हैं। जैविक खाद, हरी खाद और जैव-उर्वरक की अवधारणाओं के संबंध में **अनुबंध-VII** में चर्चा की गई है। सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए, "कीटनाशक" का अर्थ पौधों पर कीटों को मारने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के रसायन होंगे और इसलिए इसमें कीटनाशक, खरपतवारनाशक और कवकनाशक फंगसनाशी शामिल होंगे।

लंबी अवधि की फसलों के मामले में जो खरीफ और रबी/जईद दोनों मौसमों को कवर करती हैं, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस क्षेत्र गणना प्रत्येक को वर्ष के दौरान केवल एक बार ही की जाए और फसल की संपूर्ण अवधि के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उर्वरकों इत्यादि की मात्रा को दर्शाया जा सकता है।

27.1.12 ***ब्लॉक के2- कृषि वर्ष 2022-23 (जुलाई 2022 से जून 2023) (खरीफ 2022, रबी 2022-23 और जायद 2022-23) के दौरान असिंचित फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल तथा रासायनिक उर्वरकों, बीजों, खादों और कीटनाशकों का उपयोग:*** यह ब्लॉक असिंचित फसलों के संबंध में असिंचित फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, रासायनिक उर्वरकों, बीजों, जैविक खादों, जैव-उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के उपयोग से संबंधित सूचना एकत्र करने के लिए है।

इस ब्लॉक के लिए प्रचार-प्रसार हेतु निर्देश उपर्युक्त **ब्लॉक के1** के लिए अपनाए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

27.1.13 ***ब्लॉक- के: सभी ब्लॉकों की सत्यापन स्थिति***: यह ब्लॉक प्रत्येक ब्लॉक की प्रगति या पूर्णता की स्थिति की जांच/सत्यापन के लिए जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ब्लॉक-क में संबंधित चयनित सीरियल नंबर या परिचालन भू-धारक के लिए डेटा संग्रह कार्य के दौरान कोई जानकारी छूट न जाए। इस ब्लॉक में, प्रत्येक ब्लॉक के लिए प्रगति की स्थिति पूर्ण या लंबित के संदर्भ में प्रदर्शित की जाती है। साथ ही, प्रगणक स्थिति पर क्लिक करके सीधे किसी भी पूर्ण या लंबित ब्लॉक पर जा सकते हैं और अधूरी जानकारी भर सकते हैं या किसी भी जानकारी का संशोधन संपादित कर सकते हैं।

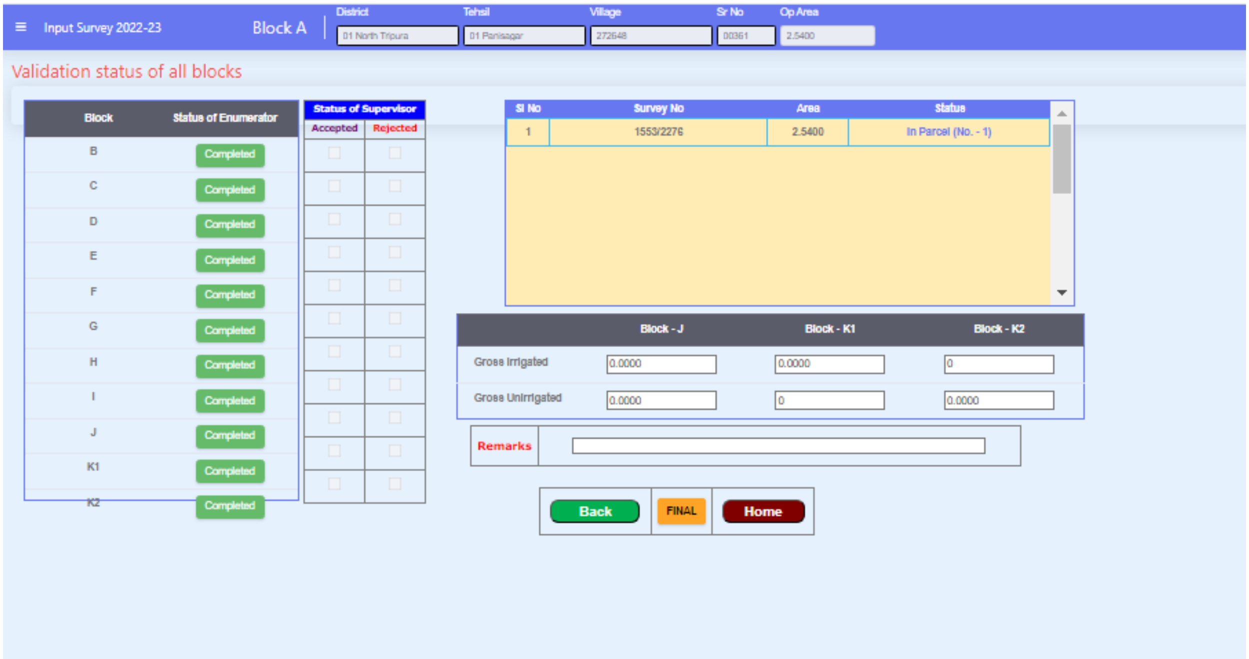

यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि संबंधित चयनित सीरियल नंबर या परिचालन भू-धारक के लिए सभी ब्लॉक पूर्ण रूप से भरे गए हैं, एकत्रित जानकारी को सेव करने के लिए इस ब्लॉक में उपलब्ध "फाइनल सेव" बटन पर क्लिक करें और फिर सूचना भरने के लिए अगले चयनित सीरियल नंबर या परिचालन भू-धारक पर जाएं।

खंड – घ: अनुबंध

अनुबंध-I

तालिका-1: गांवों की संख्या और तहसीलों/ब्लॉकों में चयनित गांवों की जानकारी

1. राज्य: ____________

2. जिला: ____________

3. जिले में तहसीलों/ब्लॉकों की कुल संख्या: ____________

क्र. सं.	तहसील/ब्लॉक का नाम	तहसील/ब्लॉक कोड	चरण-II में तहसील/ ब्लॉक में गांवों की संख्या	इनपुट सर्वेक्षण के लिए चयनित गांवों की संख्या	चयनित गांवों के नाम और उनके कोड	
					गांव का नाम	कोड
1	2	3	4	5	6	7

नोट: चरण-**II** के गांवों से **35%** गांवों का चयन एसआरएसडब्ल्यूओआर के साथ यादृच्छिक रूप से किया जाना है।

<u>फ्रेम के अद्यतन के पश्चात सिस्टम के माध्यम से तालिका तैयार करना (अनुसूची-एल)</u>

तालिका-*2:* प्रतिदर्श गांव में परिचालन भू-धारकों की आकार-वर्ग-वार सूची (अनुसूची एल के पूर्ण होने के बाद तैयार)

क्र.सं.	परिचालन भू-धारक का नाम	पिता/पति का नाम	संचालित क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3	4

तालिका-3: नमूना गांव में आकार-वर्ग-वार चयनित परिचालन भू-धारक

क्र.सं.	परिचालन भू-धारक का नाम	पिता/पति का नाम	संचालित क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3	4

नोट: प्रत्येक आकार वर्ग से **4** नमूनों को एसआरएसडब्ल्यूओआर के साथ यादृच्छिक रूप से चयन किया जाना है और अतिरिक्त **2** नमूने प्रत्येक को आकस्मिक नमूने के लिए आरक्षित रखना है।.

तालिका-4: नमूना गांव में कुल संख्या एवं चयनित भू-धारक (जिला/तहसील/गांव स्तर)

नमूना गांव में कुल और चयनित जोतों की संख्या और क्षेत्रफल																			
सीमांत (1.00 हेक्टेयर से कम)				छोटा (1.00 से 1.99 हेक्टेयर)				अर्ध-मध्यम (2.00 से 3.99 हे.)				मध्यम (4.00 से 9.99 हेक्टेयर)				बड़ा (10.00 हेक्टेयर और उससे अधिक)			
कुल		नमूने में		कुल		नमूने में		कुल		नमूने में		कुल		नमूने में		कुल		नमूने में	
सं.	क्षेत्र	सं.	क्षेत्र	सं.	क्षेत्र	सं.	क्षेत्र	सं.	क्षेत्र	सं.	क्षेत्र	सं.	क्षेत्र	सं.	क्षेत्र	सं.	क्षेत्र	सं.	क्षेत्र
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

नोट: आकस्मिक की संख्या के आधार पर डेटा एकत्रित होने पर उसे अद्यतन किया जाएगा।

अनुबंध-II

आकार समूहों के प्रकार और संचालित क्षेत्र के अनुसार चयनित गांव में परिचालन जोतों की सूची और उनके चयन का रिकॉर्ड

ब्लॉक ए: पहचान विवरण

1. राज्य: [ ][ ] 2. जिला [ ][ ] 3. ब्लॉक/तहसील [ ][ ]

4. गाँव: [ ][ ][ ][ ][ ][ ] **5** प्रगणक का नाम:

6. क्षेत्र इकाई: हेक्टेयर/एकड़/अन्य (निर्दिष्ट करें):

ब्लॉक-ख: गांव के सभी घरों के परिचालन भू-धारकों की सूची:

क्र ,सं .	परिचालन धारक की क्रम संख्या	मकान संख्या	परिचालन धारक का नाम	पिता/पति का नाम	सर्वेक्षण सं.	संचालित क्षेत्र					किरायेदारी की स्थिति
						स्वामित्व एवं स्व-संचालित	पट्टे में	अन्यथा संचालित	कुल संचालित क्षेत्र (कॉलम 7+8+9)	कुल संचालित क्षेत्र (हेक्टेयर में).)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

नोट: कॉलम 12 में किरायेदारी की स्थिति के लिए कोड: 1 - पूर्ण स्वामित्व और स्वयं संचालित, 2 - आंशिक रूप से स्वामित्व और आंशिक रूप से पट्टे पर, 3 - पूरी तरह से पट्टे पर, 4 - पूरी तरह से अन्यथा संचालित, 5 - आंशिक रूप से स्वामित्व और आंशिक रूप से अन्यथा संचालित, 6 - आंशिक रूप से पट्टे पर और आंशिक रूप से अन्यथा संचालित, 7 - आंशिक रूप से स्वामित्व, आंशिक रूप से पट्टे पर और आंशिक रूप से अन्यथा संचालित।

ब्लॉक-ग: काश्तकारी द्वारा संचालित क्षेत्र (यदि ब्लॉक-ख के कॉलम 8 में जानकारी भरी गई है तो इस ब्लॉक को भरें))

पट्टे पर लिया गया क्षेत्र की क्रम संख्या	पट्टे पर लिया गया क्षेत्र पर काश्तकारी का प्रकार (1- निश्चित धन, 2- निश्चित उपज, 3- उपज का हिस्सा, 4- रिश्तेदारों से बिनाकोई विशेष शर्तें पर, 5- अन्य)	पट्टे पर लिया गया क्षेत्र
1	2	3

ब्लॉक-क पहचान विवरण

1. राज्य: 2. जिला 3. ब्लॉक/तहसील

4. गाँव: 5. प्रगणक का नाम:

ब्लॉक-ख: जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल

क्र. सं..	परिचालन भू-धारक का नाम	पिता/पति का नाम	मकान संख्या	आयु (धारक के पिछले जन्मदिन के अनुसार) (पूर्ण वर्ष में)	परिवार का आकार			कृषि में कार्यरत परिवार के सदस्यों की संख्या (18 वर्ष और उससे अधिक)						परिचालन भू-धारक अन्य कृषि गतिविधियों जैसे पशुपालन / मत्स्य पालन / मुर्गीपालन आदि के साथ-साथ कृषि में भी कार्यरत है (कोड 0 - 4)
								पुरुष		महिला		ट्रांसजेंडर		
					पुरु	म	ट्रां	पूर्ण रूप से	आंशिक रूप से	पूर्ण रूप से	आंशिक रूप से	पूर्ण रूप से	आंशिक रूप से	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

नोट: कॉलम 15 के लिए कोड: 0 – नहीं, 1 – पशुधन, 2 – मुर्गीपालन, 3 – मत्स्यपालन, 4 – अन्य।

ब्लॉक-ग: आर्थिक प्रोफ़ाइल

क्र.सं.	परिचालन भू-धारक की आय का मुख्य स्रोत (कोड 1 – 7)	कृषि उत्पादन का मुख्य उद्देश्य (कोड 1 – 3)	यदि कॉलम 3 में कोड 2 या 3 है तो कृषि उत्पाद किसे बेचे जाते हैं (कोड 1 – 9)	क्या आप बिक्री के परिणाम से संतुष्ट हैं? (कोड 1 – 6)
1	2	3	4	5

नोट: 1. कॉलम 2 में आय के मुख्य स्रोत के लिए कोड: 1 – फसल उत्पादन, 2 – पशुधन, 3 – मुर्गी पालन, 4 – मत्स्य पालन, 5 – गैर-कृषि व्यवसाय, 6 – मजदूरी/नियमित वेतनभोगी, 7 – अन्य।

2. कॉलम 3 में कृषि उत्पादन के मुख्य उद्देश्य के लिए कोड: 1 – स्वयं उपभोग, 2 – बिक्री के लिए, 3 – दोनों।
3. कॉलम 4 के लिए कोड: 1 – स्थानीय बाजार (स्थानीय व्यापारियों सहित), 2 – एपीएमसी बाजार, 3 – इनपुट व्यापारी, 4 – सहकारी, 5 – सरकारी एजेंसियां, 6 – किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), 7 – निजी प्रोसेसर, 8 – कोन्ट्राक्ट कृषि प्रायोजक/कंपनियां, 9 – अन्य।
4. कॉलम 5 के लिए कोड: 1 – संतोषजनक, 2 – असंतोषजनक: बाजार मूल्य से कम, 3 – विलंबित भुगतान, 4 – लिए गए ऋणों के लिए कटौती, 5 – गलत वजन और ग्रेडिंग,, 6 – असंतोष का अन्य कारण।

ब्लॉक-घ: शिक्षा और तकनीकी प्रोफ़ाइल

क्र.सं.	भू-धारक की शैक्षिक योग्यता (कोड 1-6)$$	क्या आपने कृषि में कोई औपचारिक प्रशिक्षण लिया है? (हाँ-1/नहीं-2)	क्या कृषि गतिविधि से संबंधित तकनीकी सलाह तक पहुंच है? (हां-1/नहीं-2)	यदि कॉलम 4 में हां है, तो तकनीकी सलाह का स्रोत		प्राप्त जानकारी/सलाह का प्रकार (कोड 1-15)	क्या अनुशंसित/सलाह अपनाई गई (हां-1/नहीं-2)
				क्र.सं.	तकनीकी सलाह का स्रोत (कोड 1 – 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट: 1. **कॉलम** 2 **में शिक्षा के लिए कोड**: निरक्षर - **0;** प्राथमिक (कक्षा **V) - 1;** मध्यम-**2;** हाई स्कूल/माध्यमिक - **3;** उच्च माध्यमिक/पूर्व स्नातक - **4;** डिग्री स्तर से नीचे तकनीकी डिप्लोमा - **5;** स्नातक और उससे ऊपर - **6**।

2. **कॉलम 6 में तकनीकी सलाह के स्रोतों के लिए कोड**: 1 - प्रगतिशील किसान, 2 - इनपुट डीलर, 3 - सरकारी विस्तार एजेंट/एटीएमए, 4 - कृषि विज्ञान केंद्र, 5 - कृषि विश्वविद्यालय/कॉलेज, 6 - निजी वाणिज्यिक एजेंट, 7 - किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), 8 - निजी प्रोसेसर, 9 - कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र (एसीएबीसी), 10 - एनजीओ, किसान कॉल सेंटर, 11 - प्रिंट मीडिया / रेडियो / टीवी / स्मार्टफोन ऐप आधारित सूचना / अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।

3. **कॉलम 7 में प्राप्त तकनीकी सलाह के प्रकार के लिए कोड:** कृषि: 1 – उन्नत बीज / किस्म, 2 – उर्वरक का प्रयोग, 3- पौध संरक्षण (कीटनाशक आदि), 4- कृषि मशीनरी, 5 – कटाई / विपणन, 6 – अन्य, पशुपालन: 7 – प्रजनन, 8 – चारा, 9 – स्वास्थ्य देखभाल, 10 – प्रबंधन, 11- अन्य, मत्स्य पालन: 12 – बीज उत्पादन, 13 – कटाई, 14 – प्रबंधन और विपणन, 15 – अन्य।

ब्लॉक-ड़: सदस्यता/कृषि सेवाओं का उपयोग

क्र.सं..	क्या आप किसी एफपीओ के सदस्य हैं?(हां-1/नहीं-2)	क्या आपके पास के.सी.सी. है? (हां-1/नहीं-2)	क्या आपने 2022-23 के दौरान कोई फसल बीमा लिया है? (हाँ-1/नहीं-2)	क्या आप किसी कृषि योजना के संबंध में जानते हैं? (हाँ-1/नहीं-2)	यदि कॉलम 5 में हां है,तो लाभांवित योजनाओं की संख्या	लाभान्वित योजनाओं का नाम (कोड 0 – 14)		क्या आप योजनाओं से संतुष्ट हैं? (1 – पूर्णतः संतुष्ट, 2 – आंशिक रूप से संतुष्ट, 3 – संतुष्ट नहीं)	क्या सरकारी लाभार्थी योजनाओं का लाभ उठाने के बाद पिछले 5 वर्षों में आय में कोई सुधार हुआ है? (कोड 0 – 4)
						क्र.सं..	नाम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

नोट: 1. **कॉलम** 8 **में कृषि योजना के लिए कोड: 0-**नहीं, **1-**पीएम-किसान, **2-**पीएमएफबीवाई, **3-**पीएमकेएसवाई, **5-**ई-एनएएम, **6-**केसीसी, **7-**आरकेवीवाई, **8-**एनएफएसएम, **9-**एआईएफ, **10-**एसएचसी, **11-**एमएसपी, **12-**एनएमएसए, **13-**एटीएमए, **14-**अन्य।

2. **कॉलम** 10 **के लिए कोड: 0-**नहीं, **1-0** से **25%**, **2-25** से **50%**, **3-50** से **75%**, **4-75%** से अधिक।

ब्लॉक-च: जैविक खेती पर जानकारी

क्र. सं.	क्या आपने जैविक खेती की है? (हाँ - 1 / नहीं - 2)	यदि कॉलम 2 में हां, तो जैविक खेती के अंतर्गत क्षेत्र बताएं	क्या परिचालन भू-धारक द्वारा उत्पादित जैविक उत्पाद सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमाणन एजेंसी द्वारा प्रमाणित है (हाँ - 1 / नहीं - 2)
1	2	3	4

नोट: ##जैविक खेती पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से उत्तरदाई दृष्टिकोण के साथ रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना कृषि की एक प्रणाली है;

ब्लॉक-छ: 2022-23 के दौरान परिचालन भू-धारक द्वारा लिए गए कृषि ऋण

क्र. सं.	क्या आपने कोई कृषि ऋण लिया है? (हां-1/नहीं-2)	ऋण की संख्या	प्राप्त ऋण का स्रोत*	ऋण की अवधि (1- अल्पावधि (1 वर्ष से कम), 2- दीर्घावधि (1 वर्ष से अधिक)	ऋण का उद्देश्य (1- उर्वरक, 2- बीज, 3- कृषि मशीनरी/उपकरण, 4- कृषि में पूंजी निर्माण, 5- अन्य कृषि इनपुट)	प्राप्त ऋण की राशि (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7

नोट: कॉलम 4 **में ऋण के स्रोत के लिए कोड: 1 –** प्राथमिक कृषि ऋण समिति, **2 –** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा / वाणिज्यिक बैंक शाखा, **3 –** अन्य संस्थाएँ, **4 –** गैर-संस्थागत क्षेत्र (ऋणदाता सहित)।

*कृषि ऋण में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिया गया ऋण शामिल है।

ब्लॉक-ज: 2022-23 के दौरान बीजों के उपयोग, आईपीएम और मृदा परीक्षण पर जानकारी

बीज					
क्र. सं.	क्या एचवाईवी/हाइब्रिड बीज का उपयोग किया गया था (हां-1/नहीं-2)	यदि कॉलम 2 में हां, तो फसलों की क्रम संख्या	फसल का नाम कोड सहित	वह स्रोत जहां से एचवाईवी/हाइब्रिड बीज खरीदा गया	प्रयुक्त बीजों की गुणवत्ता
1	2	3	4	5	6

नोट: 1. **कॉलम** 5 **में एचवाईवी/संकर के स्रोत के लिए कोड:** राज्य कृषि विभाग **– 1,** बीज निगम **– 2,** राज्य कृषि विश्वविद्यालय फार्म **– 3,** सहकारी समितियां/संघ **– 4,** निजी बीज कंपनियां **– 5,** निजी बीज विक्रेता/खुदरा विक्रेता **– 6,** स्थानीय बाजार**-7,** एफपीओ**-8,** अन्य**-9**।

2. कॉलम 6 **में बीज की गुणवत्ता के लिए कोड: 1 -** अच्छा, **2 –** विभिन्न प्रकार की मिलावट, **3 -** अंकुरण विफलता, **4 –** भौतिक मिलावट, **5 -** कीट द्वारा क्षति, **6 -** अन्य।

एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम)		
क्र.सं.	क्या परिचालन भू-धारक द्वारा आधार/प्रमाणित बीज गुणन कार्यक्रम चलाया गया था? (हां-1/नहीं-2)	कीटों से अपनी फसल की सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले तरीके (कई विकल्प)
1	2	3

नोट: कॉलम 3 **में पद्धति संहिता: 1-** फसल चक्रण, **2-** फसल चक्रण के अलावा कृषि एवं सांस्कृतिक कार्यप्रणाली**, 3-** यांत्रिक नियंत्रण, **4-** जैविक, प्रकृति आधारित या पर्यावरणीय विधियां, **5-** रासायनिक विधियां, **6-** अन्य (निर्दिष्ट करें), **7-** कोई प्रयास/पद्धति नहीं

मृदा स्वास्थ्य कार्ड						
क्र. सं.	**क्या 30 जून, 2023 तक भू-धारक के खेत पर कभी मिट्टी की जांच की गई है? (हां-1/नहीं-2)**	**यदि कॉलम 2 में हां है तो कृपया उस सम्पूर्ण भू-खण्ड का क्षेत्रफल बताएं जिस पर मृदा परीक्षण किया गया था।**	**यदि कॉलम 2 में हां, तो क्या पिछले पांच वर्षों (अर्थात 01.07.2018 से 30.06.2023 तक) के दौरान मृदा परीक्षण कराया गया है? (हां-1/नहीं-2)**	**क्या आपके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) है? (हाँ-1/नहीं-2)**	**क्या मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) की सिफारिशों को अपनाया गया/लागू किया गया? (हां-1/नहीं-2)**	**यदि कॉलम 6 में उत्तर हां है, तो क्या इससे उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली? (हां-1/नहीं-2)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

खंड-I: कृषि औजारों/मशीनों/उपकरणों का उपयोग

क्र.सं.	वस्तु	कोड	क्या उपयोग किया गया		
			हां		नहीं
			स्वामित्व	किराये पर लिया गया	
1	2	3	4	5	6
क.	**मैनुअल मशीनें/उपकरण** 1.हस्त चालित बीज उर्वरक ड्रिल	101			
	2.विनोइंग पंखा	102			
	3.हस्त चालित मक्का शेल्लर	103			
	4.चैफ कटर	104			
	5.हस्त चालित नैपसेक स्प्रेयर/डस्टर	105			
	6.गन्ना कोल्हू	106			
	7.अन्य	107			
ख.	**पशु संचालित उपकरण** 8.लकड़ी का हल	201			
	9.कल्टीवेटर (त्रिफली)	202			
	10.बीज-सह-उर्वरक ड्रिल/बीज ड्रिल	203			
	11.लेवलिंग कराह	204			
	12.बीज बोने की मशीन	205			
	13.पशु द्वारा संचालित पडलर	206			
	14.अन्य	207			
ग.	**विद्युत संचालित उपकरण/मशीनें** 15.पावर स्प्रेयर	301			
	16.पावर टिलर	302			
	17.कृषि ट्रैक्टर	303			
	18.ट्रैक्टर द्वारा संचालित मोल्ड बोर्ड हल	304			
	19.ट्रैक्टर द्वारा संचालित डिसचैरो	305			
	20. ट्रैक्टर द्वारा संचालित बीज ड्रिल/बीज-सह-उर्वरक ड्रिल	306			
	21. ट्रैक्टर संचालित प्लांटर	307			
	22. ट्रैक्टर संचालित लेवलर	308			
	23. ट्रैक्टर संचालित आलू खोदने वाला यंत्र	309			
	24. विद्युत संचालित थ्रेशर (गेहूं, धान, मल्टी क्रॉप)	310			
	25. विद्युत संचालित चैफ कटर	311			
	26. विद्युत संचालित केन क्रशर	312			
	27. कंबाइन हार्वेस्टर (ट्रैक्टर चालित)	313			
	28. कंबाइन हार्वेस्टर (स्वचालित)	314			
	29.कल्टीवेटर (ट्रैक्टर संचालित)	315			
	30.रोटावेटर	316			
	31.पडलिंग के लिए प्रयुक्त केज व्हील	317			
	32.स्वचालित रीपर	318			

क्र.सं.	वस्तु	कोड	क्या उपयोग किया गया		
			हां		नहीं
			स्वामित्व	किराये पर लिया गया	
1	2	3	4	5	6
	33.विद्युत संचालित मक्का शेलर	319			
	34.मूंगफली डिकोर्टिकेटर	320			
	35.ट्रैक्टर संचालित रीपर	321			
	36.रेज्ड-बेड प्लांटर/बीबीएफ प्लांटर (ट्रैक्टर से चलने वाला)	322			
	37.जीरो-टिल सीड-कम-फर्टिलाइज़र ड्रिल (ट्रैक्टर संचालित)	323			
	38.स्ट्रिप-टिल-ड्रिल (ट्रैक्टर संचालित)	324			
	39.गन्ना कटाई रोपण मशीन (ट्रैक्टर संचालित)	325			
	40.सब्जी ट्रांस रोपण मशीन (ट्रैक्टर संचालित)	326			
	41.एयरो-ब्लास्ट स्प्रेयर	327			
	42.पावर वीडर (स्वचालित)	328			
	43.न्यूमेटिक रोपण मशीन (ट्रैक्टर से चलने वाला)	329			
	44.स्वचालित धान प्रत्यारोपण मशीन (राइडिंग टाइप और वॉक बिहाइंड दोनों)	330			
	45.स्ट्रॉ कंबाइन (ट्रैक्टर संचालित)	331			
	46.ट्रैक्टर संचालित डिस्क हल	332			
	47.लेजर लैंड लेवलर	333			
	48.स्ट्रॉ बेलर	334			
	49.रीपर बाइंडर	335			
	50.गन्ना हार्वेस्टर	336			
	51.ट्रैक्टर संचालित पोस्टहोल डिगर	337			
	52.हैप्पी सीडर	338			
	53.ट्रैक्टर संचालित स्प्रे पंप	339			
	54.ब्रश कटर	340			
	55.चेन सॉ	341			
	56.पोर्टेबल ऑगर डिगर	342			
	57.हेज ट्रिमर	343			
	58.डीजल इंजन पंपसेट	344			
	59.इलेक्ट्रिक पंपसेट	345			
	60.स्प्रिंकलर सिंचाई सेट/माइक्रो स्प्रिंकलर/रेन गन	346			
	61.ड्रिप सिंचाई सेट	347			
	62.सोलर पंपिंग सेट	348			
	63.ड्रोन तकनीक	349			
	64.ट्रैक्टर संचालित चेक बेसिन फॉर्मर	350			
	65.ट्रैक्टर संचालित गन्ना पौध प्रत्यारोपण मशीन (दो पंक्ति)	351			

क्र.सं.	वस्तु	कोड	क्या उपयोग किया गया		
			हां		नहीं
			स्वामित्व	किराये पर लिया गया	
1	2	3	4	5	6
	66.बागों के लिए ट्रैक्टर संचालित इंटर-रो-सह-इंट्रा-रो वीडर	352			
	67. बागों के लिए ट्रैक्टर संचालित क्षैतिज दो तरफा डिस्चार्ज श्रेडर	353			
	68. ट्रैक्टर संचालित हाइड्रो-मैकेनिकल नियंत्रित ऑफसेट बाग प्रबंधक	354			
	69. बागों के लिए ट्रैक्टर संचालित खाद वितरण मशीन	355			
	70. गन्ने की फसल के लिए ट्रैक्टर संचालित दो पंक्ति वाला फॉरवर्ड-रिवर्स चलने वाला रोटावेटर	356			
	71. ट्रैक्टर संचालित केले का तना काटने वाला मशीन	357			
	72. ट्रैक्टर संचालित गन्ना पत्ती काटने वाला मशीन	358			
	73. ट्रैक्टर संचालित सुपर सीडर	359			
	74. ट्रैक्टर संचालित स्मार्ट सीडर	360			
	75. हे रैक	361			
	76. सुपर एसएमएस	362			
	77. ट्रैक्टर संचालित क्रस्ट ब्रेकर/वीड स्लेशर	363			
	78. ट्रैक्टर संचालित रिजर/फरो ओपनर	364			
	79. ट्रैक्टर संचालित बंड फॉर्मर	365			
	80. स्व-चालित कंबाइन मक्का हार्वेस्टर	366			
	81. अन्य	367			

नोट: कॉलम 4, 5 **और** 6 **के लिए कोड:** परिचालन भू-धारक के स्वामित्व में और उसके द्वारा उपयोग किए गए कृषि उपकरण/मशीनें/उपकरण।
कोड-1 कॉलम **4** में दर्ज किए जाएंगे; किराये के आधार पर उपयोग किए गए **कोड-2** कॉलम **5** में दर्ज किए जाएंगे; किसी भी कृषि उपकरण आदि का उपयोग नहीं किया गया। **कोड-3** कॉलम **6** में दर्ज किए जाएंगे।

ब्लॉक-ञ: भू-खण्ड-वार फसल पैटर्न

भूखण्ड- की संख्या	भूखण्ड- / सर्वेक्षण संख्या का पहचान विवरण	भूखण्ड- का क्षेत्रफल	भूखण्ड- का स्थान			सिंचाई की विधि (कोड 1-4)	सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का प्रकार (कोड 1-4)
			गांव के भीतर	गांव के बाहर लेकिन तहसील/ब्लॉक के भीतर	तहसील/ब्लॉक के बाहर लेकिन जिले/राज्य के भीतर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
कुल:							

नोट)1) कॉलम 7 में सिंचाई की विधि के लिए कोड :1 - सतहीनहर खुली/, 2 - स्प्रिंटक्लर, 3 - ड्रिप, 4-अन्य; (2) कॉलम 8 में ऊर्जा के प्रकार के लिए कोड :1 - पेट्रोल, 2 - डीजल, 3 - बिजली, 4 - सौर।)3) कॉलम 3 (कुल कॉलम = (9+कॉलम 10+कॉलम 11

कृषि रहित क्षेत्र	वर्तमान परती भूमि के अंतर्गत क्षेत्र	निवल बोया गया क्षेत्र			निवल असिंचित क्षेत्र	
		कुल	असिंचित	सिंचित	एक बार फसलीकृत	एक से अधिक बार फसलीकृत
9	10	11 (कॉलम. 12+ 13)	12 (कॉलम.14 +15)	13 (कॉलम.16 + कॉलम.17 + कॉलम.20)	14	15

कुल:						

निवल सिंचित क्षेत्र			
एक बार फसलीकृत	दो बार फसलीकृत		
	कुल	एक फसल सिंचित	दोनों फसलें सिंचित
16	**17 (कॉलम.18+कॉलम.19)**	**18**	**19**
कुल:			

निवल सिंचित क्षेत्र			
तीन या अधिक बार फसलीकृत			
कुल	एक फसल सिंचित	दो फसलें सिंचित	तीन या अधिक फसलें सिंचित
20 (कॉलम.21 + कॉलम.22 + कॉलम.23)	**21**	**22**	**23**
कुल:			

सकल फसलीकृत क्षेत्र		
सकल असिंचित क्षेत्र†+	सकल सिंचित क्षेत्र†+	कुल: **(कॉलम.**24+25)
2 4	25	26
कुल:		

कॉलम 24 **और कॉलम** 25 **के लिए निम्नलिखित गणना की जा सकती है:**

1. कॉलम 24 = कॉलम 14 + 2*कॉलम 15 + कॉलम 18 + 2*कॉलम 21 + कॉलम 22
2. कॉलम 25 = कॉलम 16 + कॉलम 18 + 2*कॉलम 19 + कॉलम 21 + 2*कॉलम 22 + 3*कॉलम 23.

नोट: उपर्युक्त सूत्रों को लागू करने के पश्चात †+कॉलम 24 और 25 को कॉलम 14 से 23 में दिए गए 'योग' के आधार पर भरा जाएगा।

ब्लॉक-ट 1 कृषि वर्ष 2022-23 (जुलाई 2022 – जून 2023) के दौरान सिंचित फसलों का क्षेत्रफल तथा रासायनिक उर्वरकों, बीजों, खादों एवं कीटनाशकों का उपयोग।

क्र. सं.	मद	सिंचित फसलें									सिंचित फसलों की कुल संख्या		
		फसल: (कोड)			फसल: (कोड)			फसल: (कोड)					
		एचवाईवी	हाइब्रिड	अन्य	एचवाईवी	हाइब्रिड	अन्य	एचवाईवी	हाइब्रिड	अन्य	एचवाईवी	हाइब्रिड	अन्य
		कोड 1	कोड2	कोड3	कोड1	कोड2	कोड3	कोड1	कोड2	कोड3	कोड1	कोड2	कोड3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	फसल के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र												
2.	प्रयुक्त बीज - प्रयुक्त मात्रा (किलोग्राम में)												
3.	फसल के अंतर्गत एक या अधिक रासायनिक उर्वरकों से उपचारित क्षेत्र												
4.	फसल के अंतर्गत विभिन्न रासायनिक उर्वरकों से उपचारित क्षेत्र का विवरण												
	(क) यूरिया [02]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(ख) कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (सीएएन) [04]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(ग) म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) [11]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(घ) सुपर फॉस्फेट (एसपी) [05,06]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(ङ) ट्रिपल सुपरफॉस्फेट [07]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(च) डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) [13]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(छ) जिंक सल्फेट [51]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(ज) जटिल/मिश्रित [ ]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(झ) जटिल/मिश्रित [ ]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(ञ) जटिल/मिश्रित [ ]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(ट) जटिल/मिश्रित [ ]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
5.	फसल के अंतर्गत विभिन्न जैविक उर्वरकों से उपचारित क्षेत्र का विवरण												
	क) फार्म यार्ड खाद (एफवाईएम)/कम्पोस्ट/बायो-गैस खाद [80]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	ख) तेल केक [81]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	ग) अन्य जैविक खाद [82]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												

6.	**हरी खाद से उपचारित क्षेत्र [**87]												
7.	**जैव-उर्वरक**												
	क) राइजोबियम से उपचारित क्षेत्र [83]												
	ख) एज़ेटोबैक्टर से उपचारित क्षेत्र [84]												
	ग) नील-हरित शैवाल से उपचारित क्षेत्र [85]												
	घ) फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया (PSB) से उपचारित क्षेत्र [86]												
	ड़) एज़ोस्पिरिलम से उपचारित क्षेत्र [88]												
8.	**रासायनिक कीटनाशकों से उपचारित क्षेत्र [89]**												
9.	**जैव-कीटनाशकों से उपचारित क्षेत्र [90]**												
10.	**जिप्सम से उपचारित क्षेत्र**												

1. किसी फसल के अंतर्गत निवल क्षेत्र <= निवल बोया गया क्षेत्र।
2. किसी फसल के अंतर्गत निवल सिंचित क्षेत्र <= निवल सिंचित क्षेत्र।
3. किसी फसल के अंतर्गत एक या अधिक रासायनिक उर्वरकों से उपचारित क्षेत्र >= उस फसल के अंतर्गत किसी विशिष्ट रासायनिक उर्वरक से उपचारित क्षेत्र।
4. किसी फसल के अंतर्गत एक या अधिक रासायनिक उर्वरकों से उपचारित क्षेत्र ≤ उस फसल के अंतर्गत क्षेत्र।

ब्लॉक-ट2: कृषि वर्ष 2022-23 (जुलाई 2022 – जून 2023) के दौरान असिंचित फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल तथा रासायनिक उर्वरकों, बीजों, खादों एवं कीटनाशकों का उपयोग।

क्र. सं.	मद	असिंचित फसलें									असिंचित फसलों की कुल संख्या		
		फसल: (कोड)			फसल: (कोड)			फसल: (कोड)					
		एचवाईवी	हाइब्रिड	अन्य	एचवाईवी	हाइब्रिड	अन्य	एचवाईवी	हाइब्रिड	अन्य	एचवाईवी	हाइब्रिड	अन्य
		कोड 1	कोड 2	कोड 3	कोड 1	कोड 2	कोड 3	कोड 1	कोड 2	कोड 3	कोड 1	कोड 2	कोड 3
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1.	फसल के अंतर्गत असिंचित क्षेत्र												
2.	प्रयुक्त बीज - प्रयुक्त मात्रा (किलोग्राम में)												
3.	फसल के अंतर्गत एक या अधिक रासायनिक उर्वरकों से उपचारित क्षेत्र												
4.	फसल के अंतर्गत विभिन्न रासायनिक उर्वरकों से उपचारित क्षेत्र का विवरण												
	(क) यूरिया [02]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(ख) कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (सीएएन) [04]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(ग) म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) [11]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(घ) सुपर फॉस्फेट (एसपी) [05,06]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(ङ) ट्रिपल सुपरफॉस्फेट [07]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(च) डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) [13]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(छ) जिंक सल्फेट [51]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(ज) जटिल/मिश्रित [ ]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(झ) जटिल/मिश्रित [ ]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(ञ) जटिल/मिश्रित [ ]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	(ट) जटिल/मिश्रित [ ]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
5.	फसल के अंतर्गत विभिन्न जैविक उर्वरकों से उपचारित क्षेत्र का विवरण												
	क) फार्म यार्ड खाद (एफवाईएम)/कम्पोस्ट/बायो-गैस खाद [80]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	ख) तेल केक [81]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
	ग) अन्य जैविक खाद [82]												
	1. उपचारित क्षेत्र												
	2. मात्रा (किग्रा.)												
6.	**हरी खाद से उपचारित क्षेत्र** [87]												
7.	**जैव उर्वरकों**												
	क) राइजोबियम से उपचारित क्षेत्र [83]												
	ख) एज़ेटोबैक्टर से उपचारित क्षेत्र [84]												

क्र. सं.	मद	असिंचित फसलें									असिंचित फसलों की कुल संख्या		
		फसल: (कोड)			फसल: (कोड)			फसल: (कोड)					
		एचवाईवी	हाइब्रिड	अन्य	एचवाईवी	हाइब्रिड	अन्य	एचवाईवी	हाइब्रिड	अन्य	एचवाईवी	हाइब्रिड	अन्य
		कोड 1	कोड 2	कोड 3	कोड 1	कोड 2	कोड 3	कोड 1	कोड 2	कोड 3	कोड 1	कोड 2	कोड 3
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	ग) नील-हरित शैवाल से उपचारित क्षेत्र [85]												
	घ) फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया (PSB) से उपचारित क्षेत्र [86]												
	ङ) एज़ोस्पिरिलम से उपचारित क्षेत्र [88]												
8.	**रासायनिक कीटनाशकों से उपचारित क्षेत्र [89]**												
9.	**जैव कीटनाशकों से उपचारित क्षेत्र [90]**												
10.	**जिप्सम से उपचारित क्षेत्र**												

1. किसी फसल के अंतर्गत निवल क्षेत्र <= निवल बोया गया क्षेत्र।
2. किसी फसल के अंतर्गत निवल असिंचित क्षेत्र <= निवल असिंचित क्षेत्र।
3. किसी फसल के अंतर्गत एक या अधिक रासायनिक उर्वरकों से उपचारित क्षेत्र >= उस फसल के अंतर्गत किसी विशिष्ट रासायनिक उर्वरक से उपचारित क्षेत्र।
4. किसी फसल के अंतर्गत एक या अधिक रासायनिक उर्वरकों से उपचारित क्षेत्र ≤ उस फसल के अंतर्गत क्षेत्र।

फसलों की सूची और उनके कोड

क्र. सं.	फसल कोड	फसलें
1.	9999	सभी फसलें
2.	0101	सभी धान (कुल 0111, 0121, 0131)
3.	0111	पूर्व खरीफ धान
4.	0121	ग्रीष्मकालीन धान
5.	0131	खरीफ धान
6.	0102	ज्वार
7.	0103	बाजरा
8.	0104	मक्का
9.	0105	रागी
10.	0106	गेहूं
11.	0107	जौ
12.	0108	लघु मिलेट
13.	0109	जौबस्टियर
14.	0110	ग्रिम
15.	0186	सावन
16.	0187	रामदाना
17.	0188	अन्य अनाज
18.	0199	कुल अनाज
19.	0201	चना
20.	0202	तूर (अरहर)
21.	0203	उड़द
22.	0204	मूंग
23.	0205	मसूर
24.	0206	कुल्थी
25.	0207	बीन्स (दलहन)
26.	0208	मटर (दलहन)
27.	0209	मोठ
28.	0288	अन्य दलहन
29.	0299	कुल दलहन
30.	0399	कुल खाद्यान्न
31.	0401	गन्ना
32.	0402	पामवरिया
33.	0488	अन्य चीनी फसलें
34.	0499	कुल चीनी फसलें
35.	0501	काली मिर्च (काला)
36.	0502	मिर्च
37.	0503	अदरक
38.	0504	हल्दी
39.	0505	इलायची (छोटी)
40.	0506	इलायची (बड़ी)
41.	0507	सुपारी
42.	0508	लहसुन
43.	0509	धनिया
44.	0510	इमली
45.	0511	जीरा
46.	0512	सौंफ / सौंफ के बीज

क्र. सं.	फसल कोड	फसलें
47.	0513	जायफल
48.	0514	मेथी
49.	0515	लौंग
50.	0516	दालचीनी
51.	0517	कोको
52.	0518	कचोलम
53.	0519	बीटलवाइन
54.	0520	अजवायन
55.	0521	केसर
56.	0522	तेजपत्ता
57.	0588	अन्य कोंडिमेंट और मसाले
58.	0599	कुल मसाले और कोंडिमेंट
59.	0601	आम
60.	0602	संतरा
61.	0603	मोसम्बी
62.	0604	नींबू / एसिड लाइम
63.	0605	अन्य सिट्रस फल
64.	0606	केला
65.	0607	टेबल अंगूर
66.	0608	वाइन अंगूर (काला)
67.	0609	सेब
68.	0610	नाशपाती
69.	0611	आड़ू
70.	0612	बेर
71.	0613	कीवी फल
72.	0614	चीकू
73.	0615	पपीता
74.	0616	अमरूद
75.	0617	बादाम
76.	0618	अखरोट
77.	0619	काजू
78.	0620	खुबानी
79.	0621	कटहल फल
80.	0622	लीची
81.	0623	अनानास
82.	0624	तरबूज
83.	0625	खरबूजा
84.	0626	ब्रेड फ्रूट्स
85.	0627	बेर
86.	0628	बेल
87.	0629	शहतूत
88.	0630	आंवला
89.	0631	अनार
90.	0632	कस्टर्ड एप्पल
91.	0633	पैशन
92.	0634	रेम्पुटन
93.	0635	जामुन
94.	0636	केला

क्र. सं.	फसल कोड	फसलें
95.	0637	किन्नू
96.	0638	स्ट्रॉबेरी
97.	0688	अन्य फल
98.	0699	कुल फल
99.	0701	आलू
100.	0702	टैपिओका (कसावा)
101.	0703	शकरकंद
102.	0704	रतालू
103.	0705	जिमीकंत
104.	0706	अरबी/अरुम
105.	0707	अन्य कंद फसल
106.	0708	प्याज
107.	0709	गाजर
108.	0710	मूली
109.	0711	चुकंदर
110.	0712	शलगम
111.	0713	टमाटर
112.	0714	पालक
113.	0715	चौलाई
114.	0716	गोभी
115.	0717	अन्य पत्तेदार सब्जी
116.	0718	बैंगन
117.	0719	मटर (सब्जी) (हरा)
118.	0720	भिंडी
119.	0721	फूलगोभी
120.	0722	खीरा
121.	0723	लौकी
122.	0724	कद्दू
123.	0725	करेला
124.	0726	अन्य गुअर्ड (कद्दु वर्गीय फल)
125.	0727	वेन्च (ग्वार)
126.	0728	बीन्स (हरा)
127.	0729	ड्रमस्टिक (सहजन की फली)
128.	0730	हरी मिर्च
129.	0731	रिज लौकी
130.	0732	टिंडा
131.	0733	स्नेक लौकी
132.	0734	कोवल (छोटी लौकी)
133.	0788	अन्य सब्जियाँ
134.	0799	सभी सब्जियाँ
135.	0899	कुल खाद्य फसलें
136.	1001	मूंगफली
137.	1002	अरंडी
138.	1003	तिल
139.	1004	रेपसीड और सरसों (तोरिया/ तारामीरा)
140.	1005	अलसी
141.	1006	नारियल
142.	1007	सूरजमुखी

क्र. सं.	फसल कोड	फसलें
143.	1008	कुसुम्भ
144.	1009	सोयाबीन
145.	1010	रामतिल
146.	1011	तेल पाम
147.	1088	अन्य तिलहन
148.	1099	कुल तिलहन
149.	1101	कपास
150.	1102	पटसन
151.	1103	मेस्टा
152.	1104	सनहेम्प
153.	1188	अन्य रेशे
154.	1199	कुल रेशे
155.	1201	इंडिगो
156.	1288	अन्य रंग और टैनिंग सामग्री
157.	1299	कुल रंग और टैनिंग सामग्री
158.	1301	अफीम
159.	1302	तंबाकू
160.	1388	अन्य ड्रग्स और नशीले पदार्थ
161.	1399	कुल ड्रग्स और नशीले पदार्थ
162.	1401	ग्वार
163.	1402	जई
164.	1403	हरी खाद
165.	1488	अन्य चारा फसलें
166.	1499	चारा और हरी खाद
167.	1501	चाय
168.	1502	कॉफी
169.	1503	रबर
170.	1588	अन्य बागान फसलें
171.	1599	कुल बागान फसलें
172.	1601	ऑर्किड
173.	1602	गुलाब
174.	1603	ग्लेडियोलस
175.	1604	कार्नेशन
176.	1605	गेंदा
177.	1606	चमेली
178.	1607	गुलदाउदी (क्रिसेंथिमेम)
179.	1608	ट्यूबरोज़
180.	1609	जरबेरा
181.	1610	गैलार्डिया
182.	1611	एंथुरियम (फूल)
183.	1688	अन्य फूल
184.	1699	कुल पुष्पकृषि फसलें
185.	1701	अश्वगंधा
186.	1702	इसबगोल
187.	1703	सेना
188.	1704	मूसली
189.	1705	अन्य औषधीय पौधे
190.	1706	मेहंदी

क्र. सं.	फसल कोड	फसलें
191.	1707	एलोवेरा
192.	1708	बैकोपामोनिएरी
193.	1711	लेमन ग्रास
194.	1712	पुदीना
195.	1713	मेन्थॉल
196.	1714	नीलगिरी (यूकलिप्टुस)
197.	1715	अन्य सुगंधित पौधे
198.	1716	चंदन
199.	1717	वेनिला
200.	1799	कुल सुगंधित और औषधीय पौधे
201.	1801	केन (बेंत)
202.	1802	बांस
203.	1803	शहतूत की फसल
204.	1804	थेस्पेसिया
205.	1805	सागौन
206.	1806	सुबाबुल
207.	1807	कैसुरीना पेड़
208.	1888	अन्य गैर-खाद्य फसलें
209.	1899	कुल अन्य गैर-खाद्य फसलें
210.	1999	कुल गैर-खाद्य फसलें

उर्वरकों और कीटनाशकों की सूची

क्र. सं.	विवरण	कोड	पोषक तत्व सामग्री		
			एन	पी	के
1	2	3	4	5	6
क. स्थूल पोषक तत्व					
1	सभी रासायनिक उर्वरक	00	00.0	00.0	00.0
2	अमोनियम सल्फेट	01	20.6	00.0	00.0
3	यूरिया	02	46.0	00.0	00.0
4	अमोनियम क्लोराइड	03	25.0	00.0	00.0
5	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	04	25.0	00.0	00.0
6	सिंगल सुपर फॉस्फेट	05	00.0	16.0	00.0
7	सिंगल सुपर फॉस्फेट	06	00.0	14.0	00.0
8	ट्रिपल सुपर फॉस्फेट	07	00.0	46.0	00.0
9	बोन मील (कच्चा)	08	00.0	20.0	00.0
10	बोन मील (स्टीम्ड)	09	00.0	22.0	00.0
11	रॉक फॉस्फेट	10	00.0	18.0	00.0
12	म्यूरेट ऑफ पोटाश	11	00.0	00.0	60.0
13	पोटेशियम सल्फेट	12	00.0	00.0	50.0
14	डायमोनियम फॉस्फेट	13	18.0	46.0	00.0
15	अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट	14	16.0	20.0	00.0
16	अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट /नाइट्रो फॉस्फेट	15	20.0	20.0	00.0
17	अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट	16	18.0	9.0	00.0
18	यूरिया अमोनियम फॉस्फेट	17	28.0	28.0	00.0
19	यूरिया अमोनियम फॉस्फेट	18	24.0	24.0	00.0
20	यूरिया अमोनियम फॉस्फेट	19	20.0	20.0	00.0
21	मोनो अमोनियम फॉस्फेट	20	00.0	52.0	00.0
22	नाइट्रो फॉस्फेट	21	23.0	23.0	00.0
23	अमोनियम नाइट्रेट फॉस्फेट	22	23.0	23.0	00.0
24	नाइट्रो फॉस्फेट पोटाश	23	15.0	15.0	15.0
25	एन पी के मिश्रण	24	10.0	26.0	26.0
26	एन पी के मिश्रण	25	12.0	32.0	16.0
27	एन पी के मिश्रण	26	22.0	22.0	11.0
28	एन पी के मिश्रण	27	14.0	35.0	14.0
29	एन पी के मिश्रण	28	17.0	17.0	17.0
30	एन पी के मिश्रण	29	14.0	28.0	14.0
31	एन पी के मिश्रण	30	19.0	19.0	19.0
32	एन पी के मिश्रण	31	16.0	16.0	16.0
33	एन पी के मिश्रण	32	13.0	33.0	0.0
34	एन पी के मिश्रण	33	12.0	61.0	0.0
35	एन पी के मिश्रण	34	10.0	10.0	04.0
36	एन पी के मिश्रण	35	10.0	10.0	10.0
ख. सूक्ष्म पोषक तत्व					
37	जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट/मोनोहाइड्रेट	51	00.0	00.0	00.0

क्र. सं.	विवरण	कोड	पोषक तत्व सामग्री		
			एन	पी	के
1	2	3	4	5	6
38	मैंगनीज सल्फेट	52	00.0	00.0	00.0
39	सोडियम टेट्राबोरेट (बोरेक्स)	53	00.0	00.0	00.0
40	सोलूबोर	54	00.0	00.0	00.0
41	कॉपर सल्फेट	55	00.0	00.0	00.0
42	फेरस सल्फेट	56	00.0	00.0	00.0
43	अमोनियम मोलिब्डेट	57	00.0	00.0	00.0
ग. जैविक उर्वरक/खाद					
44	एफ.वाई.एम.	80	000	000	000
45	तेल केक	81	000	000	000
46	अन्य जैविक खाद	82	000	000	000
घ. जैव-उर्वरक					
47	राइजोबियम	83	000	000	000
48	एज़ेटोबैक्टर	84	000	000	000
49	नीला हरा शैवाल	85	000	000	000
50	फॉस्फेट सबलाइजिंग बैक्टीरिया (PSB)	86	000	000	000
51	एज़ोस्पिरिलम	88	000	000	000
ङ. हरी खाद					
52	हरी खाद	87	000	000	000
च. अन्य					
53	जिप्सम	41	000	000	000
54	रासायनिक कीटनाशक	89	000	000	000
55	जैव कीटनाशक	90	000	000	000

मशीनरी एवं औजार और उनके कोड तथा विवरण

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
क. मैनुअल उपकरण / मशीनें / उपकरण			
1.	101	**मैनुअल बीज उर्वरक ड्रिल** यह एक छोटा हस्त संचालित सिंगल रो सीड-सह-फर्टिलाइजर ड्रिल है जिसमें फ्लूटेड रोलर मीटरिंग तंत्र उपलब्ध है। मीटरिंग रोलर्स को चलाने के लिए एक ग्राउंड व्हील दिया गया है। बीज और उर्वरक को एक छोटे हॉपर में संग्रहीत किया जाता है और एक लंबी बीम दी गई है जिसके द्वारा एक ऑपरेटर द्वारा उपकरण को चलाया जा सकता है। दूसरा कर्मचारी मशीन को नियंत्रित करता है।	
2.	102	**विनोइंग पंखा** यह एक यांत्रिक उपकरण है जो प्राकृतिक हवा उपलब्ध न होने पर अनाज को भूसे से साफ करने के लिए हवा उत्पन्न करता है। इसमें एक फ्रेम, 3-ब्लेड वाला पंखा, सीट के साथ साइकिल पेडल ड्राइव व्यवस्था, पुली बेल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम और एक ग्रिल पार्टीशन शामिल है।	
3.	103	**परिचालित मक्का शेलर** अष्टकोणीय हाथ मक्का शेलर एक हाथ से संचालित सरल उपकरण है जो छिले हुए भुटों से मक्का के दाने निकालने के लिए है। शेलर में 4 हल्के स्टील के पंख होते हैं जो उनकी लंबाई के साथ पतले होते हैं, पंख का एक किनारा पतला होता है। संचालन के लिए, शेलर को बाएं हाथ में और छिले हुए मक्का के भुटों को दाहिने हाथ में (दाएं हाथ वाले व्यक्ति के लिए) पकड़ा जाता है। भुटों को शेलर में डाला जाता है और उन्हें आगे और पीछे घुमाया जाता है	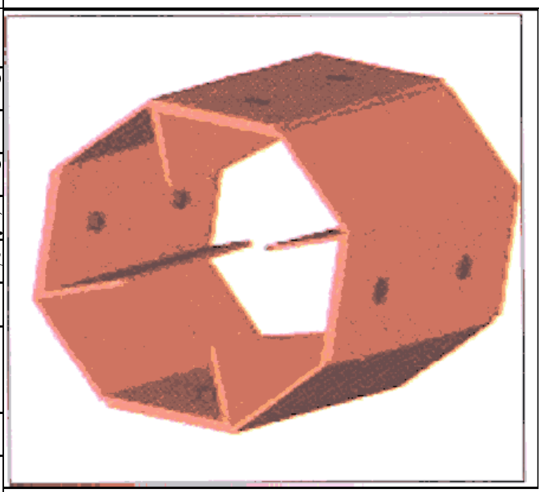

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
		या बार-बार दक्षिणावर्त और वामावर्त घुमाया जाता है.	
4.	104	**चारा कटाई मशीन** मशीन को दो व्यक्ति संचालित करते हैं, एक फीडिंग कुंड में चारा या घास डाला जाता है और दूसरा हैंडल से फ्लाईव्हील को घुमाया जाता है। हॉपर में डाली गई सामग्री को फीड रोल के बीच में पकड़ लिया जाता है जो इसे खींचा जाता है और सामग्री फ्लाईव्हील और स्थिर कतरनी प्लेट पर लगे ब्लेड के बीच कट जाती है। मशीन से सूखा या हरा चारा आसानी से काटा जा सकता है।	
5.	105	**नैपसेक स्प्रेयर** नैपसेक स्प्रेयर में एक पंप और एक एयर चैंबर होता है जो 9 से 22.5 लीटर के टैंक में स्थायी रूप से स्थापित होता है। पंप का हैंडल ऑपरेटर के कंधे या हाथ के नीचे रहता है जिससे वह एक हाथ से पंप कर सकते हैं और दूसरे हाथ से स्प्रे कर सकते हैं। पंप को लगातार चालू रखकर एक समान दबाव बनाए रखा जा सकता है।	
6.	106	**गन्ना कोल्हू** वर्टिकल प्रकार के गन्ना कोल्हू में क्रशिंग रोलर, किंग और एक्सट्रैक्टिंग रोलर शामिल हैं। कोल्हू को बैलों की जोड़ी या गियर ड्राइव के साथ इलेक्ट्रिक मोटर/स्थिर इंजन द्वारा संचालित किया जा सकता है। क्रशिंग रोलर की परिधि पर क्षैतिज वी-खांचे होते हैं जो गन्ने को निचोड़ने में सहायता करते हैं। अन्य रोलर्स में	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
		गन्ना निचोड़ने और रस निकालने के लिए सीधे खांचे होते हैं।	
7	108	**अन्य**	
ख. पशु चालित उपकरण			
8.	201	**लकड़ी का हल** यह हल बैलों की जोड़ी का उपयोग करके चावल की फसल उगाने हेतु आर्द्रभूमि में जुताई के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी में जुताई की गहराई 3.5 सेमी और चौड़ाई 100-130 मिमी है। हल का नाल रिब्ड सतह के साथ एकल कास्टिंग से बना है। पोल शाफ्ट बबूल या वेंगई लकड़ी से बना है.	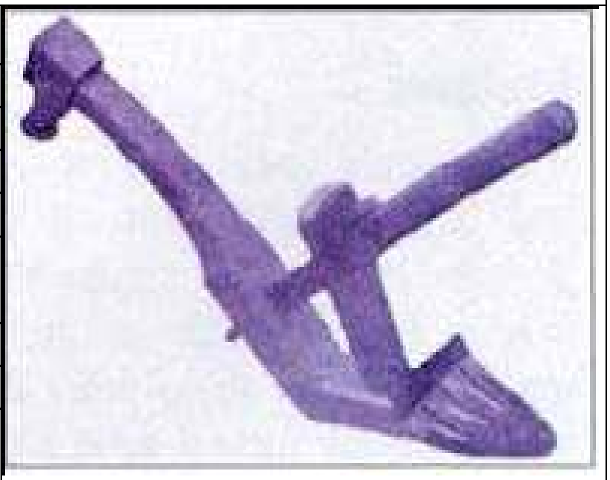
9.	202	**कल्टीवेटर (त्रिफली)** इस यूनिट में प्रतिवर्ती कांटे, फ्रेम, हैंडल और एक लकड़ी की बीम होती है। कांटों के बीच की दूरी में परिवर्तन करके या फ्रेम को फैलाकर कल्टीवेटर की कार्य चौड़ाई को समायोजित किया जा सकता है। संचालन के लिए उपकरण को बीम द्वारा बैलों की जोड़ी से जोड़ा जाता है और मिट्टी में घुमाया जाता है। कांटे मिट्टी में खोदते हैं और एक छोटा सा गड्ढा तैयार करते हैं।	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
10.	203	**बीज ड्रिल/बीज सह उर्वरक ड्रिल** यह एक मानकीकृत पशुचालित बीज सह उर्वरक ड्रिल है जो गेहूं, चना, ज्वार, सोयाबीन, मसूर, मटर, सूरजमुखी, कुसुम्भ इत्यादि फसलों के लिए उपयुक्त है। नॉन क्लॉगिंग बूट के साथ जूता प्रकार के फ़रो ओपनर बीज को वांछित गहराई पर रखते हैं।	
11.	204	**समतलीकरण कराह:** पशु द्वारा संचालित समतलीकरण कराह में साल की लकड़ी से बना एक भारी डंडा होता है जिसकी लंबाई 1500 मिमी और मोटाई 100 मिमी होती है जिस पर एक हल्के स्टील के कोणीय फ्रेम को स्क्रू के माध्यम से लगाया जाता है। फ्रेम में एक छड़ होता है जिस पर घुमावदार और नुकीले हुक लगे होते हैं। यह ढेले को कुचलने, पराली या कचरा इकट्ठा करने, बीज बोने से पहले भूमि की सतह को समतल करने के लिए द्वितीयक जुताई उपकरण है।	
12.	205	**सीड प्लांटर** पशु द्वारा संचालित 3-पंक्ति वाली टेड़ा प्लेट प्लांटर मोटे और छोटे बीजों के रोपण के लिए एक बहु-फसल प्लांटर है। प्लांटर में टूल बार वाला फ्रेम, मॉड्यूलर सीड बॉक्स, फ़रो ओपनर और ग्राउंड व्हील होता है। इसमें टेड़े प्लेट प्रकार के सीड मीटरिंग तंत्र के साथ तीन स्वतंत्र सीड बॉक्स होते हैं। अलग-अलग बीजों की बुवाई के लिए सीड प्लेट का चयन किया जा सकता है और उन्हें आसानी से बदला जा सकता है।	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
13.	206	**पशु संचालित पडलर** यह आयताकार ब्लेड प्रकार का पडलर है जो आर्द्रभूमि की स्थितियों में पडलिंग कार्य के लिए उपयुक्त है। इसमें एक लकड़ी का फ्रेम होता है जिस पर बुशेस लगी होती हैं। ब्लेड को ले जाने वाला शाफ्ट बुशेस में घूमता है। ब्लेड, गति की दिशा के आधार पर लगाए जाते हैं। उपकरण पर लगे ब्लेड घूमते हैं और मिट्टी के कणों पर पार्श्वकरण और मोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे एक अच्छा पडल प्राप्त होता है.	
14.	207	**अन्य**	
ग. विद्युत संचालित उपकरण/मशीनें			
15.	301	**पावर स्प्रेयर** मोटराइज्ड नैपसेक मिस्ट ब्लोअर में 35 सीसी का एक छोटा 2-स्ट्रोक पेट्रोल/केरोसिन इंजन होता है, जिससे एक सेंट्रीफ्यूगल पंखा होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंखा प्राय: लंबवत रूप से लगाया जाता है। पंखा एक उच्च वेलोसिटी वाली वायु धारा उत्पन्न करता है, जिसे 90-डिग्री एल्बो के माध्यम से एक लचीली (प्लास्टिक) डिस्चार्ज नली में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें एक डायवर्जेंट आउटलेट होता है। स्प्रे टैंक जिसमें ईंधन और इंजन-पंखा यूनिट के लिए एक कम्पार्टमेंट भी होता है, एक सामान्य फ्रेम पर लगाया जाता है, जो ऑपरेटर की पीठ पर लादा जा सकता है।	
16.	302	**पावर टिलर** पावर टिलर को डीजल इंजन से चलाया जाता है। इंजन की शक्ति वी-बेल्ट पुली के माध्यम से ग्राउंड व्हील्स तक पहुंचाई जाती है। ऑपरेटिंग गहराई को बनाए रखने के लिए पीछे की तरफ एक टेल व्हील दिया गया है। रोटरी वीडिंग अटैचमेंट वीडिंग करता है.	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
17.	303	**कृषि ट्रैक्टर** यह विभिन्न कृषि उपकरणों/मशीनों के संचालन के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमुख ट्रैक्टर है।	
18.	304	**ट्रैक्टर संचालित एमबी हल** यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित उपकरण है और इसमें शेयर पॉइंट, शेयर, मोल्डबोर्ड, लैंडस्लाइड, फ्रॉग, शैंक, फ्रेम और हिच सिस्टम शामिल हैं। हल का काम हाइड्रोलिक सिस्टम लीवर और तीन-बिंदु लिंकेज द्वारा नियंत्रित किया जाता है।	
19.	305	**ट्रैक्टर संचालित डिस्क हैरो** ट्रैक्टर पर लगे डिस्क हैरो में एक के पीछे एक लगे डिस्क के दो गैंग होते हैं। आगे के गैंग की डिस्क मिट्टी को बाहर की ओर और पीछे के गैंग की डिस्क मिट्टी को अंदर की ओर फेंकती है। इसलिए, ऑफसेट डिस्क हैरो द्वारा कोई भी मिट्टी बिना काटे नहीं रहती।	
20.	306	ट्रैक्टर चालित बीज ड्रिल/बीज सह उर्वरक ड्रिल इसमें बीज बॉक्स, उर्वरक बॉक्स, बीज मीटरिंग तंत्र, उर्वरक मीटरिंग तंत्र, बीज ट्यूब, फ़रो ओपनर, बीज दर समायोजन लीवर और परिवहन सह शक्ति संचारण पहिया शामिल हैं।	
21.	307	**ट्रैक्टर चालित प्लान्टर** इसमें एक हॉपर, ग्राउंड व्हील और सीड मीटरिंग तकनीक है, जो एक सामान्य फ्रेम पर लगे होते हैं और तीन पॉइंट लिंकेज के साथ ट्रैक्टर से जुड़े होते हैं। इसमें मॉड्यूलर फ्रेम, बीज और उर्वरक कक्ष के साथ प्रत्येक पंक्ति के लिए अलग-अलग हॉपर, वर्टिकल रोलर मीटरिंग मैकेनिज्म, ग्राउंड व्हील इत्यादि शामिल हैं। यह	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
		मूंगफली, सोयाबीन, बंगाल चना आदि की खेती के लिए उपयुक्त है।	
22.	308	**ट्रैक्टर द्वारा संचालित लेवलर** इसमें हिच सिस्टम, तेज धार वाला परिवर्तनीय कटिंग ब्लेड और साइड विंग्स वाली एक घुमावदार प्लेट होती है, जो एक बाल्टी का रूप लेती है। यह ब्लेड मध्यम कार्बन स्टील या कम मिश्र धातु स्टील से बना होता है, जिसे कठोरता के अनुसार कठोर और टेम्पर्ड किया जाता है। संचालन के दौरान, ब्लेड मिट्टी को खोदता है और बाल्टी में अतिरिक्त मिट्टी एकत्र होती है, जिसे खेत के गड्ढों में डाला जाता है। लेवलर का कोण और पिच समायोज्य है। लेवलर को बाएं या दाएं कोण पर भी रखा जा सकता है, या बैक फिलिंग के लिए उलटा किया जा सकता है।	
23.	309	**ट्रैक्टर द्वारा संचालित आलू खोदने वाला मशीन** ट्रैक्टर द्वारा संचालित आलू खोदने वाला एलिवेटर एक अर्धचंद्राकार/उत्तल/त्रिकोणीय आकार का कटिंग ब्लेड, सामान्यतः लोहे की छड़ से बने एलिवेटर रोलर्स, पावर ट्रांसमिशन डिवाइस और ट्रैक्टर हिचिंग सिस्टम से बना होता है। अर्धचंद्राकार ब्लेड आलू खोदने में सहायता करता है, जिसे हिलाने वाले कन्वेयर बेल्ट तक ले जाया जाता है और अंत में मशीन के पीछे विंडरो फॉर्म में पहुंचाया जाता है	
24.	310	**पावर थ्रेशर** इसमें स्पाइक टूथ सिलेंडर, एस्पिरेटर टाइप ब्लोअर और छलनी शेकर शामिल हैं। अलग-अलग फसलों की थ्रेसिंग के लिए दो टॉप कवर, तीन अवतल, तीन छलनी, परिवर्तनशील सिलिंडर गति प्रदान की जाती है। यह गेहूं, मक्का, ज्वार, चावल, चना, मटर, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, कुसुम्भ और अलसी की फसलों की थ्रेसिंग के लिए उपयुक्त है।	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
25.	311	**पावर चैफ कटर** चैफ कटर में एक गर्त, कटिंग ब्लेड, फ्लाईव्हील, कवर प्लेट, फीड रोल, शियर प्लेट और स्टैंड होते हैं। ब्लेड उच्च कार्बन स्टील या मिश्र धातु स्टील से बने होते हैं जिन्हें कठोरता के अनुसार कठोर और टेम्पर्ड किया जाता है। चैफ कटर एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है और फ्लाईव्हील को वी बेल्ट और पुली के माध्यम से विद्युत क्षमता दी जाती है	
26.	312	**पावर केन क्रशर** क्षैतिज प्रकार के गन्ना क्रशर में क्रशिंग रोलर्स, रोलर एक्सल और गियर, साइड ब्लेड, ट्रैश ब्लेड और गियर गार्ड का सेट होता है। इसमें तीन रोलर्स होते हैं, एक फीडिंग के लिए और दो क्रशिंग के लिए। रोलर्स उच्च श्रेणी के कच्चे लोहे से बने होते हैं और गन्ने को पकड़ने के लिए वी-ग्रूव्ड होते हैं। रोलर्स को कास्ट आयरन साइड प्लेट्स के बीच रखा जाता है और भारी कास्ट आयरन फ्रेम पर लगाया जाता है। रोलर्स को गियर के एक सेट के माध्यम से मोटर या इंजन से बिजली मिलती है। मशीन को इलेक्ट्रिक मोटर या स्थिर इंजन द्वारा संचालित किया जाता है	
27.	313	**कंबाइन हार्वेस्टर (ट्रैक्टर द्वारा चालित)** मशीन का उपयोग खेतों में फसल काटने के लिए किया जाता है और इसमें कटिंग यूनिट, थ्रेसिंग यूनिट, सफाई और अनाज हैंडलिंग यूनिट शामिल हैं। कटिंग सेक्शन में रील, कटर बार, एक ऑगर और एक फीडर कन्वेयर शामिल हैं। थ्रेसिंग सेक्शन में थ्रेसिंग सिलेंडर, अवतल और सिलेंडर बीटर होता है। सफाई सेक्शन में मुख्य रूप से स्ट्रॉ वॉकर, चैफर छलनी, अनाज संग्रह पैन और ब्लोअर शामिल हैं। यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है	
28.	314	**कंबाइन हार्वेस्टर (स्वचालित)** मशीन का उपयोग खेतों में फसल काटने के लिए किया जाता है और इसमें कटिंग यूनिट, थ्रेसिंग यूनिट, सफाई और अनाज हैंडलिंग यूनिट शामिल हैं। कटिंग सेक्शन में रील, कटर बार, एक ऑगर और एक फीडर कन्वेयर शामिल हैं। थ्रेसिंग सेक्शन में थ्रेसिंग सिलेंडर, अवतल और सिलेंडर बीटर होता है। सफाई सेक्शन में मुख्य	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
		रूप से स्ट्रॉ वॉकर, चैफर छलनी, अनाज संग्रह पैन और ब्लोअर शामिल हैं। यह इस पर लगे डीजल इंजन द्वारा संचालित होता है।	
29.	315	**कल्टीवेटर (ट्रैक्टर द्वारा संचालित)** इसमें हल्के स्टील के कोण या चैनल सेक्शन से बना एक आयताकार फ्रेम, हल्के स्टील के फ्लैट या प्लेट सेक्शन से बने भारी-भरकम टाइन, फास्टनरों के साथ टाइन से जुड़े रिव परिवर्तनीय शॉवेल और हिच असेंबली शामिल हैं।	
30.	316	**रोटावेटर** इसमें एक स्टील फ्रेम, एक रोटरी शाफ्ट जिस पर ब्लेड लगे होते हैं, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम और गियरबॉक्स होता है। ब्लेड एल-टाइप के होते हैं, जो मध्यम कार्बन स्टील या मिश्र धातु स्टील से बने होते हैं, जिन्हें उपयुक्त कठोरता के लिए कठोर और टेम्पर्ड किया जाता है। ट्रैक्टर का पीटीओ रोटावेटर को चलाता है। पीटीओ की रोटरी गति गियरबॉक्स और ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से ब्लेड वाले शाफ्ट तक पहुँचती है। रोटावेटर चलाने से अच्छा बीज-बेड तैयार हो जाता है और मिट्टी का सफल फैलाव प्राप्त होता है।	
31.	317	**पडलिंग के लिए प्रयुक्त केज वील** ट्रैक्टर के पहियों पर लगाया जाता है और पडलिंग कार्य के लिए उपयोग किया जाता है	
32.	318	**सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर** यह सेल्फ प्रोपेल्ड फ्रंट माउंटेड, वॉक बिहाइंड टाइप रीपर विंडरोवर है। रीपिंग अटैचमेंट में कटर बार, दो फसल कन्वेयर बेल्ट, फसल पंक्ति डिवाइडर और स्टार व्हील शामिल हैं। कटर बार और कन्वेयर बेल्ट बेल्ट-पुली और सेफ्टी क्लच के माध्यम से इंजन द्वारा संचालित होते हैं। यह खड़ी चावल और गेहूं की फसलों की कटाई और विंडरोइंग के लिए उपयुक्त है।	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
33.	319	**पावर मक्का शेलर** इस मशीन में एक फ्रेम पर लगा एक थ्रेसिंग सिलेंडर, अवतल और सेंट्रीफ्युगल ब्लोअर होता है। फसल को हाथ से डाला जाता है। थ्रेसिंग सिलेंडर स्पाइक टूथ प्रकार का होता है। गोल सलाखों का उपयोग स्पाइक्स के रूप में किया जाता है, जिन्हें गोलाकार छल्लों पर लगाया जाता है। मक्का थ्रेसिंग ड्रम के छोर पर लगे ओपनिंग से बाहर निकलता है। अनाज को साफ करने के लिए ब्लोअर का उपयोग किया जाता है।	
34.	320	**मूंगफली डेकोर्टिकेटर** मूंगफली की फलियों से गुठली को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है।	
35.	321	**ट्रैक्टर माउंटेड रीपर** यह मशीन ट्रैक्टर के सामने लगी होती है और ट्रैक्टर के चेसिस के नीचे चलने वाले इंटरमीडिएट शाफ्ट और कपलिंग शाफ्ट की मदद से ट्रैक्टर पीटीओ से मशीन को बिजली दी जाती है। भूतल से मशीन की ऊँचाई को पुली और स्टील की रस्सियों की मदद से ट्रैक्टर हाइड्रोलिक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कटर छड़ द्वारा फसल को काटने के पश्चात, इसे एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है और लग्ड बेल्ट कन्वेयर द्वारा मशीन के एक तरफ पहुँचाया जाता है और मशीन की गति की दिशा के लंबवत एक विंडरो के रूप में ज़मीन पर गिराया जाता है।	
36.	322	**रेज्ड बेड प्लांटर** बेड प्लांटर में एक फ्रेम, प्लांटिंग हॉपर, उर्वरक बॉक्स, फरो ओपनर बेड शेपर और बिजली ट्रांसमिटिंग व्हील शामिल हैं। फरो ओपनर रिजर टाइप के होते हैं और उनमें मोल्डबोर्ड और शेयर पॉइंट होते हैं। मशीन दो बेड बनाती है। मशीन प्रत्येक बेड पर गेहूं की दो या तीन पंक्तियाँ बो सकती है। मशीन में वर्टिकल डिस्क टाइप की सीड मीटरिंग यूनिट है।	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
37.	323	**जीरो टिल सीड सह फर्टिलाइजर ड्रिल** नो टिल ड्रिल में फ्रेम, सीड बॉक्स, उर्वरक बॉक्स, सीड मीटरिंग तंत्र, उर्वरक मीटरिंग तंत्र, सीड ट्यूब, फरो ओपनर, सीड एडजस्टिंग लीवर और ट्रांसपोर्ट सह पावर ट्रांसमिटिंग व्हील शामिल हैं। जीरो-टिल ड्रिल मशीन और पारंपरिक ड्रिल के बीच मुख्य अंतर यह है कि इसमें टाइन टाइप फरो ओपनर के बदले उल्टे टी-टाइप फरो ओपनर के रूप में संकीर्ण फावड़े लगे होते हैं जिन्हें संकीर्ण फावड़ों का मुख्य लाभ कम ड्राफ्ट की आवश्यकता और मिट्टी का आसान फैलाव है।	
38.	324	**स्ट्रिप टिल ड्रिल (ट्रैक्टर द्वारा संचालित)** इसमें एक मानक बीज ड्रिल होती है जिसके सामने एक रोटरी अटैचमेंट लगा होता है। रोटरी सिस्टम में सी प्रकार के ब्लेड होते हैं, जो हर फ़रो ओपनर के सामने 75 मिमी चौड़ी पट्टी तैयार करते हैं। अतः प्रत्येक पंक्ति के साथ, पट्टी का 125 मिमी हिस्सा बिना जुताई के छोड़ दिया जाता है और केवल 40 प्रतिशत क्षेत्र ही जुताई की जाता है। जुताई और बुवाई एक साथ की जाती है।	
39.	325	**गन्ना कटर प्लांटर (ट्रैक्टर द्वारा संचालित)** मशीन में फरो ओपनिंग यूनिट, सेट कटिंग यूनिट, उर्वरक लगाने की यूनिट, रसायन लगाने की यूनिट, सेट कवरिंग यूनिट और सीड बॉक्स शामिल हैं। संचालन के लिए, मशीन पर बैठे दो मजदूर बीज हॉपर से गन्ने को उठाकर एक-एक करके सेट कटिंग यूनिट में डालते हैं। घूमने वाले ब्लेड फरो में गिरने से पहले सेट को अपने आप काट देते हैं। गड्ढे को बंद करने से पहले सेट के साथ-साथ उर्वरक और रसायन भी एक साथ डाले जाते हैं।	
40.	326	**सब्जी प्रत्यारोपण मशीन** इस मशीन में बीज बोने की ट्रे, ऑपरेटर के लिए सीट, फ़रो ओपनर, कॉम्पैक्शन व्हील, फिंगर गाइड टनल, पिकर व्हील टाइप मीटरिंग तंत्र शामिल है। पिकिंग फोर्क में स्प्रिंग माउंटेड रबर फ्लैपर होते हैं, जो टनल में प्रवेश करने से पहले खुलते हैं और सुरंग अंदर बंद रहते हैं। ये फ्लैपर सुरंग के निचले सिरे पर फिर से खुलते हैं ताकि फ़रो में अंकुर निकल सकें। इनक्लांइड पहिये अंकुरों के चारों ओर मिट्टी को इकट्ठा करते हैं। मशीन	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
		पर बैठे दो लोगों को, प्रत्येक पंक्ति के लिए एक व्यक्ति जब फ्लैपर ऊपर की ओर खुलते हैं, तो इसमें अंकुरों को रखना होता है। अंकुरों की जड़ वाला भाग ऑपरेटर की ओर रखा जाता है।	
41.	327	**एयरो ब्लास्ट स्प्रेयर** इस मशीन में 400 लीटर क्षमता का टैंक, पंप, पंखा, नियंत्रण वाल्व, फिलिंग यूनिट, स्पाउट समोयोजय हैंडल और स्प्रेइंग नोजल होते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर द्वारा उत्पादित एयर ब्लास्ट की धारा में कीटनाशक घोल का छिडकाव करतें हैं। एयर ब्लास्ट जो ट्रैक्टर के एक तरफ होता है। अपने पूरे क्षेत्र में बहुत महीन कणों में रसायन वितरित करता है, मुख्य स्पाउट के माध्यम से मुख्य ब्लास्ट द्वारा क्षेत्र के बड़े हिस्से की रखरखाव की जाती है और सहायक नोजल ट्रैक्टर के पास के क्षेत्र को कवर करते हैं। स्प्रेयर ट्रैक्टर के 3-पॉइंट लिंकेज पर लगा होता है और ट्रैक्टर पीटीओ द्वारा संचालित होता है।	
42.	328	**पावर वीडर (स्वचालित)** इंजन से बिजली बेल्ट पुली और चेन-स्प्रोकेट की सहायता से रोटरी और ग्राउंड व्हील तक पहुंचाई जाती है, ताकि ब्लेड घूम सकें और मशीन को आगे बढ़ा सकें। मशीन को दाएं या बाएं मोड़ने के लिए दोनों तरफ क्लच भी दिया गया है। रोटरी ब्लेड खरपतवार निकालने या सीड-बेड तैयार करने के लिए मिट्टी पर कार्य करने का उपकरण है।	
43.	329	**न्यूमेटिक प्लांटर** इसमें पांच स्वतंत्र पंक्तियों के लिए न्यूमेटिक मीटरिंग सिस्टम है। अलग-अलग आकार के बीज बोने के लिए अलग-अलग सीड प्लेट की जरूरत होती है। इसमें पांच हॉपर में बीजों को अलग-अलग प्रकार से लगाने के लिए सक्शन और प्रेशर हेड बनाने के लिए कंप्रेसर दिया गया है। **(लगभग लागत 80000/- रुपये)**	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
44.	330	**स्वचालित धान प्रत्यारोपण** इसमें प्राइम मूवर, ट्रांसमिशन, इंजन, फ्लोट, लुग्ड व्हील्स, सीडलिंग ट्रे, सीडलिंग ट्रे शिफ्टर, पिकअप फोर्क और पिकअप फोर्क क्लीनर शामिल हैं। यह मैट टाइप नर्सरी का उपयोग करके वॉक बिहाइंड प्रकार का धान प्रत्यारोपण मशीन है और यह बिना किसी नुकसान के सीडलिंग को समान रूप से प्रत्यारोपण करता है। रोपण की गहराई और पौध-दर-पौध के बीच की दूरी को समायोजित किया जा सकता है। स्वचालित गहराई नियंत्रक एक समान रोपण गहराई बनाए रखने में सहायता करता है।	
45.	331	**स्ट्रॉ कंबाइन** स्ट्रॉ कंबाइन ट्रैक्टर पर लगाया जाता है और ट्रैक्टर पीटीओ द्वारा संचालित होता है। इसमें पारंपरिक थ्रेशर की तरह कटर बार रील, फीडिंग ऑगर और ब्रूसिंग सिलेंडर होता है। अनाज कंबाइन द्वारा निकाले जाने वाले भूसे और बचे हुए ठूंठ को स्ट्रॉ कंबाइन द्वारा एकत्र किया जाता है और सिलेंडर अवतल खंड में पहुँचाया जाता है, जहाँ इसे टुकड़ों में काटा जाता है और अवतल से ले जाया जाता है।	
46.	332	**ट्रैक्टर द्वारा संचालित डिस्क हल** हल में सामान्य मेनफ्रेम, डिस्क बीम असेंबली, रॉकशाफ्ट, एक भारी स्प्रिंग लोडेड फरो व्हील और एक गेज व्हील शामिल हैं। हल की डिस्क उच्च कार्बन स्टील या मिश्र धातु स्टील से बनी होती हैं और किनारें कठोर और नुकीला होता है। डिस्क टेपर्ड रोलर बीयरिंग पर लगे होते हैं।	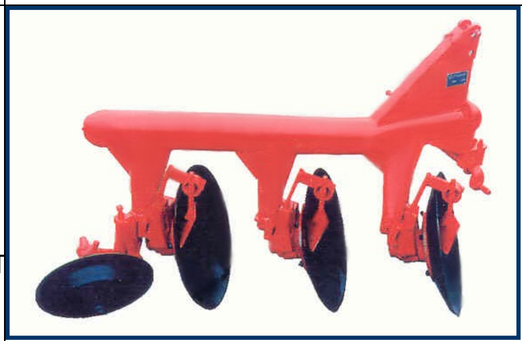
47.	333	**लेजर लैंड लेवलर** में एक लेजर ट्रांसमीटर, एक लेजर रिसीवर, एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल, एक ट्विन सोलनॉइड हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व, दो पहिए और एक लेवलिंग बकेट शामिल है। लेजर ट्रांसमीटर एक लेजर बीम संचारित करता है, जिसे लेवलिंग बकेट पर लगे लेजर रिसीवर द्वारा अवरोध किया जाता है। ट्रैक्टर पर लगा कंट्रोल पैनल रिसीवर से सिग्नल की व्याख्या करता है और हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व को खोलता या बंद करता है, जो बकेट को ऊपर या नीचे करता है। कुछ लेजर ट्रांसमीटर में 0.01% से 15% तक के ग्रेडेड	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
		ढलान पर कार्य करने और खेत में दोहरी नियंत्रित ढलान लागू करने की क्षमता होती है। लेवलिंग बकेट या तो 3-पॉइंट लिंकेज पर लगाई जा सकती है या ट्रैक्टर के ड्रॉ-बार द्वारा खींची जा सकती है। बकेट के आयाम, पहियों की संख्या और क्षमता उपलब्ध विद्युत स्रोत और खेत की स्थितियों के अनुसार अलग-अलग होगी।	
48.	334	**स्ट्रॉ बेलर:** ट्रैक्टर पीटीओ संचालित मशीन में रील टाइप स्ट्रॉ पिक अप असेंबली, और स्ट्रॉ कॉम्पैक्शन और टाईइंग यूनिट शामिल हैं। यह रील की सहायता से खेत से बचे हुए भूसे को स्वचालित रूप से इकट्ठा करता है जिसे फीडर की मदद से बेल चैंबर में स्थानांतरित किया जाता है और स्ट्रॉ को रेसिप्रोकेटिंग रैम के साथ कॉम्पैक्ट वेरिएबल लंबाई के आकार में दबाया (कंप्रेस) जाता है। यह धातु के तार या नायलॉन की रस्सी का उपयोग करके गांठों को स्वचालित रूप से बांधता है।	
49.	335	**रीपर-बाइंडर** एक विशिष्ट कटाई मशीन है जो फसल को काटती है और साथ ही उसे एक धागे से बांधती भी है। यह अभिनव यांत्रिक मशीन आश्चर्यजनक रूप से कम संचालन लागत पर नगण्य अनाज हानि के साथ भूसे की 100% वसूली सुनिश्चित करती है। इस मशीन का उपयोग मुख्य रूप से गेहूं, धान, जई, जौ और अन्य अनाज फसलों में किया जाता है।	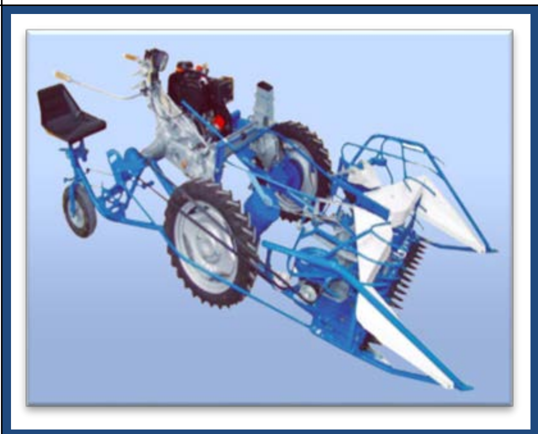
50.	336	**गन्ना कटाई मशीन:** यह एक चॉपर हार्वेस्टर है जिसमें सफाई प्रणाली उपलब्ध है और पूरे गन्ने की कटाई करने वाले मशीन भी उपलब्ध हैं। यह एक साथ गन्ने की एक/दो पंक्तियों को काट सकता है। गन्ने को फसल के डिवाइडर के बीच डाला जाता है और बेस कटर ब्लेड द्वारा जड़ क्षेत्र को काटा जाता है और साथ ही ऊपर से डी-टॉप किया जाता है। फिर गन्ने को रोलर ट्रेन के माध्यम से डाला जाता है और चॉपर ड्रम द्वारा 24.5 से 30 सेमी के छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा जाता है।	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
51.	337	**ट्रैक्टर माउंटेड पोस्ट होल डिगर -** गड्ढे खोदने के लिए उपयोग किया जाता है जो फेंस पोस्ट, डेक, पेड़ और झाड़ियाँ लगाने, बर्फ में मछली पकड़ने आदि के लिए अनुकुल है।	
52.	338	**हैप्पी सीडर:** यह विशेष रूप से कंबाइन फसन कटाई के पश्चात् धान के डंठलों में गेहूं की बुवाई के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कार्य समय, ईंधन और सिंचाई व्यय बचाता है।	
53.	339	**ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप:** यह ट्रैक्टर के तीन पॉइंट लिंकेज पर लगाया जाता है और ट्रैक्टर पीटीओ द्वारा संचालित होता है। इसका उपयोग फसलों पर कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव के लिए किया जाता है, ताकि उन्हें कीटों से बचाया जा सके और मृदा की उर्वरता बढ़ाई जा सके।	
54.	340	**ब्रश कटरः** यह एक मिनी पेट्रोल इंजन से सुसज्जित है और खेती की हुई घास काटने की मशीन के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग कृषि उद्योग में घास, सब्जी के तने आदि काटने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। थोड़े से संशोधन के साथ इसका उपयोग अनाज फसल की कटाई के लिए भी किया जाता है।	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
55.	341	**चेन सॉ:** इसे पावर सॉ भी कहा जाता है और यह एक हल्की और पोर्टेबल मशीन है जिसे साधारणतः एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है। कटाई मशीन से लगी एक अंतहीन चेन द्वारा की जाती है, जो बार नामक एक सपाट भाग के चारों ओर चलती है।	
56.	342	**पोर्टेबल ऑगर डिगर:** इसमें मिनी पेट्रोल इंजन है। इसका उपयोग गड्ढे खोदने के लिए किया जाता है जो फेंस पोस्ट, डेक, पेड़ और झाड़ियाँ लगाने, बर्फ में मछली पकड़ने आदि के लिए अनुकुल है।	
57.	343	**हेज ट्रिमर;** कभी-कभी हेज शियर या हेज क्लिपर भी कहा जाता है जिसका उपयोग मेड हेज काटने के लिए किया जाता है। इन्हें बड़ी कैंची या बड़ी छंटाई कैंची के रूप में डिज़ाइन किया गया है। मोटर चालित हेज ट्रिमर कार्य को तेज़ी से और कम प्रयास के साथ करने की सुविधा प्रदान करता हैं।	
58.	344	**डीजल इंजन पंपसेट** पानी उठाने के लिए पंप को डीजल इंजन से जोड़ा जाता है।	
59.	345	**इलेक्ट्रिक पंप सेट** पंप को इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चलाया जाता है	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
60.	346	**स्प्रिंकलर सिंचाई सेट** स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई प्राकृतिक वर्षा के लगभाग समान है, जहाँ पानी को मोटे बूंदों के रूप में हवा में छिड़का जाता है। स्प्रिंकलर प्रणाली के प्रमुख घटक हैं: (i) पंप, जो स्रोत से पानी उठाता है और इसे सिस्टम में प्रेशर के साथ छोड़ा है। (ii) मुख्य लाइनें, जो स्थायी या परिवर्तन योग्य हो सकती हैं; परिवर्तनीय लाइनें सामान्यतः एल्यूमीनियम से बनी होती हैं जबकि स्थायी लाइनें स्टील, एस्बेस्टस सीमेंट या पीवीसी से बनी सकती हैं। मुख्य लाइनें पंप से जल प्राप्त करती हैं और लेटरल में वितरित किया जाता हैं। (iii) लेटरल लाइनें, जो सामान्यतः एल्यूमीनियम से बनी होती हैं और परिवर्तनीय होती हैं; तथापि कुछ बागों और नर्सरियों में स्थायी लेटरल को भू-तल के नीचे दबाया जाता है, (iv) राइजर पाइप जो लेटरल से जुड़े होते हैं। राइजर की ऊंचाई फसल की ऊंचाई पर निर्भर करती है, (v) स्प्रिंकलर हेड, जो पानी की धारा को मोटे बूंदों में परिवर्तित करता है और बूंदों को दूर तक छोड़ा जाता है, क्योंकि स्प्रिंकलर हेड संचालन के दौरान घूमता है, जिससे एक गोलाकार पैटर्न प्राप्त होता है।	
61.	347	**ड्रिप सिंचाई सेट** इसे ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है; यह बागवानी फसलों में जल सिंचाई के कुशल पद्धतियों में से एक है। जल सतह या उप सतह पर, पौधे के जड़ क्षेत्र के बहुत पास जल दिया जा सकता है। इस प्रणाली में मुख्य लाइन, उप लाइनें, आपूर्ति लाइनें, पार्श्व और उत्सर्जक शामिल हैं। पानी को उत्सर्जक या माइक्रो-ट्यूब के माध्यम से वितरित किया जाता है। लाइनों में एल्गे के विकास से बचने के लिए पाइप लाइनें काले पीवीसी से बनाया जाते हैं। उपरोक्त के अलावा, प्रणाली में एक केन्द्रापसारक (सेंट्रीफ्यूगल) पंप, उर्वरक टैंक और निस्पंदन (फिल्ट्रेशन) टैंक है।	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
62.	348	**सोलर पंपिंग सेट** एक सोलर वाटर पंप के केंद्र में एक छोटा पावर हाउस होता है और इसमें मॉड्यूल की कैलिब्रेटेड और मैचिंग सौर सरणी (सोलर ऐरे) होती है- जिसे पंप की समतुल्य शक्ति के अनुकुल व्यवस्थित किया है। प्रत्येक सौर सारणी में समानांतर या श्रृंखला में जुड़े कई सोलर मॉड्यूल होते हैं। प्रत्येक सोलर पीवी पैनल सौर विकिरण को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके बिजली उत्पन्न करता है। पूरे ऐरे से विद्युत ऊर्जा को डीसी पंपों में सहबध्द कंट्रोलर या वेरिएबल फ़्रीक्वेंसी ड्राइवर (वीएफडी) के माध्यम से नियंत्रित, व्यवस्थित और निर्देशित किया जाता है और जुड़े हुए पंप को जल खींचने और वितरण पाइपलाइनों तक पहुँचाने में सक्षम बनाता है।	
63.	349	**ड्रोन प्रौद्योगिकी**	
64.	350	ट्रैक्टर संचालित चेक बेसिन फॉर्मर	
65.	351	ट्रैक्टर चालित गन्ना पौध प्रत्यारोपण मशीन (दो पंक्तियाँ)	
66.	352	बागों के लिए ट्रैक्टर संचालित इंटर-रोटेशन-सह-इंट्रा-रोटेशन वीडर	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
67.	353	बागों के लिए ट्रैक्टर संचालित क्षैतिज दो तरफा वितरण श्रेडर	
68.	354	ट्रैक्टर संचालित हाइड्रो-यंत्र द्वारा नियंत्रित पौध बाग प्रबंधक	
69.	355	बागों के लिए ट्रैक्टर संचालित खाद वितरण यंत्र	
70.	356	गन्ने की फसल के लिए ट्रैक्टर संचालित द्वि-पंक्ति फॉरवर्ड रिवर्स रोटावेटर	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
71.	357	ट्रैक्टर संचालित केला स्टेम श्रेडर	
72.	358	ट्रैक्टर संचालित गन्ना पत्ती श्रेडर	
73.	359	ट्रैक्टर संचालित सुपर सीडर	
74.	360	ट्रैक्टर संचालित स्मार्ट सीडर	
75.	361	हे रैक	

क्र. सं.	कोड	मद/परिभाषा	चित्र
76.	362	सूपर एसएमएस	
77.	363	ट्रैक्टर ड्रोन क्रस्ट ब्रेकर/वीड स्लेशर	
78.	364	ट्रैक्टर संचालित रिजर/फ़रो ओपनर	
79.	365	ट्रैक्टर संचालित बंड फॉर्मर	
80.	366	स्व-चालित संयुक्त मक्का कटाई मशीन	
81.	367	अन्य	

अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

1. परिचालन जोत

1.1 *परिचालन भू-धारिता की परिभाषा यह है कि वह सभी भूमि जिसका उपयोग पूर्ण या आंशिक रूप से कृषि उत्पादन के लिए किया जाता है और जिसका संचालन शीर्षक, कानूनी रूप, आकार या स्थान पर ध्यान दिए बिना एक व्यक्ति द्वारा अकेले या अन्य लोगों के साथ मिलकर एक तकनीकी इकाई के रूप में किया जाता है, तकनीकी इकाई को 'वह इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक ही प्रबंधन के अधीन है और जिसके पास उत्पादन के समान साधन जैसे श्रम शक्ति, मशीनरी और पशु उपलब्ध हैं'।* इस परिभाषा से यह देखा जा सकता है कि आकंडा संग्रहण के लिए वास्तविक कृषक को न कि भू-स्वामी को इकाई माना जाता है है।

1.2 एक परिचालन भू-धारिता में कृषि और गैर-कृषि दोनों प्रकार का क्षेत्र शामिल होगा। उदाहरण के लिए, यदि एक परिचालन भू-धारिता में चार सर्वेक्षण संख्याएँ हैं, जिनमें से एक सर्वेक्षण संख्या गैर-कृषि उपयोगों के लिए उपयोग की जाती है, तो परिचालनल भू-धारिता का कुल क्षेत्र चार सर्वेक्षण संख्याओं के कुल भौगोलिक क्षेत्र के समान होगा। भू-धारिता में सरकारी वन भूमि, सरकारी बंजर भूमि और गाँव की साधारण चरागाह भूमि शामिल नहीं होगी। यदि सरकारी बंजर भूमि किसी व्यक्ति को आवंटित की जाती है, तो उसे भू-धारिता में शामिल किया जाएगा।

1.3 यदि परिचालन भू-धारिता की सभी सर्वेक्षण संख्याएँ गैर-कृषि उपयोगों के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, तो इसे कृषि गणना और इनपुट सर्वेक्षण के उद्देश्य से परिचालन भू-धारिता नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, 'आबादी क्षेत्र' (आवासीय क्षेत्र) को भू-धारिता के कुल क्षेत्र से पूर्णतः अलग रखा गया है।

1.4 यदि संदर्भ वर्ष के दौरान परिचालन भू-धारिता का सम्पूर्ण क्षेत्र वर्तमान परती के अंतर्गत है, तो भी इसे कृषि गणना के लिए परिचालन भू-धारिता माना जाएगा, लेकिन चूंकि ऐसी भू-धारिता से इनपुट सर्वेक्षण में कोई सूचना एकत्र नहीं की जा सकती है, इसलिए इन जोतों को इनपुट सर्वेक्षण में सूचना एकत्र करने के लिए नमूना फ्रेम में शामिल नहीं किया जाएगा। फिर भी, इन भू-धारिता को उनके संबंधित आकार वर्गों में गुणक तालिकाएं तैयार करने के लिए शामिल किया जाएगा। यदि भू-धारिता का सम्पूर्ण क्षेत्र वर्तमान परती के अंतर्गत है और वर्तमान वर्ष (संदर्भ वर्ष) के पिछले वर्ष के दौरान भी परती था, तो इसे भी इनपुट सर्वेक्षण के लिए परिचालन भू-धारिता नहीं माना जाएगा।

1.5 कुछ मामलों में, भूमि परिवार के सभी सदस्यों के बीच विभाजित की जाती है। जहां इसे पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के बीच विभाजित किया जाता है और खेती परिवार के प्रधान के रूप में पति द्वारा की जा रही है, ऐसी स्थिति में भूमि को उचित रूप से एक परिचालन भू-धारिता माना जा सकता है।

1.6 ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां अभिलेखों में एक से अधिक सह-हिस्सेदारों के नाम पर संयुक्त रूप से एक भू-धारिता दर्शाई गई हो, जबकि व्यवहार में भूमि निजी तौर पर विभाजित की गई हो और सह-हिस्सेदार स्वतंत्र रूप से खेती कर रहे हों। ऐसे मामलों में, जहां कोई विवाद न हों है, उन्हें काश्तकारों की संख्या के अनुसार उतनी ही परिचालन भू-धारिता माना जाना चाहिए।

1.7 कुछ राज्यों में, एक खाते के सामने ज़माबंदी रजिस्टर में तीन या चार व्यक्तियों के नाम दर्शाए जाते हैं। एक ओर जहाँ अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि केवल एक ही भू-धारिता है, वहीं व्यवहारिता में, सभी तीन या चार भाई वास्तविकता में एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से भूमि पर कृषि कर रहे होते हैं, यद्यपि भूमि का कोई कानूनी विभाजन नहीं हुआ होता है। गणना के दृष्टिकोण से, यह तीन या चार परिचालन भू-धारिताका गठन करेगा और इस प्रकार इन्हें इनपुट सर्वेक्षण के लिए नमूना फ्रेम में अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा।

1.8 राज्य के वनों में कृषि वाले क्षेत्रों के लिए कोई विस्तृत भूमि रिकॉर्ड तैयार नहीं किया जाता है। भूमि रिकॉर्ड और राजस्व एजेंसी की अनुपस्थिति में ऐसे क्षेत्रों को गणना के प्रयोजनों हेतु बाहर रखा जाता है और इस प्रकार उन्हें इनपुट सर्वेक्षण में भी शामिल नहीं किया जाएगा।

2. भूखंड

2.1 भूखंड वह सारी ज़मीन है जो पूरी तरह से अन्य जोतों की ज़मीन से घिरी हुई है या ऐसी ज़मीन है जो किसी भू-धारिता का हिस्सा नहीं है। इसमें एक या एक से ज़्यादा भूकर संबंधी इकाई, प्लॉट या खेत शामिल हो सकते हैं।

3. धारक या संचालक

3.1 जनगणना के उद्देश्यों हेतु धारक वह व्यक्ति है जिसके पास कृषि भू-धारिताके संचालन की जिम्मेदारी है। वह भू-धारिता के संचालन के लिए तकनीकी पहल एव उत्तरदायित्व का प्रयोग करता है और इसके लिए पूरी आर्थिक जिम्मेदारी (अर्थात मालिक के रूप में) ले सकता है या इसे दूसरों के साथ साझा कर सकता है (किराएदार के रूप में)। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति भले ही अलग-अलग घरो से संबंधित हो, कृषि भू-धारिता के संचालन के लिए आर्थिक और तकनीकी जिम्मेदारी में संयुक्त रूप से (भागीदारों के रूप में) हिस्सा लेते हैं,तो प्रत्येक को भू-धारक माना जाएगा और भू-धारिता को संयुक्त भू-धारिता कहा जाएगा। इनपुट सर्वेक्षण के लिए इनमें से किसी एक को परिचालन भू-धारक के रूप में लिया जा सकता है और प्रश्नावली का जवाब देने के लिए उनसे संपर्क किया जा सकता है।

4. भू-जोत कुल क्षेत्रफल

4.1 भू-जोत के कुल क्षेत्रफल में एक इकाई का हिस्सा बनने वाली सभी भूमि शामिल होनी चाहिए जो एक ही तकनीकी उत्तरदायित्व और प्रबंधन के अधीन है। इसमें भू-धारक के घर सहित फार्म भवनों द्वारा अधिकृत की गई भूमि भी शामिल होनी चाहिए, बशर्ते कि ऐसी इमारतें कृषि क्षेत्र के भीतर हों। यदि फार्म भवन कृषि क्षेत्र से बाहर स्थित हैं और आबादी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसी इमारतों को भू-धारिताके क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा।

5. कृषि उत्पादन

5.1 इनपुट सर्वेक्षण के उद्देश्य हेतु कृषि उत्पादन का अर्थ खेत की फसलें, फल, अंगूर, मेवे, बीज, वृक्ष नर्सरी (छोड़कर को वृक्षों वन), कद-मूल, सब्जियां और फूल उगाना, कॉफी, चाय, कोको, रबड़, पटसन, तिलहन, चारा, घास आदि का उत्पादन होगा।

5.2 जहां घास उगाने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं, उसे सर्वेक्षण के उद्देश्य हेतु फसल माना जाएगा।

6. भू-उपयोग

6.1 सामान्यतः भू-अभिलेखों के लिए राज्य सरकारों द्वारा भू-उपयोग का वर्गीकरण नौ भागों में किया जाता है। इनपुट सर्वेक्षण और कृषि गणना के उद्देश्य से, इसे केवल तीन श्रेणियों में संगृहित किया गया है, जिसमें असिंचित क्षेत्र, वर्तमान परती भूमि और निवल बोया गया क्षेत्र शामिल है। अनुसूची 2.1 में अधिकांश प्रश्न निवल बोए गए क्षेत्र पर चल रहे कार्य विवरण प्राप्त करने पर केंद्रित हैं। ये विवरण सिंचित और असिंचित स्थितियों के तहत फसल की गहनता जानने से संबंधित हैं। इन अवधारणाओं का वर्णन निम्नानुसार किया गया है:

निवल बोया गया क्षेत्र

6.2 यह संदर्भ वर्ष के दौरान कुल फसलीकृत क्षेत्र को दर्शाएगा। वर्ष में कितनी बार खेती की गई पर ध्यान दिए बिना। अतः निवल बोया गया क्षेत्र का पता लगाने हेतु एक ही वर्ष के दौरान एक से अधिक बार खेती

किए गए क्षेत्रों को केवल एक बार गिना जाएगा। खेत की फसलें और बाग दोनों ही निवल बोए गए क्षेत्र का हिस्सा होंगे।

वर्तमान परती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

6.3 इसमें वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे, जहाँ सामान्यतः फसल उगाई जाती है, लेकिन संदर्भ वर्ष के दौरान खेती नहीं की गई है। किसी क्षेत्र को वर्तमान परती के रूप में वर्गीकृत करने हेतु उसे वर्तमान वर्ष के दौरान परती होना चाहिए और पिछले वर्ष के दौरान उस पर खेती की गई होनी चाहिए। यदि संदर्भ वर्ष सहित पिछले दो वर्षों से किसी भूमि पर खेती नहीं की जा रही है तो ऐसी भूमि को कृषि गणना/इनपुट सर्वेक्षण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

असिंचित क्षेत्र

6.4 इसमें निम्नलिखित सात श्रेणियां शामिल होंगी-:

i) *वर्तमान परती के अतिरिक्त परती भूमि:* इसमें वह सभी भूमि शामिल होनी चाहिए जो कृषि के लिए ली गई थी,लेकिन एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से कम अर्थात पांच वर्ष से कम या बराबर की अवधि के लिए अस्थायी रूप से कृषि नहीं हो रही हो। भूमि को परती रखने का कारण निम्नलिखित में से एक या अधिक हो सकता है:-

क) किसानों की गरीबी
ख) जल की अपर्याप्त आपूर्ति;
ग) प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियाँ;
घ) नहरों और नदियों में गाद जमना; और
ङ) खेती की अलाभकारी प्रकृति

ii) *कृषि योग्य बंजर भूमि:* इसमें कृषि हेतु उपलब्ध भूमि शामिल होनी चाहिए, भले ही उस पर कभी कृषि की गई हो या नहीं। ये वे भूमि हैं जिन पर वर्तमान वर्ष और पिछले पाँच वर्षों या उससे अधिक समय अर्थात लगातार पाँच वर्षों से अधिक समय, से किसी न किसी कारण से खेती नहीं की गई है। ऐसी भूमि या तो बंजर हो सकती है या झाड़ियों और जंगलों से ढकी हो सकती है जिसका कोई उपयोग नहीं होता। एक बार खेती की गई लेकिन उसके पश्चात लगातार पाँच वर्षों तक खेती नहीं की गई भूमि को भी पाँच वर्षों के अंत में इस श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। भू-धारिता के तहत केवल खेती योग्य बंजर भूमि को ही इनपुट सर्वेक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

iii) *स्थायी चारागाह और अन्य चारागाह भूमि:* इसमें सभी चारागाह भूमि शामिल होनी चाहिए, भले ही वे स्थायी चारागाह या घास के मैदान हों या नहीं। गणना के उद्देश्य से गाँव की आम चारागाह भूमि को शामिल नहीं किया जाएगा।

iv) *विविध वृक्ष फसलों के अंतर्गत भूमि:* इसमें वह कृषि योग्य भूमि शामिल होगी, जो निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, लेकिन कुछ कृषि उपयोग हेतु प्रयोज्य है। कैसुरीन वृक्षों, छप्पर वाली घास, बांस की झाड़ियों और 'बगीचों' के अंतर्गत आने वाली भूमि को इस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। भू-धारिता से इतर इस प्रकार की भूमि को शामिल नहीं किया जाएगा।

v) *वन:* इसमें वनों से संबंधित किसी भी कानूनी अधिनियम के तहत 'वन' के रूप में वर्गीकृत या वनों के रूप में प्रशासित सभी भूमि शामिल होनी चाहिए, भले ही वह राज्य के स्वामित्व वाली हो या निजी, और चाहे वह वनाच्छादित हो या संभावित वन भूमि के रूप में निर्धारित की गई हो। जंगल में उगाई जाने वाली फसलों का क्षेत्र और चारागाह भूमि या जंगलों के भीतर चारागाह के लिए खुले क्षेत्र को वन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ***कृषि गणना और इनपुट सर्वेक्षण के उद्देश्य से केवल परिचालन भू-धारक के निजी वनों को ही शामिल किया जाएगा।***

vi) *गैर-कृषि उपयोग के तहत क्षेत्र:* इसमें इमारतों टैंकों और तालाबों द्वारा अधिगृहित सभी भूमि

शामिल होनी चाहिए, जिनका उपयोग कृषि प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों हेतु किया जाता है। केवल परिचालन भू-धारक की कृषि भूमि के अंतर्गत आने वाली ऐसी भूमि को ही इनपुट सर्वेक्षण/गणना में शामिल किया जाना चाहिए।

vii) *बंजर और असिंचित भूमि:* इसमें परिचालन भू-धारक की कृषि जोत के अंतर्गत आने वाली सभी बंजर और असिंचित भूमि शामिल होनी चाहिए।

vii) *बंजर और गैर-कृषि भूमि:* इसमें परिचालन भू-धारक की कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत आने वाली सभी बंजर और गैर-कुषि योग्य भूमि शामिल होनी चाहिए।

7. एकीकृत कीट प्रबंधन

7.1 परंपरागत रूप से किसानों द्वारा पौध संरक्षण उपायों के रूप में कई पद्धतियाँ अपनाई गई हैं। इन पद्धतियों को चार समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यथा कृषि और सांस्कृतिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण। सामान्यतः किसान अपनी फसलों को कीटों और पेस्टों से बचाने के लिए फसल विविधता और कृषि जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह दृष्टिकोण उपर्युक्त चार वर्गीकरण में से किसी एक या एक से अधिक पद्धतियों का संयोजन हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ परिणामों के लिए विशेषज्ञ इन दृष्टिकोणों के विवेकपूर्ण संयोजन की सलाह देते हैं और इसे एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) के रूप में परिभाषित करते हैं। आईपीएम कार्यक्रम के घटक निम्नानुसार हैः

फसल चक्र सहित कृषि और सांस्कृतिक पद्धतियाँ

7.1.1 यह एक निवारक विधि है और यह कीटों के जीवन इतिहास और आदतों के ज्ञान पर आधारित है। इस श्रेणी में शामिल पद्धतियों में शामिल हैं: फसल की कटाई के पश्चात गहरी जुताई करना ताकि छिपे हुए या सुप्त कीटों को बाहर लाया जा सके, निराई करना, ठूंठ और अन्य कचरे को हटाना और नष्ट करना, कीटों के चरम प्रकोप की अवधि से बचने के लिए बुवाई के समय को समायोजित करना, स्वच्छ खेती, विकल्पी खरपतवार को हटाना, फसल चक्र और कीट व रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना।

भौतिक और यांत्रिक नियंत्रण

7.1.2 यह सबसे पुराने पद्धतियों में से एक है और इसमें अंडों और कैटरपिलर (कीटों की सक्रिय अवस्था में) को इकट्ठा करना; पौधे के संक्रमित हिस्से को हटाना और नष्ट करना, ढोल पीटना, नाइट ट्रैप और येलो ट्रैप लगाना जैसे उपाय शामिल हैं। ये विधियाँ कीट प्रकोप के प्रारंभिक चरण में प्रभावी पाई जाती हैं जब किसी विशेष क्षेत्र में कई किसानों द्वारा इनका उपयोग किया जाता है।

जैविक नियंत्रण

7.1.3 अधिकांश फसलों के परजीवी और शिकारी तथा रोग पैदा करने वाले जीवों के रूप में कई प्राकृतिक शत्रु होते हैं। ऐसे अन्य कारकों का बड़े पैमाने पर वृद्धि और कमी, जो प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में पाए जाते हैं, लेकिन फसलों के शत्रु (फसलों के मित्र) होते हैं, के परिणामस्वरूप हानिकारक जीवों पर प्रभावी नियंत्रण होते हैं। इन विधियों को प्रायः विशेष एजेंसियों द्वारा रासायनिक विधियों के साथ संयोजन में लागू किया जाता है ताकि कीटनाशक के हानिकारक प्रभाव कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं की गतिविधियों को प्रभावित न करें।

रासायनिक नियंत्रण

7.1.4 यह विधि कीटनाशकों, पेस्टीसाइडों और खरपतवारनाशकों के उपयोग से संबंधित है, जिनका उपयोग फसलों पर धूल, स्प्रे और दानों के रूप में किया जाता है। तत्काल परिणाम देने की अपनी प्रकृति के कारण ऐसे रसायन किसानों के बीच सबसे लोकप्रिय हैं। हाल के वर्षों में इन रसायनों के उपयोग में गंभीर समस्याएं विशेष रूप से फसलों पर अवशेषों और उपयोगी कीटों के विनाश से संबंधित सीमाएँ देखी गई हैं।

8. रासायनिक उर्वरक, जैविक खाद, हरी खाद और जैव-उर्वरक

8.1 खेती के परिणामस्वरूप मृदा से पोषक तत्वों की कमी की पुनः पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियो में मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए जैविक खाद, हरी खाद, रासायनिक उर्वरक और जैव-उर्वरकों का उपयोग शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि जांचकर्ता अनुसूची 2.21 और 2.2.2 के लिए साक्षात्कार से पहले इनके बीच के अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से समझें। इनका वर्णन निम्नानुसार है:

रासायनिक उर्वरक

8.1.1 रासायनिक उर्वरकों से तात्पर्य उन रासायनिक यौगिकों से है जो कारखानों में निर्मित होते हैं और मृदा के पोषक तत्वों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इन्हें आगे "स्थूल पोषक तत्व" जो नाइट्रोजन (एन), फॉस्फेट (पी) और पोटाश (के) की आपूर्ति करते हैं और "सूक्ष्म पोषक तत्व" उर्वरक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो जिंक, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, एल्युमीनियम आदि की आपूर्ति करते हैं। प्रचलित स्थूल पोषक उर्वरक यूरिया, डीएपी, एमओपी, सीएएन और कई जटिल उर्वरक और इनके भौतिक मिश्रण हैं। रसायनों की एक निर्दिष्ट सूची **अनुबंध-V** में दी गई है। इनपुट सर्वेक्षण में शामिल किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक उर्वरक भी इस अनुबंध में सूचीबद्ध हैं।

जैविक खाद

8.1.2 जैविक खाद प्रायः रासायनिक कारखानों में नहीं तैयार की जाती है और इसे किसान अपने खेतों में विभिन्न प्रकार के कृषि अपशिष्टों का उपयोग करके बनाते हैं। कभी-कभी इन्हें शहरी क्षेत्रों में सीवेज की गाद या नगरपालिका के कचरे का उपयोग करके भी तैयार किया जाता है। प्रायः जैविक खाद प्राय: भारी सामग्री होती है और इसे ट्रॉलियों में ले जाया जाता है। इसमें शामिल खाद के प्रकार फ़ार्म यार्ड खाद (एफवाईएम) होंगे, जिसे कृषि अपशिष्टों को सड़ने और खाद बनाने के लिए एक गड्ढे में डालकर तैयार किया जाता है। इसमें वर्मी कम्पोस्ट भी शामिल होता है। विभिन्न प्रकार के तेल केक जो उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, वे भी इस श्रेणी में आते हैं। केंचुआ अन्य जैविक खाद का हिस्सा है।

जैव- उर्वरक

8.1.3 जैव-उर्वरक छोटे पैकेट में बेचे जाते हैं और इन्हें निर्दिष्ट तापमान पर भंडारण की आवश्यकता होती है। इनमें कार्बनिक आधार पर कुछ जीवित जीवाणु होते हैं। जैव-उर्वरकों के उदाहरण राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, नील-हरित शैवाल और फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु (पीएसबी) हैं। जब जैव-उर्वरक को मिट्टी में मिलाया जाता है, तो उर्वरक पैकेट में मौजूद जीवाणु मिट्टी में फैल जाते हैं और अपनी कार्य प्रारंभ कर देते हैं, जैसे हवा से नाइट्रोजन को मृदा में मिलाना। इसलिए, जैव-उर्वरक स्वयं मिट्टी के पोषक तत्व नहीं हैं, बल्कि वे मिट्टी के पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए उत्प्रेरक/प्रत्यक्ष एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार के उर्वरक किसानों के बीच बहुत प्रचलित नहीं हैं और केवल कुछ प्रगतिशील किसान ही इनका उपयोग करते हैं। साथ ही, भंडारण आवश्यकताओं के कारण ये हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं।

हरी खाद

8.1.4 हरी खाद से तात्पर्य किसी विशेष प्रकार की वनस्पति की खेती से है, जिसका उद्देश्य जब पत्तियां कोमल और आसानी से सड़ने योग्य होती हैं। इसकी जुताई मिट्टी में पुनः किया जाना है, किसानों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली हरी खाद के लोकप्रिय प्रकारों में सेसबानिया (ढेंचा), सनहेम्प सनई, इंडिगो, उर्द और लोबिया शामिल हैं। हरी खाद के उद्देश्य से पहली या दूसरी कटाई के पश्चात खेत में फलीदार फसलों के पत्तेदार हिस्से की पुनः जुताई की प्रथा भी है। ऐसे सभी मामले क्षेत्र को हरी खाद के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से किया जाता।

9. मृदा स्वास्थ्य

9.1 मृदा स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए, राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं, जहाँ किसानों के खेतों से एकत्र किए गए मृदा नमूनों के पीएच मान, अर्थात (नाइट्रोजन), पी (फास्फोरस) और के (पोटाश) मानों की जाँच नाममात्र शुल्क पर की जाती है। तदनुसार, राज्य सरकारों के कृषि विभागों द्वारा किसानों को पीएच मानों के आधार पर विशिष्ट उर्वरकों और रसायनों का

उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा, जो किसान आईएआरआई लैब, दिल्ली में नमूने ले जाते हैं उनकी जाँच किसाने के लिए आईएआरआई, पूसा, नई दिल्ली द्वारा की जाती है।

10. बीज

गुणवत्तापूर्ण बीज की श्रेणियाँ

10.1 बीज उत्पादन कार्यक्रम में प्रयुक्त बीज की विभिन्न श्रेणियां हैं: (1) प्रजनक बीज, (2) आधार बीज, (3) पंजीकृत बीज, और (4) प्रमाणित बीज। बीजों की इन पंक्तियों को सबसे पहले 1946 में अंतर्राष्ट्रीय फसल सुधार संघ द्वारा चारा और पशु आहार के संबंध में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था; 1968 में इस अनाज फसलों के मामले में भी इसी प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की गई। विभिन्न वर्ग के इन बीजों की अलग-अलग आवश्यकताएं होती हैं और ये अलग-अलग कार्य करते हैं, इसके संबंध में संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

10.2 प्रजनक बीज: प्रजनक बीज वह बीज या वानस्पतिक प्रसार सामग्री है जो किसी विशेष किस्म को विकसित करने वाले प्रजनक द्वारा उत्पादित किया जाता है। यदि किस्म विकसित करने वाला प्रजनक उपलब्ध न हो तो इसे संस्थान द्वारा उत्पादित किया जाता है जहाँ किस्म विकसित की गई थी, भारत में, प्रजनक बीज का उत्पादन अन्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा उस विश्वविद्यालय में कार्यरत संबंधित फसल के प्रजनक की प्रत्यक्ष देखरेख में भी किया जाता है; यह व्यवस्था प्रत्येक वर्ष बड़ी मात्रा में प्रजनक बीज की आवश्यकता को देखते हुए की गई है। प्रजनक बीज का उपयोग आधार बीज के उत्पादन के लिए किया जाता है।

10.3 प्रजनक बीज आनुवंशिक रूप से शुद्ध होता है। स्व-परागण वाली प्रजातियों के मामले में, किस्म की आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सामूहिक चयन किया जाता है। ऑफ-टाइप पौधों को तुरंत हटा दिया जाता है और आउटक्रॉसिंग या प्राकृतिक संकरण और यांत्रिक मिश्रण को रोकने के लिए सावधानी रखी जाती है।

10.4 आधार बीज: आधार बीज प्रजनक बीज से सीधे वृद्धि द्वारा प्राप्त किया जाता है। आधार बीज आनुवंशिक रूप से शुद्ध होता है और पंजीकृत और/या प्रमाणित बीज का स्रोत होता है। आधार बीज का उत्पादन एनएससी का उत्तरदायित्व है। आधार बीज का उत्पादन सरकारी खेतों, प्रयोग केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों या एनएससी के विशेषज्ञों की कड़ी निगरानी में सक्षम बीज उत्पादकों द्वारा किया जाता है। इस श्रेणी के बीज का उत्पादन संबंधित किस्म के अनुकूलन क्षेत्र में किया जाना चाहिए।

10.5 पंजीकृत बीज: पंजीकृत बीज का उत्पादन आधार बीज या पंजीकृत बीज से किया जाता है। पंजीकृत बीज आनुवंशिक रूप से शुद्ध होता है और इसका उपयोग प्रमाणित बीज या पंजीकृत बीज के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसे सामान्यतः प्रगतिशील किसानों द्वारा एमएससी द्वारा दी गई तकनीकी सलाह और पर्यवेक्षण के अनुसार उत्पादित किया जाता है। प्रायः पंजीकृत बीज को त्याग दिया जाता है और प्रमाणित बीज को सीधे आधार बीज से उत्पादित किया जाता है;यह भारत की सामान्य पद्धति है।

10.6 प्रमाणित बीज: प्रमाणित बीज आधार, पंजीकृत या प्रमाणित बीज से उत्पादित होता है। यह काफी प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक बीज प्रमाणन एजेंसी इस मामले में राज्य बीज प्रमाणन एजेंसीयो द्वारा प्रमाणित होता है, जो अच्छी फसल उगाने के लिए उचित है। प्रमाणित बीज का उत्पादन प्रतिवर्ष प्रगतिशील किसानों द्वारा मानक बीज उत्पादन पद्धतियों के आधार पर किया जाता है। प्रमाणित होने के लिए, बीज को शुद्धता और गुणवत्ता के संबंध में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। प्रमाणित बीज वाणिज्यिक फसल उत्पादन के लिए किसानों को सामान्य रूप से उपलब्ध है। इसका उत्पादन आम तौर पर राज्य बीज निगमों द्वारा किया जाता है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो एनएससी प्रमाणित बीज उत्पादन की निगरानी भी करता है। प्रजनक और आधार बीजों का उत्पादन में बहुत व्यय होता है क्योंकि शुद्धता का बहुत उच्च मानक का पालन करना होता है। प्रमाणित बीजों के लिए अपेक्षाएँ आधार बीज की तुलना में अपेक्षाकृत रूप से कम हैं, और इसलिए इसका मूल्या काफी कम है।

प्रमाणित बीज के लिए अपेक्षाएँ

10.7 बीज को वितरण के लिए प्रमाणित किए जाने से पहले उसे कुछ निश्चित अपेक्षाओं को पूरा किया जाना होता है। सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि बीज केंद्र या राज्य किस्म विमोचन समिति द्वारा सामान्य खेती के लिए जारी की गई उन्नत किस्म का होना चाहिए और भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित होना चाहिए; बीज के प्रमाणित होने के लिए यह आवश्यक है। अन्य आवश्यकताएँ आनुवंशिक शुद्धता, खरपतवारों, बीमारियों और कीटों, अंकुरण आदि से मुक्ति से संबंधित हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि विभिन्न फसलों में प्रमाणीकरण की अपेक्षाएँ में काफी भिन्नता है। कुछ मामलों में, जैसे मक्का, अन्य की तुलना में अपेक्षाएँ अधिक गहन हैं।

उच्च उपज वाली फसलें

10.8 उच्च उपज वाली कृषि फसलें वे हैं जिन्हें उनके उत्पादन की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रजनन, आनुवंशिक रूप से संशोधित या निषेचित किया गया है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या का स्वास्थ्य और कल्याण काफी हद तक कृषि उद्योग की उच्च उपज वाली खाद्य और रेशेदार फसलें उगाने की क्षमता पर निर्भर करता है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि पहली फसलें कब उगाई गईं। अतीत में कभी, लोगों ने पाया कि कुछ जंगली घासों के बीज एकत्र किए जा सकते हैं और बाद में उन्हें ऐसे स्थान पर उगाया जा सकता है जहाँ उन्हें बढ़ने की प्रक्रिया के दौरान नियंत्रित किया जा सकता है और अंततः भोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है।

संकर बीज

10.9 कृषि और बागवानी में, संकर बीज क्रॉस-परागण वाले पौधों द्वारा उत्पादित बीज होते हैं। संकर बीज उत्पादन कृषि और घरेलू बागवानी में प्रमुख है। यह 20वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि के मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक है। संकरण के बदले अन्य विकल्प खुले परागण और क्लोनल प्रसार हैं।

10.10 किसान द्वारा लगाए गए सभी संकर बीज समान पौधे उत्पन्न करेंगे जबकि इनकी तुलना में उन संकरों से उत्पन्न बीजों में लगातार वांछित विशेषताएँ नहीं होंगी। नियंत्रित संकर बहुत समान विशेषताएँ प्रदान करते हैं क्योंकि वे दो इनब्रेड स्ट्रेन से उत्पादित होते हैं। गुणवत्तापूर्ण इनब्रेड स्ट्रेन का उपयोग किया जाता है जो अच्छी तरह से प्रलेखित और सुसंगत फेनोटाइप (जैसे उच्च फसल उपज) दर्शाते हैं जो इनब्रेड पौधों के लिए अपेक्षाकृत रूप से अच्छे हैं।

10.11 संकर पौधों का चयन बेहतर पैदावार, अधिक एकरूपता, बेहतर रंग, रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसी परिणामी पौधों की विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। एक महत्वपूर्ण कारक पैतृक पौधों की विषमता या संयोजन क्षमता है। इनब्रेड स्ट्रेन की किसी विशेष जोड़ी को क्रॉस करने से बेहतर पौधा प्राप्त हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इसलिए प्रयुक्त किए जाने वाले पैतृक स्ट्रेन का चयन सावधानी से चयन किया जाता है ताकि मूल-पौधे की एकरूपता से प्राप्त होने वाली एकरूपता और हेटरोसिस से उत्पन्न बेहतर कार्यनिष्पादन को प्राप्त किया जा सके।

11. फसलवार क्षेत्र (सिंचित और असिंचित)

11.1 कृषि गणना और इनपुट सर्वेक्षण के उद्देश्य से फसलों के लिए वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग उनकी कोडिंग प्रणाली के लिए किया गया है, जिसे **अनुबंध-IV** में देखा जा सकता है।

*****